लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र
Fifth Session]

Preservation Unit
16-1-84

[खंड 18 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. 18 contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय-सूची/Contents

अंक 8, बुधवार, 31 जुलाई, 1968/9 श्रावण, 1890 (शक)

No. 8, Wednesday, July 31, 1968/Sravana 9, 1890 (Saka)

निधन संबंधी उल्लेख — **Obituary Reference**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

तारांकित प्र० संख्या — *Starred Question Nos.*

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
211. नागाओं का चोरी छिपे चीन को जाने का प्रयास	Nagas trying to escape to China .	1347—52
212. आकाशवाणी से भारतीय भाषाओं में प्रसारण	Broadcasts from A. I. R. in Indian Languages	1352—55
213. चीफ्स आफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन	Chairman of Chiefs of Staff Committee	1355—57
214. पूर्व पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लोग	Minorities in East Pakistan . .	1357-62
तारांकित प्रश्न संख्या		
215. माइकलरोस का नागालैंड में जाना	Michael Ross's Visit to Nagaland	1362
216. डा० धर्म तेजा का प्रत्यर्पण	Extradition of Dr. Dharma Teja	1363
217. योजना आयोग	Planning Commission . . .	1363-64
218. लघु उद्योग	Small Scale Industries . . .	1364
219. पाकिस्तान द्वारा अवैध अधिकृत काश्मीर में पाकिस्तान सैनिक गतिविधियां	Pakistan Military Activities in Pak. occupied Kashmir	1364
220. सैनिक समाचार	Sainik Samachar	1364-65
221. प्रतिरक्षा कर्मचारियों की मांगें	Defence Employees Demands .	1365-66
222. निशस्त्रीकरण के बारे में रूसी प्रस्ताव	USSR proposals on Disarmament .	1366

*किसी नाम पर अंकित यह+चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+marked above the name of Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
223.	केनिया में रहने वाले भारतीयों के बारे में केनिया सरकार के साथ बातचीत	Talks with Government of Kenya on Indians in Kenya	1366—67
224.	चुनावों संबंधी प्रसारण	Election Broadcastes . .	1367
225.	भारतीय सेना का पुनर्गठन	Reorganisation of Indian Ar ny .	1368
226.	केनिया निवासी एशियाई लोगों के लिए वीसा प्रणाली	Visa System for Kenya Asians of Indian Origin	1368
227.	प्रतिरक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों का मजूरी ढांचा	Wage Structure of Civilian Employees In Defence	1368
228.	सेना अधिकारियों का विदेशी महिलाओं के साथ विवाह	Marriages of Army Officials with Foreign Women	1369
229.	भारतीय सांख्यिकी संस्था, बाड़ानगर (कलकत्ता) के लिए इलेक्ट्रानिक संगणक	Electronic Computer for I. S. I. Baranagar (Calcutta)	1369-70
230.	पंजाब में परमाणु बिजली घर	Atomic Power Station in Punjab	1370
231.	पाकिस्तान द्वारा बन्दी बनाये गये भारतीय जवान	Indian Jawans taken Prisoners by Pakistan	1370
232.	काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का वक्तव्य	Pak. Foreign Minister's Statement on cease fire line in Kashmir . . .	1370-71
233.	भारतीय सशस्त्र सेनाओं में लागू नियम	Rules in force in Indian Armed Forces	1371
234.	एंग्लो-फ्च जगौर सुपंरसौनिक फाइटर विमानों का निर्माण	Manufacture of Anglo-French Jaguar Supersonic Figh er	1371-72
235.	गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा सामग्री का निर्माण	Private Sector Defence Production	1372
236.	गुड़गांव के किसानों का प्रतिनिधि मंडल	Deputation of Gurgaon Cultivators .	1372-73
237.	लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग में गैर-भारतीय कर्मचारी	Non-Indian Staff of Indian High Commission in London	1373
228.	लंका के विनियम विनियमों में परिवर्तन	Change in Exchange Regulation of Ceylon	1373-74

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
239.	लाहौल स्पिति क्षेत्र में सीमा सड़कें	Border Roads in Lahol-Spiti Area	1374
240.	राष्ट्रीय एकता समिति	Committee of National Integration . .	1374

अतारांकित प्रश्न संख्या
U. Q. No.

1867.	डा० धर्म तेजा की आस्तियां	Dr. Dharam Teja's Assets . .	1374-75
1868.	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों को भेजे गये निरीक्षण दल	Inspection Teams sent to Indian Missions Abroad	1375
1869.	प्रूफ एण्ड ऐक्सपेरीमेंटल विभाग, चान्दीपुर (बालासोर)	Proof and Experimental Department Chandipore (Balasore) . . .	1375-76
1870.	एलप्पी में शक्तिशाली ट्रांसमिटर	High Power Transmitter in Alleppey .	1376
1871.	आलू अनुसंधान संस्था का स्थान	Location of Potato Research Institute	1376-77
1872.	सैनिक स्कूल	Sainik School	1377
1873.	प्रधान मंत्री की हाल की आस्ट्रेलिया तथा अन्य एशियाई देशों की यात्रा के लिए उन्हें तथा उनके साथियों को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Prime Minister and her party for her tour to Australia and other Asian Countries . . .	1377
1874.	तिलय्या में सैनिक स्कूल के कर्मचारियों को नौकरी से हटाना	Dismissal of Employees of Sainik School, Tilayya	1377-78
1875.	चीन से विद्रोही नागा नेता की वापसी	Return of Naga Rebel Leader from China .	1378
1876.	केरल नाम की पुस्तक का प्रकाशन	Publication of a book entitled 'Kerala' .	1378-79
1877.	कलकत्ता और मिदनापुर में जून 1968 में विचित्र प्रकार की वर्षा	Peculiar Type of Rain in Calcutta and Midnapur During June, 1968 . .	1379
1878.	चीन में प्रशिक्षित नागाओं द्वारा भारतीय सेना की वर्दी का प्रयोग	Using of Indian Army Uniforms by Chinese Trained Nagas	1379

अता० प्र० सं० U.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1879.	हिमाचल प्रदेश के लिये चौथी योजना में धन का नियतन	Fourth Plan Allocations for Himachal Pradesh	1380
1880.	नागालैंड-बर्मा सीमा को बन्द करना	Sealing of Nagaland-Burma Border . .	1380-81
1881.	पश्चिम बंगाल में पर्वतीय क्षेत्रों का विकास	Development of Hill Areas in West Bengal .	1381
1882.	मजगांव डाक्स लिमिटेड	Mazagon Docks Limited . .	1381-82
1883.	'दि गिल्टी मैन ग्राफ 1962' नाम का पुस्तक	'The Guilty Men of 1962' .	1382-83
1884.	भारतीय सीमाओं के पास चीनी सैनिकों का जमा होना	Concentration of Chinese Troops along the Indian Borde s	1383
1885.	अमरीका के सहायक प्रतिरक्षा सचिव का वक्तव्य	Statement by US Assistant Secretary of Defence	1383-84
1886.	भारतीय वायु सेना के लिये विमानों के निर्माण पर प्रतिबंध	Ban on Manufacture of Aircraft for Indian Air Force	1384
1887.	भारत-बर्मा सीमा का सीमांकन	Demarcation of Indo-Burma Boundary .	1384
1888.	भारत और मलयेशिया के बीच प्रतिरक्षा सामान सम्बन्धी करार	Indo-Malaysian agreement on Defence Stores	1385
1889.	स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के लेख	Writtings of the Late Jawaharlal Nehru .	1385-86
1890.	चलचित्र (रूपक)	Full length Feature Films . . .	1386
1891.	पाकिस्तान द्वारा पूर्व पाकिस्तान षड़यंत्र से भारत का संबंध जोड़ने का प्रयत्न	Pak attempt to involve India in East Pak conspiracy case	1386
1892.	सिक्किम के निकट चीनी सेनाओं का जमाव	Concentration of Chinese Forces near Sikkim . .	1387
1893.	नागाओं द्वारा मारे गये और बन्दी बनाये गये जवान	Jawans killed and taken prisoners by Nagas	1387

श्रता० प्र० संख्या

U.Q. No.	विषय	SUJECT	पृष्ठ/PAGES
1894.	पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीय राष्ट्रजन	Indian Nationals under detention in Pakistan	1387-88
1895.	मंत्रियों के भाषणों का प्रसारण	Broadcasts of Minister's Speeches . .	1388
1896.	उत्तर प्रदेश के पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Hill Areas of U.P	1388-89
1897.	फिल्म परिषद्	Film Council	1389
1898.	कलकत्ता के लिए मीडियम वेव ट्रांसमीटर	Medium Wave Transmitter for Calcutta .	1390
1899.	प्रधान मंत्री के दौरों पर व्यय	Expenditure on Tours of Prime Minister .	1390
1900.	भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बी स्कंध (विंग)	Submarine Wing for Indian Navy . .	1390-91
1901.	मलयेशिया श्रौर सिंगापुर में श्राजाद हिन्द सरकार के श्रवशेष	Relics of Azad Hind Government in Malayasia and Singapore	1391
1902.	समाचार पत्रों को विज्ञापन	Advertisements to Newspapers . .	1391-92
1903.	प्रतिरक्षा मंत्रालय से सम्बंधित सलाहकार समितियां तथा बोर्ड	Advisory Committees and Boards connected with Defence Ministry	1392-93
1904.	कच्छ क्षेत्र के विस्थापित परिवारों का पुनर्वास	Rehabilitation of Displaced Families from Kutch Area	1393
1905.	दक्षिण वियतनाम का संसदीय शिष्टमंडल	Parliamentary Delegation from South Vietnam	1393-94
1906.	वियतनाम की लड़ाई में विषैली गैस का प्रयोग	Use of Poisonous gas in Vietnam War .	1394
1907.	सिंगापुर को उपहार में दिया गया पुष्पक प्रशिक्षण विमान	Pushpak Trainer Aircraft gifted to Singapore	1394-95
1908.	भारत संयुक्त श्ररब गणराज्य एच एफ–24 परियोजना	H.F. 24 Indo-UAR project . .	1395
1909.	सेनाध्यक्ष के दौरे का कार्यक्रम	Tour Programme of Chief of Army Staff .	1395

अतारां० प्र० संख्या

U.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1910.	अधिकारी को राजनयिक पासपोर्ट जारी करना	Issue of a Diplomatic Pas sport to an Official	1396
1911.	विदेशों में भारतीय	Indians in Foreign Countries . . .	1396
1912.	लन्दन में गांधी जी की मूर्ति लगाई जाना	Installation of Gandhi Statue in London .	1396-97
1914.	योजना सम्बन्धी समिति	Committee on Planning . .	1397-98
1915.	भारतीय चलचित्रों का स्तर	Standard of Indian Films	1398-99
1916.	पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी-प्रचार	Anti-Indian Propaganda by Pakistan .	1399
1917.	नागाओं का चीन में प्रशिक्षण	Nagas getting training in China .	1399-1400
1918.	भारत द्वारा परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध सन्धि पर हस्ताक्षर न करना	Non-Signing of Treaty on nuclear non-proliferation by India	1400
1919.	हिन्द महासागर में ब्रिटिश सहायता से अमरीकी अड्डों की स्थापना	Establishment of US Bases with British Assistance in Indian Ocean . . .	1400-1401
1920.	परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने सम्बन्धी सन्धि पर हस्ताक्षर करने की पाकिस्तान की शर्त	Pak. condition for signing treaty on nuclear non-proliferation	1401
1921.	कोको द्वीप	CoCo Island	1402
1922.	भारतीय नौसेना	Indian Navy	1402-1403
1923.	भारतीय समस्याओं के प्रति अमरीका का रवैया	US attitude to India's problems . .	1403
1924.	परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध संधि पर डा० कोठारी का वक्तव्य	Dr. Kothari's statement on Nuclear non-proliferation treaty	1403-1404
1925.	पाकिस्तान के लिए रूसी ट्रांसमिटर	Soviet Transmitters for Pakistan . .	1404
1926.	प्रतिरक्षा व्यय में मितव्ययता	Economy in Defence Expenditure . .	1404-1405
1927.	'पैट्रियट' और 'लिंक'	'Patriot' and 'Link'	1405

अता० प्र० संख्या U.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1928.	उत्तर प्रदेश को चौथी पंचवर्षीय योजना	Fourth Plan for U.P. .	1405
1929.	चीन द्वारा स्थल सीमा का उल्लंघन	Land Violations committed by China .	1405-06
1930.	पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा और स्थल सीमा का उल्लंघन	Air and Land Violations Committed by Pakistan	1406
1931.	दक्षिण वियतनाम से आये संसदीय शिष्टमंडल के साथ बातचीत	Discussions with Parliamentary Delegation from South Vietnam	1406
1932.	आकाशवाणी में नेहरू यूनिट	Nehru Unit in AIR . . .	1406-07
1933.	आकाशवाणी में ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिवों के वेतनमान	Pay Scales of Transmission Executives in A.I.R.	1407-08
1934.	परमाणु रिएक्टरों का निर्यात	Export of Nuclear Reactors . .	1408
1935.	अणु शक्ति का विकास	Development of Atomic Energy . .	1409
1936.	ब्रिटिश आप्रवास अधिनियम	British immigration Act	1409
1937.	कीनिया में बसे हुए भारतीयों को 'कीनिया छोड़ो' नोटिस	Quit Kenya Notice to Kenya Indians . .	1409-10
1938.	मलयेशिया में भारत के सहयोग से युद्धास्त्र कारखाने की स्थापना	Setting up an Ordinance Factory with Indian Collaboration in Malaysia.	1410
1939.	'इंडियाज़ न्यूक्लियर डाइ-लमा' नामक पुस्तक	Publication entitled 'India's Nuclear Dilemma'	1410
1940.	अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह	International Film Festival	1411
1941.	रोडेशिया की समस्या के हल के लिये बल प्रयोग	Use of Force for solving Rhodesian Problem	1411
1942.	मंत्रियों के लिये कारें	Cars for Ministers	1412
1943.	प्रादेशिक सेना अधिकारी	Territorial Army Officers . .	1412-13
1944.	प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा पर व्यय	Expenditure on Prime Minister's Tour Abroad	1413
1945.	वियतनाम युद्ध में घातक कीटाणु छोड़ने वाले अस्त्रों का प्रयोग	Biological Warfare in Vietnam	1413
1946.	आकाशवाणी में कर्मचारी संघ	Employees Unions in A.I.R.	1413-14

अता० प्र० संख्या U.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1948.	पूर्वी पाकिस्तान में तथा कथित षड्यंत्र के बारे में पाकिस्तान को विरोध पत्र	Protest to Pakistan about so called conspiracy in E. Pakistan	1414
1949.	पाकिस्तान के कब्जे में विवादग्रस्त क्षेत्र	Disputed Areas under Occupation of Pakistan	1414
1950.	बम्बई में नौसेना गोदी	Naval Dockyard in Bombay .	1414-15
1951.	आकाशवाणी और टेलीविजन के लिये निगम	Corporations for A.I.R. and T.V.	1415
1952.	भारतीय दूतावासों के कार्य संचालन की जांच करने के लिये समिति	Committee for Examining Working of Indian Missions Abroad . . .	1415
1953.	टेलीविजन कार्यक्रम	T.V. Programme . . .	1415-16
1954.	सरकारी क्षेत्र में नये उद्योग	New Industries in Public Sector .	1416-17
1955.	कटक में आकाशवाणी केन्द्र का भवन	A.I.R. Station Building at Cuttack . .	1417
1957.	बालासोर प्रूफ (प्रतिरक्षा) एण्ड एक्सपैरीमेन्टल, सेंटर, बालासोर	Balasore Proof (Defence) and Experimental Centre	1417
1958.	राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था	National Economy . . .	1418
1961.	दिल्ली में विदेशी दूतावास	Foreign Embassy in Delhi . . .	1418
1963.	पाकिस्तान का काश्मीर के सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद् को पत्र	Pak. letter to Security Council on Kashmir .	1419
1964.	सैनिक कृषि फार्म	Military Agricultural arms . .	1419
1965.	केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति	Deputation of C.I.S. Officers . .	1419-20
1966.	फीरोजपुर–अमृतसर सीमा पर पाकिस्तान की तयारियां	Pakistani Preparations on Ferozepur-Amritsar Border	1420
1967.	पंजाब के पहाड़ी इलाकों के लिये धनराशि का दिया जाना	Allocation of funds for Punjab Hill Areas .	1420-21
1968.	पाकिस्तान तथा चीन की परमाणु शक्ति	Nuclear Power Potential of Pakistan and China	1421
1969.	अक्साई चिन सड़क पर सैनिकों का जाना	Visit of Military Personnel to Aksai Chin Road	1421

अता० प्र० संख्या। U.Q. No.	विषय	SUBJFCT	पृष्ठ PAGFS
1970.	वित्तीय कारणों से भारतीय दूतावासों का बन्द किया जाना	Closing down of Indian Embassies for Economic Reasons	1421
1971.	परमाणु शक्ति की उत्पादन लागत	Cost of Production of Atomic Power	1422
1973.	मिग विमान कारखाना	MIG Factory . . .	1422
1974.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के भारतीय राजनयिक	Indian Diplomats belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes .	1423
1975.	पाकिस्तान की वायु सेना तथा स्थल सेना के कर्मचारियों को प्रशिक्षण	Training to Pak Air Force and Army Personnel	1423
1977.	जवानों और सैनिक अधिकारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Jawans and Army Officers .	1423-24
1978.	मनीपुर में राष्ट्रीय सेना छात्र दल	N.C.C. in Manipur	1424
1979.	इम्फाल में ट्रांसमीटर के लिये भूमि	Land for Transmitter at Imphal	1424-25
1980.	द्वितीय विश्व युद्ध में हुई क्षति के लिये मुआवजा प्राप्त करने के मामले	Claim cases for damages done during second World War	1425
1982.	नेपाल में सूखा	Drought in Nepal .	1425
1983.	छोटे समाचार पत्र	Small Newspapers	1425-26
1984.	रूस सरकार द्वारा प्रकाशित विश्व एटलस	World Atlas published by Soviet Government	1425-27
1985.	कच्चा टीबू द्वीप	Kachchativu Island .	1427
1986.	टेलीविजन के नये केन्द्र	New T.V. Stations .	1427-28
1987.	आकाशवाणी के नये केन्द्र	New A.I.R. Stations . .	1428
1989.	त्रिपुरा का सामरिक महत्व	Strategic Importance of Tripura . .	1428
1990.	त्रिपुरा, सीमा पर पाकिस्तानी सनिकों का जमाव	Concentration of Pakistani troops in Tripura Borders	1428-29
1991.	भारतीयों को कीनिया छोड़ने के लिये बाध्य किया जाना	Indians forced to Leave Kenya	1429
1992.	भारत और पाकिस्तान द्वारा गंगाजल के बटवारे के बारे में रूस सरकार के सुझाव	USSR Government's Suggestions re: Indo-Pak Sharing of Ganga Waters . .	1429-30

अता० प्र० संख्या U.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1994.	मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backwaru areas in Madhya Pradesh	1430
1995.	मध्य प्रदेश में विज्ञापनों का प्रसारण	Commercial Broadcasts in Madhya Pradesh	1430
1996	केन्द्रीय मोटर गाड़ी डिपो, अवाड़ी	Central Vehicle Depot, Avadi .	1430
1997	शिल्पी प्रशिक्षण स्कूल	Artisan Training School . .	1431
1998	भारी मोटर गाड़ी कारखाना, अवाड़ी में भ्रष्टाचार के मामले	Cases of Corruption in Heavy Vehicles Factory, Avadi .	1431
1999	कलकत्ता स्थित पाकिस्तान के उच्च आयुक्त के कार्यालय के अधिकारियों पर पाबन्दी	Restriction on Pak High Commission Officers in Calcutta . .	1431-32
2000	गैर सरकारी, सरकारी उपक्रमों द्वारा इसराइल के साथ सहयोग	Private Public undertakings Collaboration with Israel	1432
2002	गुजरात के मुख्य मंत्री द्वारा ब्रिटेन की यात्रा	Visit to U. K. by Chief Minister of Gujarat	1432
2003	सेना में अधिकारियों की कमी	Shortage of Officers in Army . .	1433
2004.	भारतीय वायु सेना के सुपर कांस्टेलेशन विमान का मजबूरन उतरना	Force landing of IAF Super-Constellation .	1433
2005	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints Against Indian Embassies Abroad	1434
2006	केन्द्रीय सूचना सेवा में पदों का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of C.I.S. Posts .	1434
2007	केन्द्रीय सूचना सेवा ढांचा समिति	C.I.S. Grade Structure Committee .	1434-35
2008	बर्मा द्वारा पकड़े गये विद्रोही नागा	Rebel Nagas Apprehended by Burma .	1435
2009	दिल्ली में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का दिया जाना	Allotment of Land to Ex-servicemen in Delhi	1435-36
2010	सेना की कैन्टीन से खरीदे गये माल पर बिक्री कर	Sales Tax on goods purchased from Military Canteens	1436

अता० प्र० संख्या U.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2011	जवानों को पेंशन	Pension of Soldiers	1436
2012	केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों की संख्या	Strength of C.I.S. Officers	1436-37
2013	कुवैत में औद्योगिक उपक्रम	Industrial Ventures in Kuwait . .	1437
2014	मांडले जेल में स्मारक हाल	Memorial Hall in Mandlay Jail. . .	1437
2015	आकाशवाणी के उप-महानिदेशकों के नये पद	New Posts of Deputy Director General in A. I. R.	1437-38
2016	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत सलाहकार समितियां	Advisory Committees under Information and Broadcasting Ministry . . .	1438
2017	भारतीय स्वतंत्रता (अधिकार, सम्पत्ति तथा दायित्व) आदेश, 1947	Indian Independence (Rights, Property and Liabilities) Order, 1947 . . .	1438
2018	हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड	Hindustan Aeronautics Ltd.	1439
2019	आकाशवाणी में सहायक संयोजक	Assistant Producers in A. I. R. .	1439
	तारांकित प्रश्न संख्या 214 के बारे में	Point reg. Starred Question No. 214 .	1439-40
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance.	1440-42
	अमरीकी अधिकारियों के साथ दिल्ली में हुई वार्ता	Talks held with US Officials in Delhi .	1440-42
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the table . .	1443
	राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha . . .	1443
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	1444
	तैंतीसवां प्रतिवेदन	Thirty-Third Report .	1444
	शत्रु सम्पत्ति विधेयक	Enemy Property Bill . . .	1444-45
	खण्ड 7 से 25 और 1	Clause 7 to 25 and 1	1445
	पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	1445
	श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya . . .	1450

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	1450-51
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	1451
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar . .	1451
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh . .	1452
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege . . .	1452
अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक	Inter-State Water Disputes (Amendment) Bill	1452
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	1452
डा० कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao .	1452
श्री रंगा	Shri Ranga . . .	1453-54
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख	Shri Shivajira O. S. Deshmukh .	1454
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chauhan	1455
श्री रा० दो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare .	1455-56
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	1456
श्री पें० वेंकटा सुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah . . .	1456-57
श्री पं० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	1457
श्री अ० सिंह सहगल	Shri A. S. Saigal . . .	1457-58
श्रीमती जयाबेन शाह	Shrimati Jayaben Shah . .	1458
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy .	1458-59
श्री तुलशी दास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav . .	1459-60
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharti. .	1460
श्री सेक्वीरा	Shri Erasmo de Sequeria .	1460-61
श्री राजाराम	Shri Rajaram . . .	1461
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	1462
पूर्वी पाकिस्तान सरकार द्वारा सहाजादपुर स्थित टैगोर के निवास स्थान पर कब्जा किये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा :	Half an hour Discussion re. residence of Tagore at Sahajadpur seized by East Pakistan Government	1462
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	1462
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 31 जुलाई, 1968, 9 श्रावण, 1890 (शक)

Wednesday, July 31, 1968 / Sravana 9, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]

(Mr. Speaker in the Chair)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को श्री के० एम० वल्लाथरस के दुःखद निधन की सूचना देनी है, जिनकी 67 वर्ष की आयु में 30 जुलाई, 1968 को मृत्यु हुई है।

श्री वल्लाथरस 1952–57 के दौरान पहली लोक-सभा के सदस्य थे। हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि शोक सन्तप्त परिवार को संवेदनायें भेजने में यह सभा मेरा साथ देगी।

शोक प्रकट करने के लिए सभा कुछ समय तक मौन खड़ी रही।

इसके बाद सदस्य कुछ समय तक मौन खड़े रहे ।

The hon. Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नागाओं का चोरी छिपे चीन जाने का प्रयास

*211. **श्री बी० चं० शर्मा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1968 के उत्तरार्ध में नागालैंड-बर्मा सीमा पर हुई मुठभेड़ों में भारतीय सुरक्षा सेना ने घात लगा कर हमला करके लगभग 200 विद्रोही नागाओं को मार दिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि ये विद्रोही नागा लोग चीन जाने के लिये छिप कर सीमा पार करने का प्रयास कर रहे थे ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस सीमा पर निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) से (ग). जी नहीं। माननीय सदस्य सम्भवतः सीमा पर बर्मा की ओर हुई कथित मुठभेड़ों का उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें, ऐसा समझा जाता है, उपद्रवी नागा बहुत बड़ी संख्या में मारे गए थे।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये विद्रोही नागा हमारे देश के रहने वाले हैं अथवा किसी अन्य देश के ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : वे नागालैंड राज्य के रहने वाले हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या पड़ताल चौकियों की संख्या बढ़ा दी गयी है, जिससे कि बर्मा के रास्ते इन नागा विद्रोहियों द्वारा चीन में घुसपैठ न की जा सके ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जी हां, अपनी सुरक्षा तथा बचाव के लिये उचित कदम उठाये गये हैं और उनको बाहर जाने से रोकने के लिए पड़ताल चौकियों की संख्या बढ़ा दी गई है।

Shri Prakash Vir Shastri: After this encounter the Government of India had got evidences in the form of photos and documents from the Naga hostiles depicting that the Chinese Government wanted to create a situation of revolt against the present Government in Nagaland through these people. After that the Government of India sent a Protest Note to China. I would like to know whether there has been any reaction in China about this Protest Note or not and what will be the attitude of the Government of India in future towards the Nagas who are playing in the hands of an enemy country.

Shri Surendra Pal Singh: We have sent Protest Notes to China, but no satisfactory reply has been received. It is known to all that many underground Nagas are going to China and are taking help from them. We are making efforts so that they cannot go there.

Shri M. A. Khan: I would like to know whether the Government intends to extend the cease fire agreement with the Naga hostiles; if so, whether the Government have any faith in the assurances given by the Nagas? May I know whether the interim period of the extension of the cease fire agreement will be utilised in negotiations with the Naga hostiles? I would like to know whether any useful purpose has been served by the extension of cease fire so far? The anti-national activities of the Naga hostiles are increasing continuously because of the extension of cease fire from time to time. I want to know whether this will ever come to an end?

Shri Surendra Pal Singh: We hope that this problem will be solved as soon and efforts are being made in this direction.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि उन नागा विद्रोहियों ने, जिन्होंने सीमा पार कर चीन में प्रवेश किया है, लन्दन में श्री फिजो से सम्पर्क स्थापित किया है और वे श्री फिजो के सहयोग से प्रवासी ईसाई नागालैंड सरकार स्थापित करना चाहते हैं जिसका प्रधान कार्यालय पेकिंग में होगा, और यदि हां, तो उनकी इस नवीनतम गतिविधि के प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमने समाचार पत्रों में ऐसी खबरें पढ़ी हैं, लेकिन हमारे पास इस बात की कोई पक्की जानकारी नहीं है।

श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या सरकार को इस बात का पता है कि नागा विद्रोहियों द्वारा बर्मा की सीमा के पार से बड़ी मात्रा में लालमणियां लाई जाती हैं और उनके पैकिट बना दिये जाते हैं और उन पैकिटों में भू-प्रदेश तथा दर्रों को बताने वाले कुछ मानचित्र भी रख दिये जाते हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमारे पास कोई ऐसी विशेष जानकारी नहीं है, यदि माननीय सदस्य हमें बतायेंगे तो हम पता लगा सकते हैं।

Shri Rabi Ray: Whether it is a fact that the Church leaders have recently said that a conference of the leaders of the followers of different sects was going to take place in which discussion regarding the Naga hostiles escaping to China will also be held? Whether it is also a fact that a Minister of the Government of India Shri Jamir will lead the delegation to take part in that conference; whether he will be a representative of the Government of India or he will represent his own class?

Shri Surndra Pal Singh: It has been seen in the newspaper today that the Church leaders are convening a conference, in which underground, overground and other kinds of Nagas are taking part. It is also known that the Chief Minister of Nagaland will also probably participate in that conference. I think he will participate in his private capacity. Shri Jamir will also take part in his private capacity.

श्री वि० ना० शास्त्री : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बर्मा में नागा लोग पर्याप्त संख्या में हैं ? किसी मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया कि यह घटना बर्मा की ओर घटित हुई। मैं जानना चाहता हूं कि बर्मा की सीमा में रहने वाले नागा लोग नागालैंड के नागा विद्रोहियों के साथ सांठगांठ किये हुए हैं अथवा उनके साथ सहानुभूति रखते हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : छिपे हुए नागाओं का यह दल जो नागालैंड से, बर्मा की ओर जा रहा था संभवत: चीन जा रहा था। उनका बर्मा के सैनिकों के साथ आमना-सामना हुआ। यह कहना बड़ा कठिन है कि बर्मा की सीमा में रहने वाले नागा लोग नागा विद्रोहियों के साथ सहानुभूति रखते हैं या नहीं। परन्तु दूसरी ओर रहने वाले एक नागा द्वारा इस दल को एक घातक स्थान पर ले जाये जाने के प्रयत्न से ऐसा मालूम पड़ता है कि उनकी नागा विद्रोहियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है।

Shri Beni Shanker Sharma: We have been listening here about the Naga-land and the problems of Nagas since a long time and we are now tired of listening all this and this problem is running ahead of the solution like mirage. May I know whether the Government will take such steps to solve this problem as Russia is doing in the case of their Czechoslovakia problem because Russia is still serving as a guide to our Government?

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रद्धाकर सूपकार।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या बर्मा सरकार के साथ हमारा कोई ऐसा समझौता है कि इन नागा विद्रोहियों को बर्मा के रास्ते चीन में न जाने दिया जाये और न ही उस रास्ते से वापिस आने दिया जाये। यदि कोई ऐसा प्रस्ताव है तो बर्मा सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हम अवश्य ही बर्मी प्राधिकारियों के साथ पारस्परिक हित की जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं किन्तु यहां पर उस बातचीत तथा उस का ब्यौरा बताना वांछनीय नहीं होगा।

श्री ए० श्रीधरन : 1 मई, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 1561 के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि "सरकार द्वारा किये गये उपायों को ठीक उसी प्रकार बताना बड़ा कठिन होता है।" यह कहना बड़ा कठिन है कि वास्तव में क्या उपाय किये गये हैं। उन्होंने कई बार सभा को आश्वासन दिये हैं कि समुचित कदम उठाये गये हैं, समय समय पर स्थिति का अध्ययन किया जाता है, और मामले का लगातार पुनर्विलोकन किया जाता है तथा विद्रोहियों के पार जाने तथा घुसपैठ करने को रोकने के लिए जो आवश्यक होता है, वह किया जाता है। हमारी सीमा के इस प्रश्न का तटस्थ तोते की तरह हमेशा यही उत्तर दिया जाता है कि कदम उठाये जा रहे हैं, तथा स्थिति नियंत्रण में है। संसद् को यह उत्तर दिये जाने के बाद स्पष्ट है कि स्थिति और बिगड़ गई है और हमारी पूर्वोत्तर सीमा पर कुछ आधारभूत गड़बड़ी है। नई गतिविधियों के प्रकाश में, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने स्थिति पर पुनर्विचार किया है और यदि हां, तो उन्होंने क्या निर्णय किये हैं तथा सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कौन से अतिरिक्त कदम उठाये जा रहे हैं?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): मुझे खेद है कि माननीय सदस्य दिये गये उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, किन्तु मुझे विश्वास है कि सम्पूर्ण सभा इस बात से सहमत होगी कि सुरक्षा उपायों को बताना सम्भव नहीं है। यह बात यहां कई बार कही गई है और उसे फिर दुहराना पड़ेगा। पिछली बार हमने इस बात को स्पष्ट कर दिया था। वास्तव में, माननीय सदस्यों ने स्वयं उस बैठक का निर्देश किया था जिसके बारे में समाचारपत्रों में छपा था कि हमने मामले पर नये सिरे से विचार किया था और हम सुरक्षा सेना, नागालैंड सरकार, नागालैंड के राज्यपाल और अन्य सम्बन्धित लोगों से प्रत्येक सम्भावित गतिविधि के बारे में सतत सम्पर्क स्थापित किये हुए हैं। माननीय सदस्य श्री रंगा ने इस सम्बन्ध में मुझे बैठक बुलाने के बारे में याद दिलाया और आज प्रातः ही मैंने अपने कर्मचारियों को याद दिलाया है कि वे शीघ्र ही विरोधी दलों के नेताओं के साथ उस बैठक की तिथि निश्चित करें।

श्री वेदब्रत बरुआ : वास्तव में, छिपे नागा लोगों को हथियार जमा करने तथा अपने 10,000 आदमियों को चीनी हथियारों के साथ परिचित कराने के लिये समय की आवश्यकता है। वे इस कार्य के लिए युद्धविराम का उपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। युद्धविराम समझौता निलम्बन का केवल हमसे ही सम्बन्ध है, वे तो इस युद्धविराम का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने जबरदस्ती मकान-कर वसूल किया है जो इस समय 35 रुपये प्रति परिवार बैठता है जबकि सरकारी कर केवल 2 रुपये प्रति परिवार है। उन्होंने चीन से हथियार आदि का आयात कर हर प्रकार से युद्धविराम समझोते का उल्लंघन किया है। यहां तक कि जब पिछली बार उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी थी, तो सबको पता है कि उनको इसका पता लग गया था और इसके हमारे लिये परिणाम हानिकारक हुए थे। बहुत से चीनी हथियार उनके द्वारा ले जाये गये। इस बात को दृष्टि में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार वहां की प्रशासनिक व्यवस्था पर नई दृष्टि से विचार करना चाहती है और यह देखेगी कि जहां तक इस पक्ष का सम्बन्ध है, कार्यवाही अगले वर्ष मानसून से पहले छिपे नागाओं की योजना के अनुसार न होने पाये बल्कि हम अपने समय के अनुसार कार्यवाही करें।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि समझौते के उल्लंघन होने पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। यह बात हमारी सुरक्षा बलों और जो इस से सम्बन्धित हैं उन सबसे कही है। मैं नहीं सोचती कि यह कहना बिल्कुल ठीक है कि जाटसुना में हमारे लिये विघातक परिणाम हुए थे, हमारी सुरक्षा बलों ने निश्चय रूप से हस्तक्षेप किया था, शायद वे और अच्छा कर दिखा सकते थे लेकिन म नहीं सोचती कि स्थिति को बताने में माननीय सदस्य ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे बिल्कुल ठीक हैं। जहां तक करों का सम्बन्ध है, यह स्थिति भी बहुत पुरानी है। ऐसा नहीं है कि यह

पिछले महीने अथवा पिछले वर्ष ही हुआ हो। यह स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिये हमने ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिये नागालैंड सरकार को अब अधिक अधिकार दे दिये हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : उपमंत्री महोदय ने सुरक्षा बलों को अधिक सुदृढ़ बनाने के बारे में कहा, लेकिन तथ्य यह है कि जाटसुना में एक घात स्थान में सुरक्षा बल के लगभग 45 आदमी मारे गये और एक विदेशी पत्रकार ने भी नागालैंड में प्रवेश किया तथा वह एक महीने तक नागालैंड में छिपा रहा, सुरक्षा के प्रश्न पर, मैं जानना चाहता हूं क्या यह सरकार के ध्यान में लाया गया है कि नागालैंड में एक नया दल बनाया गया है जिसमें प्रधान रूप से वे ही लोग शामिल हैं जो नागा विद्रोहियों के साथ सहानुभूति रखते हैं और उन्होंने यह संकल्प किया है कि वे अगले आम चुनावों के बाद शक्ति में आने का प्रयत्न करेंगे और वे नागालैंड सरकार को भंग करने के लिए सभा में एक संकल्प पारित करेंगे। मैं जानना चाहता हूं क्या यह रिपोर्ट नागाओं के कुछ प्रसिद्ध नेताओं तथा किसी यहां के मंत्री के माध्यम से सरकार के नोटिस में आई है? यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है और वे इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या करना चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जब मैंने यह कहा कि अपनी सुरक्षा बलों को सुदृढ़ बनाने के लिये पर्याप्त उपाय किये जा रहे हैं तो मेरा तात्पर्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-भारतीय-बर्मा सीमा पर हमारी सुरक्षा सेनाओं से था। जहां तक दूसरे स्थानों का सम्बन्ध है वहां भी कदम उठाये गये हैं और जैसा कि थोड़ी देर पहले प्रधान मंत्री महोदया ने कहा, हमने नागालैंड राज्य को अतिरिक्त पुलिस सेना दे दी है। उन्होंने अपने पुलिस बल में वृद्धि कर ली है और युद्ध विराम के उल्लंघन को रोकने के लिये समुचित कदम उठा लिये हैं तथा छिपे नागाओं द्वारा बलपूर्वक कर लेने तथा अपहरण को रोकने के लिए भी समुचित उपाय किये गये हैं। जहां तक नये राजनीतिक दल को बनाने का सम्बन्ध है यह कहना बड़ा कठिन है कि यह किस रूप में जन्म लेगी और किस रूप में लड़ेगी मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री सु० कु० तापड़िया : उपमंत्री महोदय को इस बात का पता न हो, लेकिन यह सम्भवतः प्रधान मंत्री महोदया अथवा राज्य मंत्री महोदय की जानकारी में है। मैं जानना चाहता हूं सरकार को इसकी जानकारी है अथवा नहीं।

श्रीमती इंदिरा गांधी : जब हम ऐसा कहते हैं कि हमको अमुक बात की जानकारी नहीं है तो हम उसमें उस बात को शामिल नहीं करते जो हमने सुनी हो। समाचार को प्रमाणीकृत करना पड़ता है। इसीलिये कभी-कभी हमें कहना पड़ता है, "हमें इस बात की जानकारी नहीं है," लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि हमने उसके बारे में सुना भी नहीं है। हमारा अभिप्राय केवल यह होता है कि समाचार प्रमाणीकृत नहीं है।...... (व्यवधान)

श्री स्वैल : श्रीमन्, उपमंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि जो नागा लोग बर्मा सीमा के दूसरी ओर इस विशेष मुठभेड़ में मारे गये थे वे सब नागालैंड के थे। मैं जानना चाहूंगा क्या उन्होंने इन आंकड़ों की जांच कर ली है और क्या बर्मा सरकार से भारत सरकार को इन मारे गये नागा विद्रोहियों के नाम तथा उनकी पहचान के बारे में जानकारी दी है जिससे कि वे इस प्रकार का स्पष्ट वक्तव्य दे सकें कि वे सब नागालैंड के थे?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : सम्पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करना बड़ा कठिन है। मेरा तात्पर्य यह था कि वे छिपे नागा जो सीमा पार कर बर्मा से होकर जा रहे थे भारत के थे, उनमें से बहुत से नागालैंड के थे और कुछ अन्य पास पड़ौस के क्षेत्रों के, लेकिन वे सब भारत के ही थे।

श्री स्वैल : आपने अपना उत्तर बदल दिया है।

आकाशवाणी से भारतीय भाषाओं में प्रसारण

*212. **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के प्रसारणों में सुधार लाने के लिये क्या उपाय करने का विचार किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय भाषाओं में, विशेषकर हिन्दी में, प्रसारण के बारे में कोई निश्चित नीति बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) से (ग). आकाशवाणी से प्रसारणों में निरन्तर सुधार करने के अतिरिक्त राज्य स्तर पर राज्य सरकारों तथा विरोधी पक्ष को और केन्द्रीय स्तर पर विरोधी पक्ष को प्रतिनिधित्व देकर केन्द्र तथा प्रादेशिक दोनों स्तरों पर कार्यक्रम सलाहकार समितियों के गठन में परिवर्तन करने का विचार है। समूचे देश में नागरिक फोरम और विद्यार्थी फोरम बनाकर श्रोताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिये भी व्यवस्था करने का विचार है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान क्लब भी बनाने का विचार है। आकाशवाणी के केन्द्रों को व्यवसायिक सलाह देने के लिये विशेषज्ञ तालिकाएं भी बनाने का विचार है ?

जहां कहीं दो चैनल हैं, एक चैनल को केवल प्रादेशिक कार्यक्रम के लिये प्रयोग करने का विचार है। जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है, हिन्दी शिक्षा का कार्यक्रम जिसे पाकिस्तानी आक्रमण के कारण 1965 में बन्द कर दिया गया था, पुनः आरम्भ करने का विचार है। फीस के भुगतान तथा अखिल भारतीय प्रसारणों के सम्बन्ध में अंग्रेजी और हिन्दी के बीच विषमता समाप्त करने का विचार है।

Shri Ramavatar Sharma: I would like to know from the hon. Minister why has it not been considered necessary to preserve the form of Hindi and extend its use?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : जहां तक वार्ताओं और गोष्टियों का सम्बन्ध है, 1 अगस्त, 1968 से हम हिन्दी के कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं।

Shri Ramavatar Sharma: Will the hon. Minister be pleased to state the reasons for non-announcement of broadcast information when requests for filmsongs are pouring in from the States also? Secondly, as stated by the Minister of State just now, that all other countries propagate their languages through their broadcast programmes. When would the Government start programmes for teaching Hindi?

श्री के० के० शाह : वर्ष 1965 तक सभी केन्द्रों से हिन्दी के पाठ प्रसारित किये जाते थे। फिर वे रोक दिये गये। त्रिवेन्द्रम, विजयवाड़ा तथा इम्फाल केन्द्रों से हमने फिर हिन्दी के पाठ आरम्भ कर दिये हैं। शेष केन्द्रों से भी हम पाठ आरम्भ कर रहे हैं।

Shri Shiv Kumar Shastri: Is the fee, provided for giving a talk in English,

more than that given for a talk in Hindi? If so, the reasons for this discrimination?

श्री के० के० शाह : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, यदि कोई कमियां हैं, तो वे दूर कर दी जायेंगी तथा वास्तव में तो निर्देश जारी कर दिये गये हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिये चाहे वे अंग्रेजी में हों, चाहे हिन्दी में, अथवा किसी प्रादेशिक भाषा में, इसका आधार प्रत्येक भाषा में क, ख, और ग श्रेणी के अनुसार होगा। ये तीनों ही श्रेणी सभी भाषाओं पर लागू होंगी चाहे वह अंग्रेजी हो अथवा हिन्दी।

Dr. Surya Prakash Puri: A person broadcasting news in English is provided with a special monthly allowance of Rs. 150/- and a free telephone, whereas these facilities are denied to a news reader in Hindi or any other regional language. May I know from the hon. Minister whether he is going to make certain special arrangements in this behalf, in future?

श्री के० के० शाह : यह एक बड़ा लम्बा चौड़ा प्रश्न है, परन्तु जैसा कि मैंने कहा है, सब कमियां दूर कर दी जायेंगी।

Shri Prakash Vir Shastri: Whether he is aware that the Central Hindi Advisory Committee and his own Ministry's Hindi Advisory Committee have given a number of suggestions from time to time, which have been accepted by him. I want to know how many of those suggestions have so far been implemented and, if not, when will those be implemented?

Shri K. K. Shah: We send our report to the Committee and Shri Prakash Vir Shastri is a member of that Committee. A few days back, we gave them the whole report and told that whatever could not be implemented, would be implemented very soon.

Dr. Govind Dass: How much time is devoted to broadcasting in English and how much for other Indian languages? Will you increase the ratio of broadcasting time for Indian language—Hindi than that of English?

श्री के० के० शाह : मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं। मेरे पास पूरा विवरण है। दिल्ली के बारे में आंकड़े इस प्रकार हैं—हिन्दी : 71.61 प्रतिशत; उर्दू : 7.64 प्रतिशत; अंग्रेजी : 13.29 प्रतिशत; पंजाबी : 6.11 प्रतिशत; गढ़वाली : 1.3 प्रतिशत तथा संस्कृत: 0.3 प्रतिशत। लखनऊ के बारे में ......

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री के० के० शाह : मैं ये आंकड़े प्रत्येक प्रादेशिक केन्द्रों के बारे में दे सकता हूं।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : देश में 14 प्रादेशिक भाषायें हैं। क्या इन सब भाषाओं को उनके सुधार के लिये और महत्वपूर्ण मामलों, सूचनाओं और समाचारों को प्रसारित करने के बारे में बराबर महत्व दिया जाता है?

श्री के० के० शाह : जहां तक प्रादेशिक भाषाओं का सम्बन्ध है मैं कह चुका हूं कि जहां दो चैनल हैं वहां एक चैनल तो पूर्णतया प्रादेशिक केन्द्र के लिये सुरक्षित है तथा दूसरे चैनल पर अल्पसंख्यकों के लिये प्रसारण किया जाता है।

श्री अनन्त राव पाटिल : आकाशवाणी के प्रसारणों का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। समाचारों के लिये तैयार किये गये मसौदे प्रति भाषा बदलते जाते हैं। हिन्दी, मराठी, गुजराती, तथा

अन्य भारतीय भाषाओं की पांडुलिपियों के साथ विमाता जैसा व्यवहार किया जाता है। उदाहरणार्थ "टु डे इन पार्लियामेंट" आपने सुना होगा। अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया मसौदा हिन्दी में तैयार किये गये मसौदे से भिन्न होता है। कुछ मसौदा लेखक हिन्दी के प्रति उदासीनता का भाव रखते हैं—केवल हिन्दी के लिये ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम, तथा समाजवाद के प्रति भी। वे कुछ मंत्रियों के बारे में ढोल पीटने में रुचि रखते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वह चालू जुलाई मास में तैयार किये कुछ मसौदों को पढ़ने को तैयार है ?

श्री के० के० शाह : मैं अपने माननीय मित्र की इस आलोचना से सहमत नहीं हूं कि स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। मैं उन्हें अभी भी विश्वास दिला सकता हूं कि मैं मसौदों को पढ़ता भी हूं—प्रसारण से पूर्व नहीं, प्रसारण के पश्चात्। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सब मित्रों में से 90 प्रतिशत मित्र, जिनको कोई शिकायत थी, संतुष्ट हैं। मैं नहीं जानता कि कभी माननीय सदस्य ने भी मुझे किसी शिकायत की जानकारी दी थी, परन्तु यदि कोई शिकायत है तो मैं उसकी जांच करने को तैयार हूं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि उन्होंने विजयवाड़ा केन्द्र पर हिन्दी आरम्भ कर दी है। क्या मैं जान सकता हूं कि तेलगू, हिन्दी तथा अंग्रेजी की प्रसारण अवधियों के मध्य क्या अनुपात है ?

श्री के० के० शाह : हां। तेलगू : 67.3%; संस्कृत : 4.5%; हिन्दी : 6.7%; अंग्रेजी : 21.45%; तमिल : 0.3% और बंगाली : 0.2%।

श्री लकप्पा : आकाशवाणी की समस्त पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है। सरकार आकाशवाणी को केवल कांग्रेसी लोगों के नाम प्रसारित कराने के लिये ही प्रयोग में ला रही है। "टु डे इन पार्लियामेंट" प्रसारण में हम केवल कांग्रेसी सदस्यों के नाम तथा सभा में चर्चित कांग्रेसी नीतियों के बारे में ही सुन सकते हैं। क्या सरकार केवल कांग्रेस दल का ही प्रचार करने के लिये आकाशवाणी का प्रयोग कर रही है या कि फिर इन आरोपों को दृष्टि में रख कर इस भेद-भाव को भी दूर किया जायेगा और मामलों में सुधार किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : ये बातें वाद-विवाद के दौरान कही जा सकती हैं। यह प्रश्न काल है। यदि कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप पूछ सकते हैं।

श्री लकप्पा : मेरा प्रश्न संगत है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आकाशवाणी को कांग्रेस दल के प्रचारार्थ प्रयोग में ला रही है और यदि हां, तो क्या यह भेद-भाव दूर किया जायेगा या वह मामले की जांच करेंगे ?

श्री के० के० शाह : मैं इस बात से सहमत नहीं कि कोई भेद भाव है। इसके विपरीत आप पायेंगे कि सब नाम बोले जाते हैं ......

श्री लकप्पा : आप आज "टु डे इन पार्लियामेंट" सुनिये।

श्री के० के० शाह : मैं शायद कांग्रेस के प्रति थोड़ा बहुत उदासीन रहा हूंगा परन्तु विपक्ष के लिये नहीं।

श्री प० गोपालन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि हाल ही की हड़ताल के दौरान समाचार पत्रों के प्रबन्धकों के प्रतिनिधि को आकाशवाणी से अपना दृष्टिकोण प्रसारित करने की

अनुमति दी गई थी जब कि वही अधिकार कर्मचारियों के प्रतिनिधि को नहीं दिया गया ? मैं जानना चाहता हूं कि कर्मचारी श्रेणी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है ? क्या यह आकाशवाणी की नीति है ?

श्री के० के० शाह : यह बात मेरी जानकारी में नहीं लाई गई है । यदि मुझे बताया जाता तो मैं अवश्य ही इस पर विचार करता । मेरे से ऐसा कभी नहीं हो सकता ।

Shri Tulshi Das Jadhav: In view of this dicsussions, here *i.e.* the report on the proceedings of the Lok Sabha and Rajya Sabha, sometimes, the speech of the Speaker is also given whereas names of many other members are not announced even. Would the Government arrange the affairs in such a way that this report is first gone through by some responsible man so that every speaker may get due justice?

श्री के० के० शाह : समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों की एक सूची बना रखी है तथा उनमें से बारी-बारी आकर वे लोग अपनी रिपोर्ट देते हैं, लोक-सभा और राज्य-सभा की गैलरी में बैठते हैं तथा अपनी रिपोर्ट तयार करते हैं । यह सच है कि व्यक्ति विशेष के अपने सामर्थ्य के अनुसार कहीं कुछ कम तथा कहीं कुछ अधिक की बात आ सकती है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : उनमें से कुछ साम्यवादी विचारों के होते हैं और कुछ साम्यवादियों के समर्थक .... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शालवाले ।

Shri Ram Gopal Shalwale: The persons broadcasting Hindi Talks and News are given the programmes in English, and they commit certain mistakes in its translation. Will it not be possible to give them original programmes in Hindi?

श्री के० के० शाह : अब हिन्दी में ही कार्यक्रम तैयार करने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

चीफ्स आफ स्टाफ कमेटी का चैयरमैन

*213. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार चीफ्स आफ स्टाफ कमेटी का एक चेयरमैन नियुक्त करने जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : इस समय मुख्याधिकरणों की, तीन सेवाध्यक्षों पर सम्मिलित एक कमेटी है, जिसका अध्यक्ष वह सेवाध्यक्ष होता है, जिसने सब से अधिक सेवा की हो । मुख्याधिकरणों की कमेटी के लिये कोई पूर्णकालिक अलग अध्यक्ष नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अनियमित तथा अनावश्यक पदोन्नतियों तथा भर्तियों के कारण आय-व्ययक में तथा अपेक्षाकृत सुरक्षा सेनाओं के कनिष्ठ अधिकारियों में असंतोष बढ़ता है । प्रतिरक्षा मंत्री को इस बात का पता है ? इस संदर्भ में, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या कभी भी किसी बाहर के देश से हमारी सुरक्षा सेना के सर्वोच्च ढांचे को पुनर्गठित करने अथवा उसे अमेरिका की प्रणाली के अनुसार गठित करने के बारे में कोई सुझाव आया था, यदि हां, तो कब ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमें अमेरिका अथवा किसी भी अन्य देश से ऐसा कोई सुझाव नहीं मिला है कि हमें अपनी सेनाओं का पुनर्गठन करना चाहिये ।

ऐसे मामलों में हम किसी एक अथवा अन्य देश के सुझाव स्वीकार नहीं करते। यह हम निर्णय करते हैं कि देश के लिये कौनसा काम सबसे अच्छा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने शायद गलत समझा है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या हमारी सुरक्षा सेना के ढांचे को अमरीकी सुरक्षा सेना की पद्धति पर पुनर्गठित करने के लिये कभी किसी देश की ओर से सुझाव प्राप्त हुआ है?

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने इसे अस्वीकार किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या भारत सरकार का विचार भारतीय सुरक्षा सेनाओं को पुनर्गठित करने का है, यदि हां, तो किस व्यवस्था द्वारा तथा कब?

श्री स्वर्ण सिंह : पहले भाग का उत्तर तो "नहीं" में है तथा दूसरा प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या यह सच है कि सैन्य सेवाओं के तीनों अंगों को नियंत्रित करने वाले एक मुख्य सेनाध्यक्ष के अभाव में, संकट के समय तीनों सेनाओं के मध्य समन्वय न हो सकने के खतरे की सम्भावना बनी रहती है? पाकिस्तानी युद्ध के समय, तत्काल ही हवाई सहायता न मिलने के कारण हमारी स्थल-सेनाओं को बहुत हानि उठानी पड़ी थी। इसलिये, क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करने को तैयार है? यह वांछनीय भी है तथा अब समय की मांग भी है कि भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों का एक मुख्य सेनाध्यक्ष हो।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि तीनों सेनाओं के लिये कोई एक प्रमुख सेनाध्यक्ष रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु फिर भी मैं इस माननीय सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तीनों सेवाओं में पूरा समन्वय है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अन्तर्सेवाओं के मामलों में मुख्य सेनापतियों की समिति विचार करती है तथा उस समिति की अध्यक्षता वह सेनापति करता है जिसकी उस स्थिति में सेवाकाल सर्वाधिक होता है। जब सैनिक कार्यवाही आरम्भ करनी होती है, तब अधिक निकट समन्वय की आवश्यकता होती है बल्कि घंटे घंटे बाद समन्वय स्थापित करना होता है और जो कुछ माननीय सदस्य द्वारा कहा गया है कि 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान सेना के तीनों अंगों में समन्वय का अभाव था मैं उसे स्वीकार नहीं करता।

Shri Bhogendra Jha: As regards the promotion of officers, is it true that there are very little chances of promotions for the jawans of in army, Navy and Air Forces and are the Government thinking to increase such avenues of promotion for them. As compared with the direct recruitment of officers, will more Jawans be promoted to officers' ranks and are there some plans to remove the existing disparity among the three services with a view to bring them at par with one another?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारे पास कई ऐसी योजनायें हैं, जिनके अन्तर्गत सैनिक नाविक अथवा वैमानिक भर्ती होते हैं। उनके लिये अधिकारियों के पद तक पहुंचने के अवसर होंगे। इसके लिये सामयिक वेतनमान पदोन्नतियों और चयन द्वारा नियुक्तियों की व्यवस्था है। मैं एकदम तो इसकी प्रतिशतता नहीं बता सकता। ऐसे अधिकारी भारी संख्या में हैं जो पहले पहल सशास्त्र सेना के बहुत ही छोटे पदों पर नियुक्त हुए थे। यहां सामयिक वेतनमान पदोन्नतियां भी होती हैं। अतः वही दृष्टिकोण ध्यान में रखा गया है। परन्तु हमें यह भी याद रखना चाहिये कि स्थल सेना, नौ सेना

तथा वायु सेना को प्रभावपूर्ण बनाने के लिये अधिकारी पद के स्तर पर युवकों को भी भर्ती करना आवश्यक है और इसी लिये अधिकारी स्तर के लिये सीधी भर्ती जारी रहेगी।

Shri Yajna Datt Sharma: Is it a fact that on the 6th September, 1965, our land forces, on the Amritsar front, had to confront certain difficulties owing to lack of co-ordination between our land and air forces?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। जो कुछ माननीय सदस्य ने पूछा है, उसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि समन्वय था तो वह इस प्रश्न का भी उत्तर अब क्यों नहीं दे देते ?

श्री रणजीत सिंह : उनको नहीं मालूम कि 6 सितम्बर को वहां क्या हुआ।

श्री वेंकटारामा नायडू : क्योंकि राष्ट्रपति ही तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष हैं, तो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर स्वयं राष्ट्रपति ही उन सेनाओं की अध्यक्षता क्यों नहीं कर सकते ? अथवा किसी अवकाश प्राप्त मुख्य सेनापति को इन सेनाओं के अध्यक्ष के रूप में रखने का क्या कोई प्रस्ताव है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस सुझाव के बारे में गम्भीर नहीं हैं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिये क्या इन सेनाओं के बीच अन्तर्सेवा तबादले का कोई प्रस्ताव है, जैसा कि अन्य सेवाओं में किया जाता है ? क्या सरकार इस प्रकार इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह बात स्पष्ट है कि मैं विमान चालक को किसी जलयान पर, अथवा जल सेना के किसी कप्तान को हवाई जहाज पर नहीं बिठाया जा सकता। आखिर ऐसे प्रस्ताव के हास्य जनक पहलुओं की भी कोई सीमा होनी चाहिये।

पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लोग

+

*214. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दू अल्प-संख्यकों की जनसंख्या एक करोड़ 20 लाख से घटकर 70 लाख रह गई है, जबकि पूर्व पाकिस्तान से लगे हुए सीमा क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या बहुत बढ़ गई है;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्व पाकिस्तान से अब भी प्रतिमास हजारों हिन्दू तथा अन्य अल्प-संख्यक जातियों के लोग भारत में आ रहे हैं और यदि हां, तो वर्ष 1963 से अब तक कितने हिन्दू भारत में आये हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या इस मामले को पूर्व पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के नरसंहार के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ). विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान की हिन्दू जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख थी; वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान की हिन्दू जनसंख्या 94 लाख है। 1961 से अब तक पूर्वी पाकिस्तान से अनेक अल्पसंख्यक समुदायों के लोग भारत में आये हैं। तथापि, पूर्वी पाकिस्तान में इस समय रहने वाले हिन्दुओं की सही संख्या का पता नहीं है।

अल्पसंख्यक जातियों के असंख्य लोग, जिनमें हिन्दू भी शामिल हैं, प्रतिमास भारत में आते रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान से भारत में 1963 से अब तक जितने अल्पसंख्यक लोग आये हैं, उनके आंकड़ों का एक विवरण संलग्न है।

सरकार ने पाकिस्तान सरकार का ध्यान अल्पसंख्यकों की दयनीय दशा की ओर बार-बार दिलाया है और उन्हें 1950 के नेहरू–लियाकत समझौते में प्रतिपादित उन दायित्वों का स्मरण भी कराया गया है, जिनके अनुसार पाकिस्तान सरकार को उन्हें सुरक्षा, पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकारों की समानता प्रदान करनी चाहिये।

सरकार इस पक्ष में है कि नेहरू–लियाकत समझौते तथा ताशकन्द घोषणा के सिद्धान्तों के अन्तर्गत द्विपक्षीय आधार पर पाकिस्तान के साथ सब विवादों का निर्णय किया जाये। इन दोनों समझौतों में दोनों सरकारें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने पर सहमत हो गई थीं, जिनमें लोगों का एक दूसरे देश में आना-जाना बन्द हो जाये।

पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये हुए प्रवासियों का विवरण

वर्ष	पश्चिमी बंगाल	आसाम	त्रिपुरा	योग
1963 .	14,606	2,536	1,101	18,243
1964 .	4,19,321	1,73,782	1,00,039	6,93,142
1965 .	81,491	11,062	15,353	1,07,946
1966 .	4,057	1,854	1,654	7,565
1967 .	5,067	7,161	12,299	24,527
योग 1963–67	5,24,542	1,96,395	1,30,446	8,51,383
1968––				
जनवरी .	304	338	170	812
फरवरी .	393	394	254	1,041
मार्च .	409	496	347	1,252
अप्रैल .	193	641	201	1,035
मई . (10-5-68 तक)	66	400	243	709
	1,365	2,269	1,215	4,849
	5,24,642	1,96,595	1,30,446	8,51,383
कुल योग .	5,25,907	1,98,664	1,31,661	8,56,232

Shri O. P. Tyagi: In view of the fact that Pakistan has been forcing the people belonging to minorities to cross over to India or trying to convert them into Muslims in violations of the terms of Nehru-Liaquat Pact, since independence, whether Government have ever asked the Pakistan Government to give lands for the rehabilitation of those people who have come here from Pakistan or have thought of raising the issue of providing security to the minorities in U.N.O.; if not, the reasons therefor?

Shri B. R. Bhagat: There is no question of it and we have no intention of taking such a step. But it is a fact that Governments of both Pakistan and India have agreed under the said Pact to provide security and facilities to the minorities. We have always honoured the provisions of the Nehru-Liaquat Pact while Pakistan Government are persistently violating them. We have several times protested to Pakistan against it.

Shri O. P. Tyagi: May I know whether Government will take some steps other than that of reminding Pakistan Government of fulfilling their obligations under the Nehru-Liaquat Pact?

Shri B. R. Bhagat: It is not true that Government of one country had undertaken the responsibility of providing protection to the people belonging to minorities in the other country. But under the said Pact both the Governments had agreed to guarantee security and equality of rights to the people of minorities residing in their own countries.

श्रीमती सुशीला रोहतगी: चूंकि पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को भोजन, मकान और रोजगार देना पड़ता है जिसके लिये भारत में सीमित संसाधन हैं, इसलिये क्या सरकार ने उन कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है जिनसे वे भारत आने के लिये मजबूर हो जाते हैं ? क्या उन पर राजनैतिक दबाव डाला जाता है अथवा आर्थिक असुरक्षा और स्थिरता या धर्म परिवर्तन की बाध्यता के कारण वे पाकिस्तान छोड़ने के लिये मजबूर होते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : अल्पसंख्यकों द्वारा पाकिस्तान छोड़े जाने के अनेक कारण ह । उनमें से कुछ कारण वे भी है जो माननीय सदस्य ने बताये हैं । जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा आदि की जिम्मेदारी उस देश की सरकार पर है जिस में वे रहते हैं । भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के अन्तर्गत हम पाकिस्तान सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में उसकी जिम्मेदारी ही याद दिला सकते हैं, इससे परे हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से दोनों देशों के सम्बन्धों में तनाव आ जायेगा और समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी ।

श्री समर गुह : यह तो सरकार की कायरता का द्योतक है ।

श्री स० मो० बनर्जी : पूर्वी पाकिस्तान में अय्यूब सरकार के विरुद्ध जो लोकतंत्रीय और प्रगतिशील शक्तियों का आन्दोलन चल रहा है, उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या भारत सरकार उसे किसी प्रकार का प्रोत्साहन या सहायता देगी, क्योंकि इसके माध्यम से ही अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्राप्त हो सकती है ?

श्री ब० रा० भगत : किसी भी देश में लोकतंत्रीय आन्दोलनों की शुरुआत अच्छी ही होती है । परन्तु किसी बाहरी देश के लिये ऐसे आन्दोलन को सहायता देना उचित नहीं होता, क्योंकि ऐसे आन्दोलन को सहायता देने का मतलब होगा उस देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या हम इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि वहां किस प्रकार का आन्दोलन चल रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : अब श्री बनर्जी ने अपना प्रश्न बदल दिया है ।

श्री चिन्तामणि पाणीग्रही : पाकिस्तान में धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों पर किये जाने वाले अत्याचारों और धर्म परिवर्तन के मामलों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कोई अन्य कड़ा कदम उठाने का विचार कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : इस 'कड़े कदम' से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है ? वैसे तो अल्पसंख्यकों के मामले में हम पाकिस्तान सरकार से विरोध आदि प्रकट करते ही रहते हैं ।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रूस भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध सुधारने में रुचि ले रहा है और वह ताशकन्द घोषणा का अपने आपको अभिभावक मानता है, क्या सरकार ने रूस को इस बात से, रुस की यात्रा पर गये राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के माध्यम से अवगत कराया है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में भारत द्वारा किये गये विरोधों एवं अनुरोधों पर ध्यान नहीं दे रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : रूस तथा अन्य देशों की सरकारों को समय-समय पर हम इस बारे में बताते रहते हैं ।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : मैंने यह काम अवश्य किया था ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : भारत में होने वाली ऐसी छोटी मोटी घटनाओं को भी पाकिस्तान गम्भीर रूप देकर उन्हें संयुक्त राष्ट्रसघ के मानवीय अधिकार आयोग के समक्ष खींच ले जाता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पाकिस्तान सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों पर किये जाने वाले अत्याचारों के प्रश्न को मानवीय अधिकार आयोग के सामने उठायेगी, क्योंकि ऐसे प्रश्न को उठाने के लिये वही एक उपयुक्त मंच है ?

श्री ब० रा० भगत : यह तो ठीक है कि मानवीय अधिकार आयोग इसके लिये उपयुक्त मंच है । परन्तु भारत सरकार की यह नीति रही है कि सम्बन्धित सरकार को उसकी जिम्मेदारी से अवगत कराया जाये और ऐसा करना अल्पसंख्यकों के लिये अधिक हितकारी होता है । यदि सम्बन्धित सरकार इतने पर भी अपने उत्तरदायित्व नहीं निभायेगी तब आपके द्वारा बताया गया मार्ग हमारे लिये भी खुला है और हमें उसका पता है ।

श्री बल राज मधोक : कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन तो स्वीकार कर लिया परन्तु उसका जो तार्किक सिद्धान्त था उसे स्वीकार नहीं किया—वह था जनसंख्या का पूर्णतया स्थानान्तरण । डा० अम्बेदकर और श्री जिन्नाह ने भी इसी बात का समर्थन किया था । सरदार पटेल, श्री नेहरू आदि नेता विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल में गये थे और वहां के अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन दिया था कि उनके अधिकारों की सुरक्षा की जायेगी परन्तु उस समय पूर्वी पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख हिन्दु थे जो अब केवल 70 लाख रह गये हैं । इतना बड़ा नरसंहार का उदाहरण इतिहास में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय अधिकार आयोग के सामने उठायेगी ताकि कम से कम विश्व के देशों को यह विदित हो जाये कि पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर, जो भारत य एकता एवं भारतीय स्वतंता के समर्थक रहे हैं, इस प्रकार के अत्याचार किये जा रहे हैं ।

श्री ब० रा० भगत : हमने विभाजन का सिद्धान्त धार्मिक आधार पर नहीं माना था बल्कि एक राजनीतिक समस्या को हल करने के लिये माना था, विभाजन का सिद्धान्त श्री जिन्नाह के लिये वह हो सकता है जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया क्योंकि वह द्विराष्ट्रीय सिद्धान्त में विश्वास रखते थे। इसलिये श्री जिन्नाह के लिये हो यह तर्कसम्मत था कि दोनों देशों की जनसंख्या का पूर्णतः स्थानान्तरण हो ।

जहां तक इस प्रश्न को मानवीय अधिकार आयोग के समक्ष उठाने का प्रश्न है, वह माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव है, जिस पर यथास्थिति विचार किया जायेगा और इस समय उसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।

Shri Abdul Ghani Dar: May I know whether Government will publish a document containing account of the attrocities committed by Pakistan Government on the minorities there and also regarding a number of communal riots which took place in India, in which lakhs of Muslims were murdered and none was penalized for that so far, as allegedly Pakistan?

An Hon. Member: He is pleading for Pakistan here.

(अन्तर्बाधाएं)

श्री बलराज मधोक : 1 करोड़ 15 लाख से घटकर केवल 70 लाख लोग रह गये हैं . . .
(अन्तर्बाधाएं)

श्री अब्दुल गनी दार : आप लाखों मुसलमानों की हत्याओं के लिये जिम्मेदार हैं ।

श्री बलराज मधोक : आप पाकिस्तानी एजेंट हो । आप सभा में इस प्रकार से किसी सदस्य पर आरोप नहीं लगा सकते । आप देश-द्रोही हैं ।

Shri Kanwarlal Gupta: Shri Ghani had no right of making such allegations. He should withdraw his words.

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जायें । प्रश्न पूछे जाने के पश्चात् उसका उत्तर आना चाहिये । उत्तर के बिना ही प्रश्न को दबा देना खतरनाक होता है ।

श्री बलराज मधोक : यह प्रश्न कार्यवाही वृतान्त से निकलवा दिया जाये। यह भारत की संसद है, पाकिस्तान की संसद् नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachwai: It should be expunged.

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जायें । श्री दार, आप भी बैठ जायें । इससे आगे प्रश्न पूछने की अनुमति अब आपको नहीं दी जायेगी, क्योंकि आपके प्रश्न से पहले ही कठिनाई पैदा हो गई है । काफी कुछ हो चुका है । अब मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री अब्दुल गनी दार : *

श्री भोगेन्द्र झा : * *

* कार्यवाही वृतांत में सम्मलित नहीं की गई ।
Not recorded.

अध्यक्ष महोदय इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मलित न किया जाये ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : निसंदेह यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में हो रही घटनाओं और भारत में हुई घटनाओं में कोई समानता नहीं है । मैं इस बात से इन्कार नहीं करती कि हमारे देश में कुछ ऐसी अशोभनीय घटनाएं घटी है जो नहीं घटनी चाहिये थीं । हम सतत प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और हमारा देश धर्म निरपेक्ष बना रहे । सभी अल्पसंख्यकों—चाहे वे मुसलमान हों, ईसाई हों अथवा कोई अन्य—संरक्षण प्रदान करेंगे । चूंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है इसलिये हम इसके समाधान के लिये सभी विरोधी दलों का सहयोग चाहते हैं । पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके प्रति हम सजग हैं । कुछ लोगों को तो कई कारणों से पाकिस्तान छोड़ना पड़ा है । हमने उन्हें यहाँ शरणार्थी के रूप में अपनाया है । परन्तु यह समस्या आर्थिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी समस्या है । फिर भी इन लोगों को ठीक ढंग से बसाने के लिये हम प्रयत्नशील हैं । साथ ही मैं सभा से तथा प्रश्नकर्त्ता से यह अनुरोध करूंगी कि सभा में ऐसे प्रश्न न पूछे जायें जिससे उत्तेजनात्मक वातावरण पैदा हो जो अल्पसंख्यकों के लिये और भी अहितकर सिद्ध हो । सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि वे सभा में आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में न पड़ें । ऐसा करने से समस्या हल होने की बजाय और जटिल रूप धारण करेगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

माइकल रोस का नागालैंड में जाना

*215. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'संडे आवजर्वर' का विशेष संवाददाता, श्री माइकल रौस, छिपकर नागालैण्ड गया था और वह वहां पर एक महीने से अधिक समय तक ठहरा था;

(ख) जब तक वह वहां पर ठहरा, क्या उसने छिपे हुए नागाओं के साथ मुलाकात की थी और भारत विरोधी प्रचार किया था; और

(ग) वहां पर कड़ी पर्मिट व्यवस्था होने के बावजूद भी वह कैसे नागालैण्ड में घुसा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) श्री माइकल रौस के, जिन्हें लन्दन से प्रकाशित समाचार-पत्र, "द आवजर्वर" अपना विशेष संवाददाता कहता है, नागालैण्ड में प्रवेश करने की खबर के बारे में भारत सरकार को कोई निश्चित जानकारी नहीं है । बहरहाल, सरकार को इतना मालूम है कि एक दूसरे नाम का एक विदेशी पर्यटक, जिसे असम में काज़ीरंगा शिकारगाह जाने का परमिट दिया गया था, जनवरी 1968 में किसी समय चोरी-छिपे नागालैंड भी गया था । जिला प्राधिकारियों ने उसे पकड़ने की भी कोशिश की थी लेकिन वह भाग निकला ।

(ख) इस मामले में सरकार को "द आवजर्वर" में प्रकाशित लेख से अधिक और कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) स्वयं लेखक का बयान है कि वह छिपे नागाओं की सहायता से भेष बदल कर चोरी-छिपे नागालैंड में पहुंच गया ।

डा० धर्म तेजा का प्रत्यर्पण

*216. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० धर्म तेजा के विरुद्ध की जा रही प्रत्यर्पण कार्यवाही में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उसके कब तक देश में लाये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या डा० तेजा के प्रत्यर्पण में सरकार को कोई कठिनाई हो रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). डा० धर्म तेजा और श्रीमती तेजा के प्रत्यर्पण की हमारी प्रार्थना अभी कोस्टारिका के सर्वोच्च न्यायालय में ही विचारार्थ पेश है; कोस्टारिका की सरकार ने हमारी प्रार्थना सलाह के लिए गत मार्च में अपने सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजी थी। उम्मीद है कि कोस्टारिका की सरकार की अनुमति मिलते ही उनके प्रत्यर्पण का प्रबन्ध किया जाएगा।

योजना आयोग

*217. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना क्षेत्र में केन्द्र तथा राज्यों के बीच संघर्ष तथा अन्तर्विरोधों को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार योजना आयोग का विकेन्द्रीकरण करने का है;

(ख) क्या योजना बनाने में पंचायतों को सम्बद्ध करने का भी कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी राज्य योजना व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) आयोजन तंत्र सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया है। राज्य योजना स्कीमों से सम्बन्धित विषयों के बारे में योजना आयोग तथा राज्यों के पृथक्-पृथक् क्या कर्तव्य होंगे इस बारे में सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश मान ली है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्यों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है। मई, 1968 में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक के सामने भी ये सिफारिशें रखी गई थीं। राज्य तथा निम्न स्तरों पर आयोजन के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जाय इस पर विचार करना मुख्यत: राज्य सरकारों का काम है।

Small Scale Industries

*218. **Shri Kanwar Lal Gupta:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government have advised the States to take up the development and expansion of small scale industries in the Fourth Five Year Plan;

(b) whether it is also a fact that other industries would be set up only for consumer goods;

(c) whether it is further a fact that the Planning Commission has suggested a development levy on big farmers; and

(d) if so, the reaction of State Governments thereto?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). No, Sir.

(d) Does not arise.

Pakistan Military activities in Pak-occupied Kashmir

*219. **Shri Hukam Chand Kachwai:**
Shri G. S. Reddi:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Pakistan have accelerated its military activities in the Pakistan-occupied Kashmir area;

(b) whether it is also a fact that Pakistan have set up some military training centres in the area where training is imparted by Chinese officers; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) As far as Government are aware there is no substantial intensification of military activities of Pakistani forces across the cease-fire line in J. & K.

(b) Government are aware of the training being imparted by Chinese instructors to Pakistani personnel in guerilla tactics etc.

(c) Adequate measures have been taken to safeguard the security of our country.

Sainik Samachar

*220. **Shri Kameshwar Singh:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the services of the journalists working in Sainik Samachar are not permanent and there is irregularity in their appointment and promotion;

(b) whether it is also a fact that many journalists are working in the said Journal for many years but neither have they been confirmed so far nor their cases considered for promotion according to the rules;

(c) whether it is further a fact that lesser number of copies of this Journal are published now; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) and (b). No, Sir. The total number of journalistic posts in Sainik Samachar is 40, of which 32 posts are permanent and 8 posts are temporary. One post of Sub-Editor and six posts of Assistant Journalist are vacant at present. Of the incumbents of the remaining 33 posts, 19 are permanent Government servants holding substantive appointments either in Sainik Samachar or elsewhere under the Ministry of Defence. Action is under way to effect confirmations/promotions of eligible employees against the available posts in accordance with the recruitment rules, which have recently been finalised.

(c) and (d). Yes, Sir. The circulation figure of Sainik Samachar which had shot up to 28,000 approximate copies per week soon after the Indo-Pak conflict in 1965, has come down to 20,000 copies approximate per week. This still compares favourably with the average circulation figure of the Journal during 1962 to 1965.

No detailed investigation to ascertain the reasons for the fall in the circulation figures has been undertaken, although the lifting of the emergency and the consequential reduction in the number of personnel entitled to Sainik Samachar on special concessional rate of Rs. 3/- per annum as against the concessional rate of Rs. 6/- per annum mainly account for the fall in circulation.

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की मांगें

*221. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छंटनी को रोकने, छंटनी किए गये व्यक्तियों को वैकल्पिक नौकरियों पर लगाने औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक अनुभागों के बीच के वर्गीकरण को समाप्त करने, कार्मिक संघों को मान्यता देने, सैनिक फार्मों को जारी किये गये छंटनी के नोटिसों को वापिस लेने तथा पेंशन की शर्तों के लिये इच्छा व्यक्त करने के बारे में सरकार ने प्रतिरक्षा कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). रक्षा सेविवर्ग की इन मांगों पर सरकार द्वारा विचार किया गया था। विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

(1) छंटनी की समाप्ति और छांटी किए गए व्यक्तियों का वैकल्पिक कामों में खपाया जाना।

रक्षा संस्थानों में बड़े पैमाने पर कोई छण्टी अपेक्षित नहीं है और न ही निकट भविष्य में कोई होने वाली है। फालतू लोगों को विद्यमान रिक्त स्थानों के विरुद्ध खपाने के सदा प्रयास किए जाते हैं। छण्टी किए गए व्यक्तियों को सेवा में पुनः खपाने के मामले में प्राथमिकता भी दी जाती है।

(2) औद्योगिक और गैर-औद्योगिक अनभागों में वर्गीकरण की समाप्ति।

औद्योगिक और गैर-औद्योगिक अनुभागों के बीच वर्गीकरण की समाप्ति से संबंधित रक्षा

कर्मचारियों की मांगों का सरकार को ज्ञान नहीं है, अगर आवश्यक जानकारी दी जाए, तो मामले का निरीक्षण किया जा सकता है। तदपि, जी० सी० एम० के कर्मचारिगण पक्ष ने औद्योगिक कर्मचारियों और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के बीच छुट्टी की हकदारी के सम्बन्ध में भिन्न भेद को दूर करने का प्रश्न हस्तगत किया है।

(3) संघों को मान्यता।

पूरी पूरी मान्यता दी जाती है यदि सभी निर्धारित शर्तें पूरी की जाएं।

(4) सैनिक फार्मों को दिए गए छण्टी के नोटिसों का वापस लिया जाना।

उपरोक्त 1 में दी गई स्थिति लागू होती है। सैनिक फार्मों के जिन सेविवर्ग ने "फार्म हैन्डज़" के संशोधित वर्गीकरण को स्वीकार नहीं किया, और इसलिए जिन्हें डिस्चार्ज के नोटिस दिए गए थे, उन्होंने अब तक पुनः वर्गीकरण स्वीकार कर लिया है, और इसलिये उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया है।

(5) पेन्शन का चयन

यह मांग औद्योगिक कर्मचारियों से सम्बन्धित जान पड़ती है। उन्हें पेंशनी प्रणाली चयन करने की अनुमति दी गई थी, या योगदत्त प्राविडेंट फण्ड लाभों को चुनने की। एक बार किया गया चयन नियमों के अधीन अन्तिम होता है, और चयन का नया अधिकार नहीं दिया जाता। हाल ही में औद्योगिक कर्मचारियों को पेन्शनी और योगदत्त प्राविडेंट फण्ड लाभों में एक और चयन का अधिकार देने के लिए एक फैसला किया गया है।

U.S.S.R. proposals on Disarmament

*222. **Shri Raghuvir Singh Shastri:**
Shri A. Sreedharan:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposals from the U.S.S.R. in regard to disarmament;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat): (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the Soviet Memorandum is placed on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-1530/68].

(c) The Government are studying the proposals. The same Memorandum was presented to the Eighteen Nation Disarmament Committee, where it will be discussed.

केनिया में रहने वाले भारतीयों के बारे में केनिया सरकार के साथ बातचीत

*223. **श्री क० लकप्पा :**
श्री बें० कृ० दासचौधरी :
श्री मीठालाल मीना :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केनिया में रहने वाले भारतवंशियों की स्थिति के बारे में केनिया सरकार के साथ कोई बातचीत की है ;

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत का मोटा ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). माननीय सदस्य यह भलीभांति जानते होंगे कि कीनिया में भारत-मूलक व्यक्ति या तो कीनिया के नागरिक हैं, या यू० के० के, या भारत के। समस्यायें उत्पन्न होने का कारण था राष्ट्रमंडल आप्रवास अधिनियम, जिसका असर ब्रिटिश पासपोर्टधारी भारत-मूलक व्यक्तियों पर पड़ा था। चूंकि इनकी जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार पर थी, इसलिए कीनिया सरकार से विरोध-प्रदर्शन करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अब भारत सरकार और यू० के० सरकार के बीच उन भारत-मूलक व्यक्तियों को फिर से बसाने की व्यवस्था की गई है जो ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर कीनिया में रह रहे हैं और जिनको कीनिया छोड़ने के लिये विवश किया गया है तथा जो भारत आना चाहते हैं।

चुनावों सम्बन्धी प्रसारण

*224. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनावों सम्बन्धी प्रसारणों के सम्बन्ध में आकाशवाणी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समझौता कराने के लिये किस स्तर पर प्रयत्न किए गए हैं; और

(ख) समझौता होने में क्या मुख्य कठिनाइयां पेश आ रही हैं तथा कौन-कौन से दल प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए हैं और उनका दृष्टिकोण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) और (ख). आकाशवाणी ने 1957, 1962 और 1967 के आम चुनावों के समय चुनाव प्रसारणों के लिये सुविधायें दी थीं किन्तु राजनैतिक दल रेडियो के उपलब्ध समय के विभाजन के सम्बन्ध में आपस में सहमत नहीं हो सके। इसलिये यह प्रस्ताव हर अवसर पर समाप्त करना पड़ा। इस सम्बन्ध में इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रसारणों के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई यह है कि वे (राजनैतिक दल) आपस में समझौता नहीं कर सकते।

1966 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सात राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक बैठक में कांग्रेस के प्रतिनिधि ने कहा कि यदि कोई ऐसा अच्छा विकल्प नहीं मिल सकता जो सभी राजनैतिक दलों को मान्य हो तो कांग्रेस दल का रवैया वही रहेगा जो उसने 1961 में अपनाया था कि सभी दलों को एक-एक प्रसारण की अनुमति दी जाये और उसके लिये उन्हें बराबर समय दिया जाये और कांग्रेस दल को उत्तर के लिये अन्त में एक अतिरिक्त प्रसारण का अवसर दिया जाये। विचार-विमर्श के पश्चात् कांग्रेस के अतिरिक्त सभी दलों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हो गये कि प्रत्येक दल को राष्ट्रीय हुक-अप पर 15–15 मिनट के तीन वार्तालाप प्रसारित करने दिये जाने चाहिएं और कांग्रेस को उत्तर के लिये अतिरिक्त प्रसारण का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए; लेकिन वह अन्त में प्रसारण कर सकती है। तथापि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

भारतीय सेना का पुनर्गठन

*225. श्री विश्वनाथ मेनन : श्री ई० के० नायनार :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेना का पुनर्गठन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

केनिया निवासी एशियाई लोगों के लिये वीजा प्रणाली

*226. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश पारपत्र रखने वाले केनिया निवासी भारत-मूलक एशियाई लोगों के लिये वीजा प्रणाली को नर्म करने का निर्णय किया गया है;

(ख) क्या प्रतिबन्ध पूर्णतया नहीं हटाये गये हैं; और

(ग) किस सीमा तक रियायतें देने का विचार है तथा प्रतिबन्धों को पूर्णतया न हटाये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). ब्रिटिश पासपोर्ट-धारी भारतमूलक एशियाइयों की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की है और इसलिए वीज़ा नियमों का उन पर से हटा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। बहरहाल, दयापूर्ण और मानवीय आधार पर ऐसे लोगों को अपेक्षाकृत ज्यादा समय के लिये प्रवेश देने का विचार है जिनके लिए भारत आना नितांत आवश्यक हो। वीजा प्रणाली में किस सीमा तक ढील दी गई है इस बारे में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1531/68]

प्रतिरक्षा विभाग में असैनिक कर्मचारियों का मजूरी ढांचा

*227. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों के मजूरी ढांचे के बारे में विचार करने के लिए श्रेणीकरण न्यायाधिकरण/बोर्ड नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) न्यायाधिकरण/बोर्ड शीघ्र स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). रक्षा सिब्बन्दियों के असैनिक कर्मचारियों के लिये एक क्लासीफिकेशन ट्रिबुनल की नियुक्ति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया गया था और एक से अधिक बार अस्वीकार कर दिया गया था। तदपि, यह प्रस्ताव एक बार फिर विचाराधीन है।

सेना अधिकारियों का विदेशी महिलाओं के साथ विवाह

*228. श्री पी० राममूर्ति :   श्री अनिरुद्धन :
श्री गणेश घोष :   श्री उमानाथ :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कुछ सेना अधिकारियों ने विदेशी महिलाओं के साथ विवाह किया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कुछ सेना अधिकारियों की पत्नियां विदेशी मिशनों में काम करती रही हैं;

(ग) यदि हां, तो उन सेना अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसी विदेशी महिलाओं के साथ गत पांच वर्षों में विवाह किया है;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इन विवाहों के परिणामों का अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए क्या पूर्वोपाय किये गये हैं कि इन अधिकारियों की पत्नियों के माध्यम से सैनिक भेद न खुलें ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) 6 अफसरों को पिछले 5 वर्षों में विदेशी राष्ट्रिक से विवाह करने की अनुमति दी गई थी, तीन अफसरों की पत्नियों ने पिछले पांच वर्षों में विदेशी दूतावासों में काम किया था। वर्तमान प्रथा के अनुसार एक एक अफसर के नाम, ऐसे मामलों में प्रकट नहीं किए जाते।

(घ) जी हां।

(ङ) जो सेना सेविवर्ग विदेशी राष्ट्रिकों से विवाह करना चाहते हैं उन्हें ऐसा विवाह सम्पन्न करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है। ऐसी अनुमति नहीं दी जाती कि जहां ऐसा मानने के कारण हों कि सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी।

भारतीय सांख्यिकी संस्था, बाड़ा नगर (कलकत्ता) के लिए इलेक्ट्रानिक संगणक

*229. श्री मुहम्मद इस्माइल :   श्री वि० कु० मोदक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांख्यिकी संस्था, बाड़ा नगर कलकत्ता में एक इलेक्ट्रानिक संगणक लगाया जायेगा;

(ख) क्या संगणक की स्थापना के बारे में कर्मचारी संघ के साथ कोई विचार-विमर्श किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे;

(घ) क्या यह सच है कि संगणक लगाये जाने के फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारियों की छटनी होने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). जी, हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब में परमाणु बिजलीघर

*230. **श्री रा० रा० सिंह देव : श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उस राज्य में एक परमाणु बिजलीघर स्थापित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). उत्तरी क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न साधनों का अधिकतम आर्थिक उपयोग करने के उद्देश्य से नये परमाणु बिजलीघर बनाने के प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है । राज्य सरकार के प्रस्ताव पर उपरोक्त अध्ययन के परिणामों तथा चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में बिजली की कुल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विचार किया जायेगा ।

Indian Jawans taken prisoners by Pakistan

*231. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the present number of jawans of the Indian border patrol parties and the P.A.C. of Uttar Pradesh taken prisoners by Pakistan, their names and home towns; and

(b) the steps Government propose to take to get them released from Pakistani jails?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat): (a) The latest position is being ascertained.

(b) Protests have been made to the Government of Pakistan against the continued detention of Indian personnel. The proposal to exchange some of them with Pakistan police personnel who are under detention in India is also under the consideration of the Government.

काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का वक्तव्य

*232. **श्री वि० ना० शास्त्री : श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान

के विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी नेशनल असेम्बली में यह घोषणा की है कि पाकिस्तान काश्मीर में युद्धविराम रेखा को कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकार ने अखबारों में इस आशय की खबरें पढ़ी हैं।

(ख) हमारी स्थिति सुविदित है और वह यह है कि समस्त जम्मू और काश्मीर राज्य जो 1947 में भारत में शामिल हो गया था भारत संघ का अभिन्न अंग है।

Rules in force in Indian Armed Forces

***233. Shri Atal Bihari Vajpayee:**
Shri Bal Raj Madhok:
Shri Narain Swarup Sharma:
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Shardanand:
Shri Ranjit Singh:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain Rules which were in force in the Indian Armed Forces about a 100 years ago are still applicable there;

(b) if so, whether Government propose to revise them;

(c) whether Government propose to appoint any Commission to consider and take a decision on the whole matter; and

(d) if so, when and if not, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) The Indian Air Force and the Indian Navy are not old enough to have rules in force about a hundred years ago. In the Army, some old provisions which hold good even in the present set up, are continuing.

(b) The concerned Acts, Rules and Regulations are periodically revised/ amended when found necessary. This has been a continuing process since 1950.

(c) and (d). Government do not propse to appoint any Commission as the revision is being tackled departmentally and no difficulty has been experienced.

एंग्लो-फ्रेन्च जगौर सुपरसानिक फाइटर का निर्माण

*234. **डा० रानेन सेन :** **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कारपोरेशन ने भारत में एंग्लो–फेंच जगौर सुपरसानिक फाइटर के निर्माण के लिये सहयोग देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या शर्तें रखी हैं; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कारपोरेशन ने जगौर विमानों के अभिनय के प्रदर्शन की पेशकश की है । भारत में इस विमान के निर्माण के लिये सहयोग की किन्हीं शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया, परन्तु प्रदर्शन के पश्चात् अगर उत्पादन का विचार किया गया, तो ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कारपोरेशन विमान के भारत में निर्माण के लिये लाईसेंस देने के लिये सहमत हो जायेगी । मामला विचाराधीन है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा सामग्री का उत्पादन

*235. **श्री लेबो प्रभु** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में प्रतिरक्षा पूर्ति विभाग के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितने मूल्य की सामग्री का उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र से पूछा है कि क्या वे इस समय आयात किये जाने वाले सामान का उत्पादन कर सकते हैं और यदि हां, तो इन चीजों के नाम क्या हैं; और

(ग) अनुसंधान तथा विकास संगठन से नये उपकरणों के उत्पादन के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र का क्या तकनीकी मार्गदर्शन किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). रक्षा सप्लाई विभाग अब तक आयात की गई रक्षा मदों के निजी क्षेत्र में उत्पादन स्थापित करने के विशेष कार्य हस्तगत करता है । भिन्न श्रेणियों में आने वाले विभिन्न मदों, जैसे कि गाड़ियां, आयुधों, वैद्युति और इलेक्ट्रानिक सामान, मेरीन तथा इंजीनियरी सामान के निर्माण के लिये, कि जिनकी संख्या 4000 से अधिक है, आर्डर भेज दिये गये हैं । सफलतापूर्वक उत्पादित की गई मदों में शामिल है कुछ क्रांतिक और साफिस्टिकेटिड मदें । इस उद्देश्य के लिये विभाग को रक्षा इन्स्पेक्टोरेट और डिफेंस रिसर्च तथा डिवलपमेंट संगठन की पूरी-पूरी सहायता प्राप्त है, उन सभी फर्मों को जिन्हें आर्डर भेजे जाते हैं पर्याप्त सहायता दी जाती है ।

गुड़गांव के किसानों का प्रतिनिधि-मंडल

*236. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 सितम्बर, 1967 को गुड़गांव जिले के गरीब किसानों का एक प्रतिनिधि-मंडल उनसे मिला था;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों ने उनको एक ज्ञापन पेश किया था, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने इस मामले की जांच कराने और आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) श्री अब्दुल गनी दार संसद् सदस्य के नेतृत्व में ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि दल ने 18 जुलाई, 1968 को प्रधान मंत्री से भेंट की थी । इस सम्बन्ध

में गाहे बगाहे अन्य विभिन्न दल भी प्रधान मंत्री से भेंट करते रहे हैं, और ऐसा एक दल उन्हें 27 सितम्बर, 1967 को भी मिला था।

(ख) जो प्रतिनिधि दल प्रधान मंत्री को 18 जुलाई, 1968 को मिला था उसने उन्हें मुआवजे की अदायगी में विलम्ब की शिकायत करते हुए एक स्मरणपत्र उन्हें भेंट किया था।

(ग) उन्होंने प्रतिनिधियों को बताया है कि मामले की जांच की जायेगी, और उनका स्मरण-पत्र रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया था।

(घ) 415एकड़ भूमि को अधिग्रहण से विमुक्त करने का जो रक्षा जरूरतों के लिये आवश्यक नहीं रहा, और शेष को अर्जित करने का फैसला किया गया है, जिसके लिये कार्यवाही हस्तगत है।

लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग में गैर-भारतीय कर्मचारी

*237. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग के गैर-भारतीय कमचारियों ने हाल ही में अपनी शिकायतों तथा मांगों के बारे में अभ्यावेदन पेश किया था;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). जी, हां। कुछ स्थानीय रूप से भर्ती किये हुए क्लर्कों ने, जिनमें गैर-भारतीय भी शामिल हैं, अपने वेतन और भत्ते की अपर्याप्तता के प्रति विरोध-प्रदर्शन किया है।

(ग) सरकार ने इन विरोध-प्रदर्शनों पर विचार किया और एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में निर्वाह-व्यय भत्ते में 1-4-1968 से पूर्व व्याप्ति सहित वृद्धि कर दी। उनकी सेवा की शर्तों के और अधिक युक्तिकरण के प्रश्न की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

लंका के विनिमय विनियमों में परिवर्तन

*238. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका सरकार ने हाल ही में विनिमय विनियमों में परिवर्तन किया है जिसके अनुसार भारत–लंका समझौते के अन्तर्गत लंका से प्रत्यावर्तन करने वाले व्यक्तियों को लंका से अपनी आस्थियां स्थानान्तरित करने के लिये काफी अधिमूल्य (प्रीमियम) देना होगा;

(ख) यदि हां, तो नये विनियम क्या हैं, उनमें क्या-क्या परिवर्तन किये गये हैं; और

(ग) लंका से प्रत्यावर्तन करने के इच्छुक व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). श्रीलंका से बाहर के कतिपय वर्गों की निधियों के स्थानांतरण के लिये विदेशी विनिमय की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में, श्रीलंका सरकार ने मई, 1968 में अपने विनियमों में संशोधन कर दिया है। ऐसे उद्देश्यों के लिये विदेशी विनिमय के लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों से अब यह अपेक्षित है कि वे विदेशी विनिमय अधिकार प्रमाण-पत्र खरीद लें जिनको प्रस्तुत करने पर श्रीलंका के प्राधिकृत बैंक विदेशी

विनिमय दे देते हैं। रुपये 100 के मूल्य का विदेशी विनिमय देने के लिये श्रीलंका सरकार रुपये 44 शुल्क के रूप में लेती है। इसको यदि प्रत्यावर्तित व्यक्तियों की आस्तियों पर लागू किया गया तो इससे उनकी आस्तियों में काफ़ी कटौती हो जायेगी। हमारे हाई कमिश्नर ने इस मामले को श्रीलंका के अधिकारियों के साथ उठाया है। उनके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

लाहौल-स्पिति क्षेत्र में सीमा सड़कें

*239. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने मई, 1968 में हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पिति सीमा क्षत्रों में सीमा सड़कों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिये उस क्षेत्र का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया गया और यह कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा नहीं हो रहा;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र के लोगों ने अप्रैल–नवम्बर के महीनों में हैलीकाप्टर द्वारा डाक सेवा की मांग की है और मंत्री जी ने इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था; और

(घ) यदि हां, तो सड़कों के निर्माण कार्य में शीघ्रता लाने हेतु और हैलीकाप्टर द्वारा डाक सेवा चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मनाली-लेह सड़क पर कई जगह काम शैडूल से पिछड़ा है।

(ग) क्षेत्र के लोगों ने सर्दियों के मौसम में हेलिकोप्टर द्वारा डाक सेवा पुरस्तावित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में अभिवेदन दिया था। इसका संचार मंत्रालय में निरीक्षण किया जा रहा है।

(घ) मनाली–लेह सड़क का निर्माण शीघ्रता से करने के लिये पग उठाये जा रहे हैं। हेलिकाप्टर द्वारा डाक सेवा पुरस्तावित करने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है।

राष्ट्रीय एकता समिति

*240. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में मंत्रणा देने के लिये प्रचार के माध्यम पर विशेषज्ञों की एक समिति स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो समिति कब अपना कार्य आरम्भ करेगी और इसके निर्देश पद क्या होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) और (ख). इस मामले पर गृह और शिक्षा मंत्रालयों के साथ मिलकर विचार हो रहा है।

डा० धर्म तेजा की आस्तियां

1867. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में डा० धर्म तेजा की आस्तियां हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी आतिस्यों की कुड़की कराने के लिये कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) इस दिशा में पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है ।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों को भेजे गये निरीक्षण दल

1868. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित राजनयिक दूतावासों का अध्ययन करने के लिये सरकार ने गत तीन वर्षों में कितने निरीक्षण दल भेजे;

(ख) प्रत्येक दल में कितने व्यक्ति भेजे गये थे और उनकी पदस्थिति क्या थी, वे कहां-कहां गये और प्रत्येक जगह कितने दिन ठहरे;

(ग) इन निरीक्षण दलों के भेजने पर भत्ते, विमान भाड़े तथा विदेशी मुद्रा के रूप में दल-वार कितना खर्च आया; और

(घ) उन्होंने क्या-क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं और किन-किन दूतावासों के सम्बन्ध में कौन-कौन सी सिफारिशें क्रियान्वित हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) विदेश सेवा निरीक्षण दल ने जुलाई 1966 से जून, 1968 के तीन वर्षों में पांच बार दौरा किया ।

(ख) इस दल में विदेश और वित्त मंत्रालयों का एक-एक संयुक्त सचिव था और उनके साथ मंत्रालय के कर्मचारिगण भी थे। इस दल ने जिन-जिन मिशनों/केन्द्रों का दौरा किया और वहां जितने-जितने दिन लगाए उनका एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1532/68**]

(ग) यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और बाद में पेश कर दी जाएगी ।

(घ) निरीक्षण दल ने जो सिफारिशें की थीं उनमें ये भी शामिल हैं : भारत-आस्थानी कर्मचारियों के भत्तों और किराया की अधिकतम सीमा में संशोधन, स्थानीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन, अमले में कमी, इमारतों का निर्माण और संपत्ति की अधिग्रहण तथा अन्य प्रशासकीय और सिब्बंदी संबंधी मसले । ज्यादातर मामलों में सिफारिशों पर अमल शुरू हो गया है । लेकिन जहां अमले में कमी का दूसरे मंत्रालयों पर असर पड़ता है, वहां सभी मामलों में अंतिम कार्रवाई अभी नहीं की गई है क्योंकि उन मंत्रालयों के साथ विचारविमर्श हो रहा है । इमारतों के निर्माण और संपत्ति के अधिग्रहण का प्रश्न भी विदेशी मुद्रा की सहूलियत से जुड़ा हुआ है और इसे अंतिम रूप देने में समय लगेगा ।

प्रूफ एण्ड ऐक्सपैरीमैन्टल विभाग, चान्दीपुर (बालासौर)

1869. **श्री स० कुण्डू :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमैन्टल विभाग चान्दीपुर बालासोर में एक श्रम अधिकारी के पद की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रूफ एण्ड एक्सपैरिमेंटल, विभाग, चान्दीपुर, बालासोर में तीसरी

तथा चौथी श्रेणी के पदों के लिए विभिन्न सेना मुख्यालयों से कितने भूतपूर्व सैनिकों को भेजा गया है और उक्त अवधि में ऐसे कितने व्यक्तियों ने संस्थान को छोड़ा है; और

(ग) क्या सरकार ने तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिये अनुदेश दिये हैं ? .

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) ऐसी तरजीह के लिए नियमों में कोई स्थान नहीं है फालतू सेविवर्ग को खपाने के पश्चात् चतुर्थ श्रेणी के रिक्त स्थान रोजगार दिलाने वाले कार्यालय को घोषित कर दिए जाते हैं । तृतीय श्रेणी की नियुक्तिएं केन्द्रीय रोजगार दिलाऊ कार्यालय को घोषित करना होती हैं ।

एलप्पी में शक्तिशाली ट्रांसमीटर

1870. **श्री विश्वम्भरन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 13 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3870 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलप्पी के निकट एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने का काम इस बीच में आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) ट्रांसमीटर लगाने के स्थान का एक भाग अर्जित कर लिया गया है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को भवन बनाने की स्वीकृति दे दी गई है ।

(ख) भवन तैयार हो जाने के बाद ट्रांसमीटर लगाया जायेगा ।

आलू अनुसंधान संस्था का स्थान

1871. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 जुलाई, 1968 के 'टाइम्स आफ़ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सूचना अधिकारियों ने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा हाल ही में आमंत्रित पत्रकारों को दिये गये परिपत्र में यह बताया है कि पंजाब आलू अनुसंधान संस्था शिमला के बजाय जालन्धर में थी; और

(ख) यदि हां, तो उच्च स्तर पर इस अनभिज्ञता के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है कि सूचना अधिकारियों को सही तथा पूरी जानकारी रहे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). जी नहीं । अखबारों में छपा समाचार गलत था । प्रेस के जिस भ्रमण की योजना 25–27 जुलाई को की गई थी उसमें जालन्धर की आलू अनुसन्धान संस्था की यात्रा भी सम्मिलित थी और सूचना अधिकारी के 9 जुलाई के परिपत्र में यह बात उल्लिखित थी । भ्रमण समाचारपत्र संस्थापन में हड़ताल होने के कारण स्थगित किया गया था, इस लिये नहीं कि संस्था के स्थान के बारे में किसी गलती का

पता लगा था । केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्था के यूनिट विभिन्न केन्द्रों पर हैं जिसमें जालन्धर तथा शिमला भी है ।

सैनिक स्कूल

1872. श्री प्र० र० ठाकुर : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 28 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2142 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूलों में दाखिले के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). इस आश्वासन को पूरा करने के लिये संसद-कार्य मंत्री ने सभा-पटल पर एक विवरण रखा है ।

प्रधान मंत्री की हाल की आस्ट्रेलिया तथा अन्य एशियाई देशों की यात्रा के लिये उन्हें दी गई विदेशी मुद्रा

1873. **श्री जार्ज फरनेंडीज** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री तथा उसके दल के सदस्यों की आस्ट्रेलिया और अन्य एशियाई देशों की हाल की विदेश यात्रा के लिये उनके लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा मंजर की गई थी ;

(ख) प्रधान मंत्री के साथ जो व्यक्ति गये थे उनके नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक के लिये कितनी कितनी विदेशी मद्रा मंजूर की गई थी; और

(ग) क्या उन सभी व्यक्तियों से कोई विवरण प्राप्त हो गया है जो विदेशी मुद्रा विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) प्रधान मंत्री और सरकारी दल के सदस्यों की सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलयेशिया की यात्रा के दौरान कुल मिलाकर अनुमानत, 34,910 रु० के बराबर मूल्य की विदेशी मुद्रा खर्च हुई ।

(ख) प्रधान मंत्री के साथ जो अधिकारी गए थे उनके नाम सभा पटल पर रखी गई सूची में दिए गए हैं [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1533/68**] उनमें से प्रत्येक को (श्री एस० सी० भट्ट को छोड़कर 378 रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा मंजूर की गई थी ।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार इस तरह के मामलों में हिसाब नहीं देना होता ।

Dismissal of employees of Sainik School, Tilayya

1874. Shri Bhogendra Jha: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Principal of the Sainik School, Tilayya

has dismissed four employees of his office from service without asking for their explanations; and

(b) whether Government have ascertained the reasons for termination of their services; and

(c) if so, whether Government propose to reinstate them?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) to (c). Information is being collected and a statement will be laid on the Table of the House in due course.

चीन से विद्रोही नागा नेता की वापसी

1875. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि छिपे नागा राष्ट्रीय परिषद का महा सचित हाल में चीन से वापस आ गया है।

(ख) क्या भारत—बर्मा सीमा तक उसे चीनियों के संरक्षण में पहुंचाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बात की ओर बर्मा सरकार का ध्यान दिलाया गये है; और

(घ) सरकार नागालैंड में उस की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) 24 जुलाई, 1968 को अतारांकित प्रश्न सख्या 684 के भाग (ग) के उत्तर में सदन में छिपे नागाओं की गप्त गतिविधियों के बारे में सूचना दी गई थी किन्तु यह सूचना वर्गीकृत है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

"केरल" नाम की पुस्तक का प्रकाशन

1876. **श्री प० गोपालन :**
श्री नायनार :
श्री चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के प्रकाशन विभाग ने 'केरल' नाम की पुस्तक प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पुस्तक के अनुसार औजारों का कारखाना पहले ही केरल में स्थापित हो चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ध्यान पुस्तक में छपी गलत रिपोट की ओर दिलाया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) यह पुस्तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है ।

(ख) खेद है कि पुस्तक के सम्बन्धित अंश तथ्य बताने वाले औजारों का कारखाना खोलने का वर्णन ठीक नहीं है ।

(ग) जी, हां । पुस्तक के अगले संस्करण में आवश्यक सुधार कर दिया जायेगा ।

कलकत्ता और मिदनापुर में जून, 1968 में विचित्र प्रकार की वर्षा

1877. **श्री चपलकान्त भट्टाचार्य :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता और मिदिनापुर में 18 जून, 1968 को हुई विचित्र प्रकार की वर्षा की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या वर्षा की बूंदों से कारों पर मिट्टी के निशान पड़ गये थे; और

(ग) क्या ऐसा रेडियोधर्मी के कारण हुआ था ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख). मौसम विज्ञान अधिकारियों द्वारा किये गये अध्ययनों के परिणामों के अनुसार इस गंदी वर्षा का कारण यह था कि अंधड़ के कारण धूल ऊंचाई पर चलाने वाली वायु तरंगों में मिल गई तथा वही धूल बाद में वर्षा के पानी के साथ नीचे आ गई ।

(ग) जी, नहीं ।

चीन में प्रशिक्षित नागाओं द्वारा भारतीय सेना की वर्दी का प्रयोग

1878. **श्री क० लकप्पा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन में प्रशिक्षित नागा भारतीय सेना की वर्दी का प्रयोग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नागाओं की संख्या कितनी है, ; और

(ग) विद्रोही नागाओं को सेना की वर्दियां बेचे जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि जैतूनी हरे रंग की वर्दियां, कि जो रंग इस समय भारतीय सेना में इस्तेमाल हो रहा है, कुछ नागा भूगर्भ से विवर्ग द्वारा पहनी जा रही है ।

(ख) ऐसे भूगर्भ नागाओं का ठीक ठीक अनुमान प्राप्य नहीं है कि जो जैतूनी रंग की वर्दियां पहनते हैं ।

(ग) सेवा योग्य भारतीय सेना की वर्दियों और जैतूनी रंग के कपड़े के बाजार में क्रय के लिए साधारणतः अनुमति नहीं है, तथापि, ऐसा संभव है कि भूगर्भ नागा नीलामी में निपटारा की गई सेवा के अयोग्य वर्दियां और जैतूनी रंग का घटिया कपड़ा अन्तःक्षिप्त तौर पर, प्राप्त कर पाने में समर्थ हो गए हों ।

हिमाचल प्रदेश के लिये चौथी योजना का नियतन

1879. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हिमालय प्रदेश के विकास मंत्री का वक्तव्य, जो 6 जन, 1968 को समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था और जिस में कहा गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये 173 करोड़ रुपये की आवश्यकता में से हिमाचल प्रदेश के लिये केवल 95 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं ; ठीक है ;

(ख) यदि हां, तो आवश्यकताओं को घटा कर 55 प्रतिशत तक कर देने के क्या कारण हैं, विशेषकर जब कि नवम्बर, 1966 में दिये गये पुनर्गठन के परिणामस्वरूप उस राज्य का क्षेत्र दुगुना हो गया है ; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हिमाचल प्रदेश पिछड़ा क्षेत्र है और सीमावर्ती राज्य है, धन के नियतन के बारे में पुनर्विचार करने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा प्रस्तावित 91.06 करोड़ रुपये के परिव्यय के बदले, जैसा कि 1966 में अनुमान लगाया गया था, दिसम्बर, 1966 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श करने के बाद इस राज्य की चौथी पंच वर्षीय योजना के लिये 94.38 करोड़ रुपये के परिव्यय की मंजूरी दी गई ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) हिमाचल प्रदेश प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वह 1 अप्रैल, 1969 से आरम्भ होने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये अपने प्रस्तावों का प्रारूप तैयार करे ।

नागालैंड-वर्मा-सीमा का बन्द करना

1880. **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्मा से लगे नागालैण्ड सीमा को पूरी तरह बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या सीमा गश्ती दलों में पर्याप्त वृद्धि की गई है ; और

(ग) क्या इन उपायों के परिणाम स्वरूप चीन की ओर से विद्रोही नागाओं की घसपैठों में कोई कमी हुई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख) वर्मा के साथ लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमांत पर सुरक्षा व्यवस्था को कठोर बना दिया गया है । परन्तु, धरातल और उसकी विशालता को देखते हुए, इतने लम्बे सीमान्त के सारे रास्ते बंद करना संभव नहीं है ।

(ग) छिपे नागाओं और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी वर्गीकृत है ।

पश्चिम बंगाल में पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

1881. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के उन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जिनके बारे में पहले निर्णय किया जा चुका था कोई विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी, हां ।

(ख) कृषि उत्पादन, लघु सिंचाई और पर्यटन सम्बन्धी योजनाओं पर 1966-67 तथा 1967-68 में में क्रमश: 2.13 लाख रुपये और 4.91 लाख रुपये व्यय किये गये।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

मजगांव डाक्स लिमिटेड

1882. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजगांव डाक्स लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण किये जाने के पश्चात् उसने जहाज निर्माण और मरम्मत के क्या मुख्य कार्य किये हैं ;

(ख) इन कार्यों से इस कम्पनी ने कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की और यह राष्ट्रीयकरण किये जाने से पूर्व प्राप्त होने वाली वार्षिक विदेशी मुद्रा से कितनी कम अथवा अधिक है; और

(ग) क्या डाक्स की क्षमता बढ़ाने के लिये कोई ह् योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क), (ख) तथा (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

अप्रैल, 1960 में सरकार द्वारा इस यार्ड का प्रबन्ध अपने हाथ में लिये जाने के पश्चात् मजगांव गोदी ने अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के लिये एक यात्री-एवं-माल वाहक पोत और नौसेना के लिये कई कर्षनावों (टग्स), पैंटूनें, बजराओं, लांचों तथा अन्य छोटे पोतों के अतिरिक्त एक बकेट ड्रैजर तथा एक 'इनशोर माइनस्वीपर (सुरंग-तोड़ उपकरण) तैयार किये । इस समय यह कम्पनी नौसेना के लिये एक आधुनिक 'फ्राइगेट' एक अभितट (इनशोर) सुरंग-तोड़ उपकरण, दो एवकैट टैंकर और शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के लिये एक यात्री-एवं-माल वाहक, जहाज बनाने में लगी हुई है । इस कम्पनी को हाल में बम्बई पत्तन न्यास के लिये एक ड्रैजर (तलकर्षक) के सम्बन्ध में क्रयादेश और शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के लिये 'स्टेट आफ बम्बई' तथा 'स्टेट आफ मद्रास'

नामक दो जहाजों के स्थान पर नये जहाज चलाने के लिये दो यात्री जहाजों के सम्बन्ध में आशय-पत्र मिला है । यह कारखाना प्रतिवर्ष तीन-चार सौ व्यापारी जहाजों का का सर्वेक्षण तथा यात्रोपरान्त आवश्यक मरम्मत आदि का काम करता है और नौ-सेना के जहाजों का वार्षिक तथा अन्य रिफिटिंग का काम (दुरस्त करना) करता है ।

(ख) इस कारखाने को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने से पूर्व जहाजों की मरम्मत सम्बन्धी काम की उस 3 वर्ष की औसत 189.2 लाख रुपये था जिस में से 139.7 लाख रुपये विदेशी मुद्रा में थे। इस विदेशी मुद्रा अर्जन का मुख्य कारण यह था कि मझगांव डॉक ब्रिटिश पी० एंड ओ० और बी० आई० एस० एन० कम्पनी का था और उस में मरम्मत सम्बन्धी जो काम हुआ वह अधिकतर इसी कम्पनी के जहाजों की मरम्मत का था। पिछले दस वर्षों में, ये जहाज भारतीय जल प्रांगण में बहुत कम चले हैं।

इस यार्ड का प्रबन्ध अपने हाथ में लिये जाने के पश्चात् उस में जहाजों की मरम्मत का जो काम हुआ है और विदेशी मुद्रा कमाई गई है उसका ब्यौरा इस प्रकार है——

	कुल जहाज-मरम्मत	अर्जित विदेशी मुद्रा (लाखों रुपये में)
1960–61 .	206.89	100.81
1961–62	189.03	88.28
1962–63	252.22	89.00
1963–64 . .	312.99	88.00
1964–65 . . .	254.59	112.00
1965–66 . . .	250.92	66.54
1966–67 . . .	311.17	107.00
1967–68	325.00	140.00
कुल . .	2093.81	791.63

वर्ष 1965–66 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष का प्रभाव जहाजों की मरम्मत के कार्य पर भी पड़ा था ।

(ग) जी, हां । विस्तार योजना में दो 'स्लिपवेज' का निर्माण, नये प्लेटर्स तथा आधुनिक मशीनरी वाली एसेम्बली शॉप का निर्माण, एक भाण्डागार तथा सामान्य सुविधाओं वाली इमारत तथा अतिरिक्त क्रेन सुविधाओं की व्यवस्था और वर्तमान कसरा बेसिन का अवरुद्ध पश्चिमी गोदी में परिवर्तन शामिल है । कसरा बेसिन से सम्बन्धित काम को छोड़कर बाकी काम पूरा हो चुका है । ऐसी आशा है, कि कसरा बेसिन परियोजना इस वर्ष के अन्त तक पूरी हो जायेगी ।

"दि गिल्टी मैन आफ 1962" नाम की पुस्तक

1883. श्री म० ला० सोंधी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी है कि श्री डी० आर० मानकेकर द्वारा लिखित "दि गिल्टी मैन

आफ 1962" नाम की पुस्तक में इस विचार धारा की पुष्टि की गयी है कि 1962 में शासन को पलटने (कूप) के लिए परिस्थितियां अनुकूल थीं ;

(ख) क्या यह सच है कि अग्रिम क्षेत्रों में कमांडरों को दिये गये नक्शों में नामका नदी उत्तर से दक्षिण को बहती दिखायी गयी थी जबकि वास्तव में यह नदी पश्चिम से पूर्व को बहती है ; और

(ग) 1962 में चीन के विरुद्ध नेफा में लड़ने वाले कमांडरों और अधीनस्थ श्रेणी के सैनिकों (अदर रैंक्स) के होंसलों पर असर डालने वाली बात के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने श्री मानकेकर की पुस्तक को देखा है। यह स्पष्ट नहीं है कि श्री मानकेकर ने उल्लिखित किस्म की कोई थीसिस प्रस्तुत की है, लेकिन किसी भी हालत में यह एक राय का मामला है।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

(ग) 1962 में चीनी आक्रमण के फलस्वरूप सैनिक कार्यवाहियों के बारे में की गई जांच के आधार पर 2 सितम्बर, 1963 को इस सभा में प्रतिरक्षा मंत्री ने एक व्यापक वक्तव्य दिया था।

भारतीय सीमाओं के पास चीनी सैनिकों का जमा होना

1884. **श्री यशपाल सिंह** : **श्री अम्बचेजियान** :
श्री वेंगलराया नायडू : **श्री नि० एं० लास्कर** :
श्री रा० कृ० सिंह : **श्री निहाल सिंह** :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमा पर चीनी सेनाओं का अभी हाल में जमाव देखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा इस खतरे का मुकाबिला करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) चीनी सैनिक अब भी भारी संख्या में हमारी उत्तरी सीमा पर विद्यमान हैं। इस स्थिति में पिछले दिनों से कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा।

(ग) देश की प्रादेशिक समग्रता को सुरक्षित रखने के विचार से अपनी सीमाओं के पार चीनी गतिविधि का सतर्कता से ध्यान रखा जाता है।

अमरीका के सहायक प्रतिरक्षा सचिव का वक्तव्य

1885. **श्री यशपाल सिंह** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकर का ध्यान अमरीका के सहायक प्रतिरक्षा सचिव श्री पौल सी० वारक के

इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलया गया है, जो उन्होंने गत अप्रैल में सभा की विदेश मामलों की समिति के समक्ष दिया था और कहा था कि भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए अमरीकी सरकार के पास पर्याप्त साधन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) : जी हां।

(ख) सरकार की यह निश्चित नीति है कि वह इन मामलों पर बाहरी हस्तक्षेप से पूरी तरह स्वतन्त्र रह कर निर्णय लेगी और किसी विदेशी सरकार के प्रभाव में नहीं आयेगी।

भारतीय वायु सेना के लिये विमानों के निर्माण पर प्रतिबन्ध

1886. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के लिए किसी नये प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रतिबन्ध हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में एक नये प्रकार के विमान का विकास करने के लिए किये जा रहे अनुसन्धान पर भी लागू होगा ; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत-बर्मा सीमा का सीमांकन

1887. **श्री यशपाल सिंह** : **श्री बी० चं० शर्मा** :
श्री बेणीशंकर शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतवर्ष की सीमा का सीमांकन पूरा हो गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो सीमांकन के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति, मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख) भारत-बर्मा सीमा पर निशान लगाने का काम आगामी सर्दियों में (नवम्बर, 1968 से अप्रैल 1969) आरम्भ होना है; इस पूरी सीमा पर निशान लगाने के काम में पूरा एक क्षेत्र-कार्य मौसम से ज्यादा लग जाएगा और इसे पूरा करने में वस्तुतः कितना समय लगता है, यह सर्वेक्षण और सीमांकन कार्य से संबद्ध कई बातों पर निर्भर करेगा ।

भारत और मलयेशिया के बीच प्रतिरक्षा सामान संबंधी करार

1888. श्री क० लकप्पाः **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री अम्बुचेजियान :**
श्री ए० श्रीधरन : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलयेशिया सरकार ने प्रतिरक्षा सामान खरीदने के लिए भारत सरकार से एक करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). हाल की बातचीत में यह तय पाया है कि मलयेशिया द्वारा रक्षा सामान के क्रय की संभावनाओं की गवेषणा की जाए ।

स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के लेख

1889. श्री क० लकप्पा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्वर्गीय पंडित नेहरू के लेखों का संग्रह प्रकाशित करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस काम में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) सम्पूर्ण प्रकाशन कब विक्रय के लिये तैयार होगा ; और

(घ) क्या वित्त मंत्रालय ने इस पर किये जाने वाले खर्च पर कोई आपत्ति की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ). प्रारम्भ में ऐसी योजना बनाई गई थी कि जवाहरलाल नेहरू के वाङ्मयों को लगभग पांच-पांच सौ पृष्ठों के करीब 40 खण्डों में अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित किया जाये ।

2. बाद में नेहरू स्मारक संग्रहालय कार्यकारी परिषद् तथा पुस्तकालय समिति ने प्रस्ताव रखा कि इन वाङ्मयों को एकत्रित करने, उनका संकलन तथा संपादन की जिम्मेदारी समिति को लेनी चाहिये और सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पब्लिकेशन डिवीजन उनके प्रकाशन का काम ले सकता है । इस सुझाव को सितम्बर, 1967 में स्वीकार कर लिया गया । उसके बाद इस समिति ने यह प्रस्ताव रखा कि पब्लिकेशन डिवीजन एक सम्पादकीय बोर्ड के निर्देशन तथा देख-रेख में जवाहरलाल नेहरू के वाङ्मयों को प्रकाशित करने की परियोजना आरम्भ कर सकता है । इस समिति को सूचित किया गया कि यह उचित होगा कि वह इस मामले को अपने कार्यकारी परिषद के सामने रखे और उससे सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस प्रस्तावित हेर फेर का सुझाव देने का अनुरोध करे । समिति को और आगे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

3. स्वर्गीय जवाहरलाल के प्रधान मंत्री बनने के बाद के उनके भाषण, तथा लेखों में प्रतिलिप्यधिकार का प्रश्न अभी तक विचाराधीन है।

4. वित्त मंत्रालय का विचार है कि सिद्धांत रूप से सरकार को यह काम नहीं लेना चाहिये।

चलचित्र (रूपक)

1890. श्री वेणीशंकर शर्मा : श्री दी० चं० शर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वृत्त चित्रों के साथ-साथ चलचित्र (रूपक) भी बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है तथा किस प्रकार के चित्र बनाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). भारतीय फिल्म संस्थान द्वारा संस्थान के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में 5 6 रीलों की एक शार्ट फिल्म बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

पाकिस्तान द्वारा 'पूर्व पाकिस्तान षड़यंत्र' से भारत का सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न

1891. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व पाकिस्तान सत्ता को उखाड़ फेंकने के तथा 'कथित षड़यंत्र'' में भारत का हाथ बताने के लिए पाकिस्तान गंभीर रूप से सभी प्रयत्न कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां। पाकिस्तान सरकार ने तथाकथित पूर्व पाकिस्तान षड़यंत्र में भारत के हाथ का उस पर झूठा आरोप लगाया है।

(ख) भारत सरकार कई बार यह कह चुकी है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। इस बारे में पिछला विरोध पत्र 5 जुलाई, 1968 को पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को दिया गया था।

(ग) पाकिस्तान की सरकार ने हमारे सभी विरोध-पत्र अस्वीकार कर दिये हैं और भारत को एक ऐसे मामले में झूठे ही लपेटने का प्रयत्न बराबर करती रही है जो वि अनिवार्यत: पूर्व पाकिस्तान में आंतरिक विद्रोह का मामला है।

सिक्किम के निकट चीनी सेनाओं का जमाव

1892. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम के निकट कुछ चीनी सेनायें जमा हुई हैं;

(ख) क्या इस जमाव के बारे में चीन सरकार से कोई विरोध प्रगट किया गया है ; और

(ग) क्या कोई उत्तर प्राप्त हो गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) चीनी अब भी भारी शक्ति में सिक्किम की सीमा के पार विद्यमान हैं ।

(ख) जी नहीं, हाल में नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Jawans killed and taken prisoners by Nagas

1893. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to **state:**

(a) the number of jawans of the security forces and P.A.C. of U.P. who have either been killed or injured or taken prisoners by the hostile Nagas in Nagaland so far;

(b) the names and home-towns of the jawans killed, injured or taken prisoners; and

(c) the steps proposed to be taken by Government for getting those jawans released as were taken prisoners by the Nagas?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) No separate statistics are maintained for the Army Personnel from Uttar Pradesh alone. As for the P.A.C. from Uttar Pradesh, details are maintained by the State Government.

(b) and (c). Do not arise.

Indian Nationals under detention in Pakistan

1894. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Indian Nationals under detention in Pakistan;

(b) the number of Pakistani nationals under detention in India;

(c) whether Government provide such special concessions to the Pakistani detenus as are not made available to the Indian nationals under detention in Pakistan;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether it is a fact that relatives of some of the Pakistani nationals, under detention here, are working at high posts under the Government of India; and

(f) if so, the names of the detenus whose relatives are so employed, the names of the relatives and the posts at which they are working respectively?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) Despite repeated requests, the Pakistan Government have not furnished this information. But we are aware that there are 158 internees stated to be Indian nationals in the Lahore Internment Camp.

(b) The upto-date information is being collected from the State Governments.

(c) and (d). As far as Government of India are aware no special concessions are granted to Pakistan detenus in India and ordinary rules relating to conditions of detention framed by each State are applicable to them.

(e) and (f). No information is maintained in regard to the posts held under the Government of India by the relatives of Pakistani nationals under detention in India.

Broadcasts of Ministers' speeches

1895. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of Congress and non-Congress Ministers separately who were either not allowed to broadcast speeches or their speeches were pruned by the various stations of A.I.R. from February, 1967 to June, 1968;

(b) the reasons therefor; and

(c) in case there is not a single Congress Minister who was either not allowed to broadcast or whose speech was not subjected to prunning, the reasons for such a discrimination?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) There has been no case of a broadcast speech of a Congress or a non-Congress Minister having been either not allowed or pruned by A.I.R. Stations during the period February 1967 to June, 1968. However, in connection with a May Day broadcast by the Labour Minister of United Front Government. in West Bengal on 1st May, 1967, the Minister himself chose to cancel his broadcast when the Station Director pointed out some objectionable matter in the script of the talk.

(b) It is customary for All India Radio to bring to the notice of its broadcasters such words and sentences as may be construed as going against the accepted code of broadcasting. Any amendment of the script for this reason has invariably been made with full concurrence of the speakers, including Ministers.

(c) There is no question of discrimination in the matter of observing a prescribed code in regard to broadcasting.

Development of backward hill areas of U.P.

1896. Shri Molahu Prasad: Will the **Prime Minister** be pleased to refer to

the reply given to Unstarred Question No. 8341 on the 24th April, 1968 regarding the development of backward areas of Uttar Pradesh and state:

(a) the time by which the examination of specific problems of Hill areas is likely to be completed by the Hill Development Board;

(b) the names of the roads of the aforesaid areas recommended for improvement by the Board and whether the examination of the matter has been completed by the U.P. Government;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons for the delay?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) The Hill Development Board is an advisory body and as such its work is of a continuous nature. It has had three meetings so far. Various problems which came before the Board were duly considered in its meetings. The Board is to meet once in every quarter. The problems as and when they come up before the Board will be duly considered by it.

(b) and (c). A statement indicating the names of roads recommended by the Board is placed on the Table of the House. [Placed in Library. *See* **No.** LT-1534/68]. These recommendations are under the consideration of the State Government.

(d) Does not arise.

फ़िल्म परिषद्

1897. **श्री वि० ना० शास्त्री :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म फेडरेशन अ फ इंडिया ने सरकार के फिल्म परिषद् स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसने किस आधार पर प्रस्ताव का विरोध किया है ; और

(ग) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) फिल्म फेडरेशन आफ इंडिया से इस बारे में कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ। परन्तु सरकार ने समाचार-पत्रों में छपी इस रिपोर्ट को देखा है कि उन्होंने परिषद् की स्थापना का विरोध सम्बन्धी एक प्रस्ताव पास किया है। इस प्रश्न पर देश के तीन क्षेत्रों में फिल्म उद्योग के विभिन्न वर्गों से अनौपचरिक बातचीत चल रही है।

(ख) तथा (ग). अनौपचारिक बैठक और समाचार-पत्रों में इस प्रकार के मामलों, जैसे नियमों का स्वरूप क्या हो, किस प्रकार का प्रतिनिधित्व हो, पर विभिन्न विचार प्रकट किये गये हैं। इस अवस्था में सरकार की ठीक ठीक प्रतिक्रिया का बताना समय से पूर्व होगा ।

कलकत्ता के लिये मीडियम वेव ट्रांसमीटर

1898. डा० रानेन सेन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विदेश सेवाओं के कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिये कलकत्ता में एक शक्तिशाली मीडियम वेव (मध्यम तरंग) ट्रांसमीटर लगाने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस काम पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है ; और

(ग) क्या यह काम निर्धारित समय में पूर्ण हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) ट्रांसमीटर का भवन बनकर तैयार होने वाला है। अधिकतर उपकरण ट्रांसमीटर लगाने के स्थान पर पहुंच गये हैं और ट्रांसमीटर लगाने का काम चालू हो गया है।

(ख) मार्च, 1968 तक लगभग 194 लाख रुपये।

(ग) स्वेज बन्द होने के कारण कई महीनों की देरी हुई है। जो कार्य पहले सितम्बर-अक्टूबर, 1968 में होना था, उसके अब 1968–69 के अन्त तक पूरे हो जाने की सम्भावना है।

प्रधान मंत्री के दौरों पर व्यय

1899. श्री अब्दुलगनी दार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 और 1968–69 में उनके विदेशी दौरों पर कितना खर्च किया गया ; और

(ख) उक्त अवधि में उनके आन्तरिक दौरों पर कितना व्यय किया गया ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). पूछी गई सूचना एकत्र की जा रही है।

भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बी स्कंध (विंग)

1900. श्री ईश्वर रेड्डी :

श्री महाराज सिंह भारती :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौ-सेना के लिये पनडुब्बियां प्राप्त करने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितना व्यय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). नौ सेना का पनडुब्बी अंग अस्तित्व में आ चुका है और प्रगति शडूल के अनुसार की जा रही है। अधिक विस्तार देना लोकहित में नहीं है।

मलयेशिया और सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार के अवशेष

1901. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने मलयेशिया और सिंगापुर की अपनी हाल की यात्रा के दौरान आजाद हिन्द सरकार के मुख्यालय, सिंगापुर स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के निवास भवन जैसे अवशेषों के संरक्षण तथा आजाद हिंद फौज के गिराये गये स्मारक को पुनः बनाने के मामले के बारे में इन देशों से बातचीत के प्रयत्न किये थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समाचारपत्रों को विज्ञापन

1902. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 तथा 1968 में अब तक विभिन्न समाचारपत्रों में से प्रत्येक समाचार पत्रों का प्रदर्शन तथा वर्गीकृत दोनों प्रकार के कितने विज्ञापन दिये गये और उनके प्रकाशन के लिए कितनी राशि दी गई ;

(ख) समाचारपत्रों को विज्ञापन देने की कसौटी क्या है ;

(ग) क्या विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन देने की दरें पारस्परिक परामर्श से तय की जाती हैं अथवा सरकार अपने स्वविवेक से ये दरें निश्चित करती हैं ;

(घ) यदि दरें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, ये दरें निर्धारित करने में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है; और

(ङ) पिछले पांच वर्षों में कितने तथा किन-किन समाचार पत्रों के मामले में समाचार पत्रों में विज्ञापन देने की दरें 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) अलग-अलग समाचार पत्रों को रिलीज किये गये विज्ञापनों का विवरण और उनको कितना धन दिया गया यह सूचना विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा पत्रों के मध्य गोपनीय समझी जाती है। बिना दूसरे पक्ष की सहमती के एक ही पक्ष की ओर से सूचना देना अच्छी व्यापार की नीति न होगा।

(ख) विज्ञापनों को रिलीज करते हुए ये बातें ध्यान में रखी जाती हैं कि समाचार-पत्र और पत्रिकाओं के चयन में न्याययुक्त पद्धति के द्वारा सीमित धन के अन्तर्गत

अधिक से अधिक सम्भव क्षेत्र में पत्रों की पहुंच हो ताकि वे उन पाठकों, जिनकी वे आवश्यकता पूरी करते हैं, तथा विभिन्न वर्गों के लोगों तक, पहुंच सके, विशेष रूप से वर्गीकृत विज्ञापन जिनमें जनता के लिये कोई सन्देश हो।

विज्ञापनों के लिये पत्र-पत्रिकाओं का चयन करते समय निम्नलिखित सिद्धान्त ध्यान में रखे जाते है :–

(1) प्रभावी खपत (सामान्यत: 1000 से कम बिक्री वाले समाचार पत्रों का उपयोग नहीं किया जाता),

(2) प्रकाशन में नियमितता (लगातार 6 महीने का प्रकाशन आवश्यक है),

(3) पाठकों की श्रेणी,

(4) पत्रकारिता सम्बन्धी नैतिकता के स्वीकृत स्तरों का पालन,

(5) अन्य बातें जैसे छपाई स्तर, उपलब्ध धन के अन्दर अन्दर किन-किन भाषाओं और क्षेत्रों में विज्ञापन देते हैं।

(6) विज्ञापन की दरें जो सरकार की प्रचार आवश्यकताओं के लिए उचित और स्वीकृत समझी जांय।

ऐसे समाचार पत्रों को विज्ञापन नहीं दिये जाते जो साम्प्रदायिकता का विषैला प्रचार करते हों या हिंसा को उकसाते हों या सार्वजनिक शीलता और नैतिकता सामाजिक तौर पर स्वीकृत सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हों, और इस प्रकार राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाते हों।

(ग) तथा (घ). समाचार-पत्र और पत्रिकायें अपने-अपने विज्ञापनों की दरें निर्धारित करने में स्वतंत्र है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय उन्हीं समाचार-पत्रों को इस्तेमाल करता है जिनकी दरें उन्हें स्वीकार्य होती हैं।

(ङ) विज्ञापनों की दरों के बारे में सूचना गोपनीय समझी जाती है क्योंकि अधिकांश समाचार-पत्रों की दरें हर साल बदलती रहती हैं, इसलिये इस सूचना को एकत्रित और संकलित करने में जो परिश्रम और समय लगेगा वह बहुत अधिक होगा और उस समय भी यह सूचना अधूरी ही रहेगी और पुरानी हो जायेगी।

प्रतिरक्षा मंत्रालय से संबंधित सलाहकार समितियां तथा बोर्ड

1903. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध विभिन्न सलाहकार समितियां, बोर्डों या ऐसी अन्य संस्थाओं के नाम क्या हैं, उनके सदस्यों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक को क्या क्या काम सौंपे गये है ;

(ख) प्रत्येक समितियां बोर्ड में कितने सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कितने सरकारी अधिकारी ;

(ग) क्या सदस्यों का नामांकन केवल एक ही कार्यावधि के लिए होता है और यदि नहीं, तो एक सदस्य का पुन: नामांकन कितनी कार्यावधियों के लिये किया जा सकता है और एक कार्यावधि कितनी होती है ; और

(घ) वर्ष 1967–68 में इन संस्थाओं पर कुल कितना धन व्यय किया गया?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कच्छ क्षेत्र के विस्थापित परिवारों का पुनर्वास

1904. **श्री वीरेंद्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ पंचाट की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप कच्छ के सीमान्त क्षेत्रों में रहने वाले बहुत से परिवारों के विस्थापित हो जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो कितने परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा इस उद्देश्य के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी जा रही है?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दक्षिण वियतनाम का संसदीय शिष्टमंडल

1905. **श्री गणेश घोष** :
श्री चक्रपाणि :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1968 में दक्षिण वियातनाम का एक संसदीय शिष्टमंडल भारत आया था।

(ख) यदि हां, तो भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या सरकार ने इस शिष्टमंडल को आमंत्रित किया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनकी भारत यात्रा का निमंत्रण किसने किया था?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)
(क) जी हां।

(ख) से (ङ) इस प्रतिनिधि मंडल को भारत सरकार ने नहीं बुलाया था और इसकी यात्रा से सम्बन्धित सारा प्रबन्ध वियतनाम गणराज्य के नई दिल्ली स्थित प्रधान कोंसल ने किया था। यह प्रतिनिधि मंडल वियतनाम की वर्तमान स्थिति पर अपने दृष्टिकोण से हमें अवगत कराने आया था।

वियतनाम की लड़ाई में विषैली गैस का प्रयोग

1906. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वियतनाम सम्बन्धी अन्तराष्ट्रीय नियंत्रण आयोग ने वियतनाम के आरोप की जांच की है कि अमरीकी सेनायें दक्षिण वियतनाम में नागरिकों पर विषैली गैस का प्रयोग कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) ऐसा समझा जाता है कि दक्षिण वियतनाम में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा विषैला रासायनिक पदार्थों और गैसों के कथित प्रयोग के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को उत्तर वियतनाम की जनसेना से समय-समय पर शिकायतें मिली हैं। लेकिन, आयोग के पास वियतकांग से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। चूंकि यह आयोग अपनी गतिविधियों की सूचना जेनेवा सम्मेलन के सह-अध्यक्षों को भेजता है, लेकिन भारत सरकार को इस आयोग से इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

सिंगापुर को उपहार में दिया गया पुष्पक प्रशिक्षण विमान

1907. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष दिसम्बर में सिंगापुर को भेंट किया गया एक पुष्पक प्रशिक्षण विमान तब से स्टोर में पड़ा है;

(ख) क्या सिंगापुर के प्रतिरक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव ने कहा है कि विमान में रेडियो ट्रांसमिटर नहीं होने के कारण इसे प्रयोग नहीं किया जा सका;

(ग) क्या सिंगापुर फ्लाइंग क्लब के एक प्रवक्ता ने कहा है कि पुष्पक विमान में रेडियो ट्रांसमिटर लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है और इसे लगाने अथवा इसके चलाने के लिये बिजली तयार करने के कोई साधन नहीं थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस कथन में कोई सच्चाई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). सिंगापुर सरकार को दिसम्बर 1967 में भेंट किया गया पुष्पक विमान मानक किस्म का था। तदपि, सिंगापुर स्थित भारत के उच्चायुक्त से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि जब से विमान को सिंगापुर अधिकरणों को सौंपा गया है उसने 80 आक्टेन ईंधन की स्थानीयता

प्राप्ति में कठिनाई के कारण जो कि उस विमान के इंजन में इस्तेमाल किया जाता है और रेडियो साजसामान के अभाव के कारण कि जो सिंगापुर में प्राप्त उड़ान स्थितियों के लिये आवश्यक समझा जाता था कोई उड़ान नहीं की है। इंधन सम्बन्धी कठिनाई पर पार पाने के लिये और उच्च आक्टेन इंधन के इस्तेमाल के लिए विमान को योग्य बनाने के लिए उसके वेल्वों में तबदीली का सुझाव दिया गया है। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० बंगलौर द्वारा विमान में एक रेडियो संचार यंत्र स्थापित करने के लिए अभिकल्पन अध्ययन किए जा रहे हैं।

भारत-संयुक्त अरब गणराज्य एच एफ-24 परियोजना

1908. श्री मु० कु० तापड़िया : श्री भोगेन्द्र झा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एच० एफ० –24 विमानों के लिये संयुक्त अरब गणराज्य से उपयुक्त इंजन प्राप्त करने के प्रयास असफल हो गये हैं;

(ख) यदि हां तो अन्य साधनों से इस विमान के लिये ये इंजन प्राप्त करने के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित विदेशी सहयोग प्राप्त करने की नवीनतम संभावनायें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) यू० ए० आर० ई० 300 इंजन के उड़ान विकास परीक्षण अभी यू० ए० आर० में प्रगतिशील हैं, और इस सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सेनाध्यक्ष के दौरे का कार्यक्रम

1909. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेनाध्यक्ष का अग्रिम क्षेत्रों के दौरे का कार्यक्रम सेना मुख्यालय में किया जाने वाला एक गुप्त कार्य है परन्तु अधिकारी ऐसे दौरों के कार्यक्रम को प्रकाशनार्थ समाचारपत्रों को दौरों के समय से, पहले दे देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सेनाध्यक्ष का अग्रिम क्षेत्रों का भ्रमण कार्यक्रम औपचारिक तौर पर पेशगी समाचारपत्रों में नहीं दिया जाता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Issue of a Diplomatic Passport to an Official

1910. Shri Ram Swarup Vidyarthi: Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an officer of the Ministry of Works, Housing and Supply who was deputed to the India Supply Mission and who had a non-diplomatic passport in his possession was granted a diplomatic passport at the time of his return to India;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the precise rules pertaining to the issue of diplomatic passports?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b) An Officer of the Ministry of Works, Housing and Supply appointed to the India Supply Mission in Washington in 1964 who was according to administrative regulations then entitled to an official passport has now under the same regulations, been granted a diplomatic passport. He is due to return to India in due course.

(c) Rules relating to the issue of diplomatic passports are contained in Schedule II of the Passport Rules, 1967 and a list detailing persons ordinarily granted diplomatic passports was laid on the Table of the House with reference to Question No. 4754 on 18th December, 1967.

Indians in Foreign Countries

1911. Shri Ram Swarup Vidyarthi: Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) the total number of Indians residing at present in foreign countries; and

(b) the number of these Indians community-wise?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) There are about 6-7 million persons of Indian origin in foreign countries.

(b) No statistics are available, because Indians abroad are listed as "Indians" and not community wise.

लन्दन में गांधी जी की मूर्ति का लगाया जाना

1912. श्री रवि राय : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ युवकों ने 1 मई को लंदन में गांधी जी की मूर्ति लगाई जाने का विरोध किया था ;

(ख) क्या सरकार ने लंदन स्थित अपने उच्चायुक्त के माध्यम से इस विरोध के कारणों का पता लगाने क प्रयत्न किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) से (ग) हाई कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इस मूर्ति का आवरण समारोह बड़े

बड़े उत्साह के साथ हुआ था, सिवाय कुछ युवकों के कुछ उधम मचाने के जिन्होंने मूर्ति के पास धरना देकर प्रदर्शन किया। विरोध-प्रदर्शन के लिए उन्होंने जो तख्तियां लिख रखी थी उन में से एक पर ये शब्द लिखे थे; "इस मूर्ति का अनावरण श्री वि सन के हाथ नहीं होना चाहिये था क्योंकि यह देश हथियार बेच रहा है जबकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे।"

योजना सम्बन्धी समिति

1914. **श्री रवि राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने एक योजना सम्बन्धी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं तथा उसके सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) उस समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं तथा समिति द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क), (ख) और (ग). एक समिति है जिसका नाम "योजना सम्बन्धी संसद सदस्यों की प्रधान मंत्री की समिति है।" यह समिति योजना से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिये 1958 में बनी था और अब तक है। वर्तमान समिति की बैठक अब तक दो बार हो चुकी है और उसने "अप्रोच टू दि फोर्थ फाइव यिअर प्लान" शीर्षक पत्र पर विचार किया है। इस समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है।

आमंत्रित व्यक्तियों की सूची

मंत्री लोग

1. प्रधान मंत्री
2. उप-प्रधान मंत्री
3. गृह-कार्य मंत्री
4. खाद्य तथा कृषि मंत्री
5. औद्योगिक विकास मंत्री
6. संसद्-कार्य मंत्री

संसद सदस्य

1. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी
2. श्री भूपेश गुप्त
3. श्री एस० एम० जोशी
4. श्री कर्णी सिंह
5. श्रीमती सुचेता कृपालानी
6. श्री कृष्णन मनोहरन

7. डा० मेलकोटे
8. श्री एस० एन० मिश्र
9. श्री नन्दा
10. श्री कार्तिक उरांव
11. श्री आर० टी० पारथासार्थी
12. श्री पी० राममूर्ति
13. श्री रंगा
14. श्री मल्का गोविन्द रेड्डी
15. श्री डी० सजीवय्या
16. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
17. श्री याज्ञिक
18. डा० नुरुल हसन सैयद

विशेष आमंत्रित व्यक्ति

1. उपाध्यक्ष, योजना आयोग
2. वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत)
3. श्री आर० वेंकटरमन, सदस्य, योजना आयोग
4. श्री बी० वेंकटप्पिया, सदस्य, योजना आयोग
5. श्री पीताम्बर पन्त, सदस्य, योजना आयोग
6. डा० बी० डी० नाग चौधरी, सदस्य, योजना आयोग

Standard of Indian Films

1915. Shri Ram Avtar Sharma:
Shri Shiv Kumar Shastri:
Shri Prakash Vir Shastri:
Dr. Surya Prakash Puri:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether any new decisions have been taken to raise the standard of Indian films;

(b) whether it is also a fact that the scenes, songs and sentiments of foreign films are still being increasingly copied in Indian films; and

(c) if so, the measures adopted to check this tendency?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) An Enquiry Committee on Film Censorship; under the Chairmanship of Justice G. D. Khosla has been set up to enquire into the existing procedures for certification of Cinematograph films for public exhibition in India and allied matters. One of the terms of reference of the Committee is to enquire into the state of films in India in regard to their artistic content and healthy mass appeal in relation to the existing regulatory procedures and to recommend measures or improvement in the existing censorship laws, machinery and procedures etc.

(b) Yes, Sir. But transformations take place in the act of copying.

(c) Copying or adaptation by itself is not always harmful but often proves beneficial. But with a view to counteracting the harmful aspects of mere aping foreign modes and to encourage the production of films of better standards, consistent with our national values, Government have introduced the scheme of national awards for films.

Anti-Indian propaganda by Pakistan

1916. Shri Ram Avtar Sharma:
Shri Shiv Kumar Shastri:
Shri Prakash Vir Shastri:
Dr. Surya Prakash Puri:

Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistan is intensely instigating anti-Indian feelings through Radio and Press in the border areas between India and Pakistan;

(b) if so, whether any communication has been sent to Pakistan in this regard; and

(c) if so, the reaction of the Pakistan Government thereto?

The Prime Minister. Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) Pakistani Press and Radio Stations controlled by Government of Pakistan continue to carry on their anti-India propaganda campaign on all fronts. In the border areas, Pakistani Radio broadcasts are concentrating on instigating anti-Indian sentiments and are specially directed towards the Nagas and the Mizos in the East and the minority communities in the West.

(b) and (c). The Government of India have repeatedly drawn the attention of the Government of Pakistan to the fact that their anti-India propaganda is not only contrary to the obligations accepted by Pakistan under Article IV of the Tashkent Declaration but is also calculated to further jeopardise the chances of normalisation of India-Pakistan relations. The matter is being pursued with the Government of Pakistan.

Nagas getting training in China

1917. Shri Ram Avtar Sharma:
Shri Shiv Kumar Shastri:
Shri Prakash Vir Shastri:
Dr. Surya Prakash Puri:
Shri Sitaram Kesri:
Shri Bishwanath Roy:

Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Naga rebels are getting training in China even now;

(b) whether it is also a fact that the so-called Army Chief of Naga rebels General Mobu, is still there;

(c) whether it is also a fact that China has set up an arms depot on its

border with Burma so that these Nagas could be extended timely help from there; and

(d) if so, whether Government are vigilant towards all these developments?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) Yes, Sir.

(b) Reference is invited to the answer given to part (c) of Unstarred Question No. 684 in this very House on 24th July, 1968.

(c) Government have no information in the matter.

(d) Yes, Sir. Suitable steps have been taken to further strengthen the security measures along our international border.

भारत द्वारा परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध सन्धि पर हस्ताक्षर न करना

1918. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध सन्धि पर हस्ताक्षर न करने से पाकिस्तान और विश्व के बड़े राष्ट्रों पर क्या प्रतिक्रिया हुई है; और

(ख) क्या किसी देश ने अपनी प्रतिक्रिया विशेष रूप से हमारे देश को बताई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) बताया जाता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि इस सन्धि के प्रति पाकिस्तान का रवैया भारत के निर्णय पर निर्भर करेगा। संसार के बड़े-बड़े राष्ट्रों ने भारत के रुख पर ध्यान दिया है, चाहे वे उससे सहमत भले ही न हों।

(ख) जी नहीं।

Establishment of U.S. bases with British assistance in Indian Ocean

1919. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that after an extensive survey for 2 or 3 years, U.S.A. and Britain signed a 50 years maritime agreement in London on the 30th December, 1966 under which U.S.A. will have the right to establish military/naval bases with British cooperation or alone in two Islands and two groups of Islands in the Indian Ocean within two years of the withdrawal by Britain;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether there is any fear of India being dragged into Russian-U.S.A. Russia-Chinese and Sino-American conflict or its security being jeopardised; and

(d) if so, the steps being taken by Government to safeguard the interest of India in this connection?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) An agreement was signed between the Governments of Great Britain and the United States

of America on 30th December, 1966 for an initial period of 50 years making available the so-called "British Indian Ocean Territory" for the defence purposes of both Governments.

(b) Briefly the provisions of the agreement are:

1. Both Governments will consult each other for reaching mutually satisfactory arrangements before proceeding to construct or install any facility in the Territory.

2. Use by a third country of United States or jointly-financed facilities shall be subject to an agreement between U.K., and U.S. Government. Each Government shall normally bear its own cost of construction, maintenance etc.

3. The required sites will be made available to the U.S. Government without charge.

4. Commercial aircraft will not be authorised to use military air-fields in the British Indian Ocean Territory. The U.S. Government and its contractors shall make use of workers from Mauritius and Seychelles to the maximum extent possible. The Agreement shall remain in force for an initial period of 50 years.

(c) We are opposed to the setting up of military bases in this area. However, we do not apprehend any conflicts breaking out in the foreseeable future. India does not propose to be dragged into any such conflicts.

(d) Does not arise.

परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर करने की पाकिस्तान की शर्त

1920. श्री मधु लिमये : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने संबंधी संधि पर इस शर्त पर हस्ताक्षर किए हैं कि भारत भी उस संधि पर हस्ताक्षर करने को सहमत हो जायेगा;

(ख) क्या पाकिस्तान ने 'एड इण्डिया' क्लब के सदस्यों अथवा किसी सदस्य से यह कहा है कि वे भारत को सहायता देना बंद कर दें ताकि उस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये उस पर दबाव डाला जा सके; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान की इन कार्यवाहियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) अखबारों में इस आशय की खबरें छपी हैं कि इस संधि पर पाकिस्तान का रवैया भारत के निर्णय पर निर्भर करेगा ।

(ख) हमें इसकी जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

CoCo Island

1921. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Andaman-Nicobar Islands included an Island name CoCo;

(b) whether this island was handed over to Burma during the time of late Jawaharlal Nehru;

(c) whether any written/oral agreement was concluded with Burma in this connection;

(d) the population of CoCo island; and

(e) the names of the islands adjoining CoCo island which are in our possession?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Population is not known as this territory belongs to Burma.

(e) Land-FALL Island of Andaman Group.

भारतीय नौ सेना

1922. **श्री मधु लिमये :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रूसी पत्रिका "रैड स्टार" में प्रकाशित भारतीय नौ-सेना संबंधी एक लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन तथा नौसैनिक उद्योग अब जहाजों और फ्रिगेटों के मामले में भारतीय नौसेना को सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है; और

(ग) अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा भारतीय महासागर में भारत के हितों की रक्षा तथा भारत की सुरक्षा के लिये तैयार किये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय पोत निर्माताओं ने नौसेना के लिए पोतों की एक संख्या का निर्माण किया है । कुछ समय बीता हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० ने एक सर्वेक्षण पोत का निर्माण किया था । मजागांव डाक लि० बम्बई द्वारा पहला इनशोर माईनस्वी पर जून 1968 में वितरण किया था । इसी पोत निर्माता ने नौसेना को गत वर्ष एक बकेट ड्रेजर भी सप्लाई किया था । इस समय वह नौसेना के लिए एक आधुनिक फ्रिगेट तथा एक इनशोर माईनस्वी और दो ए०वी०सी०ए०टी० टैंकरों के निर्माण में व्यस्त है । सागर में चलने वाली नौकाओं, टगों और बार्जरों का भी, गत समय में, मजागांव डाक लि० या गार्डन रीच वर्कशाप लि० कलकत्ता ने निर्माण किया है ।

जब देशीय क्षमता नौसेना की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है, नौसेना के लिए पोतों के निर्माण में भारत को तेजी से आत्मनिर्भर बनाने में पग उठाये जा रहे है ।

(ग) अपने संसाधनों से संगत, नौसेना को अपना कृत्य संभालने के योग्य बनाने के लिए, कि जिस में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिन्द सागर में अपने हितों को रक्षा भी शामिल है, इस सशक्त बनाने और इसके आधुनिकीकरण के लिए पग उठाए जा रहे हैं। इन उपायों के विस्तार प्रकट करना लोकहित में न होगा।

भारतीय समस्याओं के प्रति अमरीका का रवैया

1923. श्री मधु लिमये : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मद्रास के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि अमरीका इस बात के खिलाफ है कि हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा बने;

(ख) क्या यह सच है कि अमरीका इस बात के भी खिलाफ है कि भारत परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता है;

(ग) क्या यह सच है कि अमरीका इस बात के लिए भी विरुद्ध है कि भारत काश्मीर के मामले में पाकिस्तान को रियायत दे; और

(घ) यदि हां, तो इन सभी मामलों पर अमरीका के रवैये के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जिम्मेदार अमरीकियों द्वारा इस तरह का कोई बयान दिए जाने के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी प्राप्त नहीं है।

(ख) जी हां संयुक्त राज्य अमेरिका यही चाहेगा कि हम इस संधि पर हस्ताक्षर करें।

(ग) अमरीकियों ने इस संबंध में कोई सलाह नहीं दी है।

(घ) भाग (क) और (ग) के संदर्भ में यह प्रश्न उठता ही नहीं। जहां तक भाग (ख) का प्रश्न है इस बारे में भारत सरकार की स्थिति लोकसभा में पहले ही बताई जा चुकी है।

परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध संधि पर डा० कोठारी का वक्तव्य

1924. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान डा० डी० एस० कोठारी द्वारा 31 जनवरी, 1968 को दिल्ली में कृष्णा स्मृति भाषण में कही गई इस बात की ओर दिलाया गया है कि परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध सन्धि परमाणु शस्त्रों वाले देशों को अन्य देशों की अपेक्षा अधिक लाभकारी होने के अतिरिक्त इस संधि से जितनी समस्याएं हल नहीं होंगी उससे और अधिक समस्याएं पैदा होंगी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) जी हां।

(ख) इस संधि के प्रति सरकार का रुख सदन में पहले ही कई बार बताया जा चुका है।

पाकिस्तान के लिये रूसी ट्रांसमीटर

1925. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूस और पाकिस्तान के बीच एक करार हुआ है जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान में दो शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाये जायेंगे और प्रत्येक ट्रांसमीटर 1000 किलोवाट का होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रचार अभियान पर इन दो ट्रांसमीटरों के प्रभाव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आकाशवाणी में प्रयोग के लिये ऐसे ही ट्रांसमीटर प्राप्त करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) इस आशय की रिपोर्ट समाचार-पत्रों में छपी थी।

(ख) जी, हां।

(ग) दो सुपर पावर ट्रांसमीटर, एक राजकोट तथा दूसरा कलकत्ता के निकट, लगाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दो उच्चशक्ति मीडियम वेव ट्रांसमीटर भी लगाये जायेंगे। स्थिति पर बराबर ध्यान रखा जायेगा।

प्रतिरक्षा व्यय मितव्यता

1926. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सेना की कार्यकुशलता तथा उसकी युद्ध क्षमता पर प्रभाव डाले बिना प्रतिरक्षा व्यय में मितव्ययता बरतने की संभावना पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) इस कार्यवाही के फलस्वरूप चालू वर्ष में कितनी बचत होने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने रक्षा व्यय में बचत के लिए विभिन्न उपाय हस्तगत किए हैं कि जिन के परिणामस्वरूप सशस्त्र सेनाओं की सिर से पांव तक निष्पत्ति के सुधार की भारी प्रगति हुई है, और अब तक लगभग 52 करोड़ रुपयों की बचतें की गई हैं। बचत करने और रक्षा खर्च पर आने वाली लागत में प्रभावी तौर पर सुधार करने के और उपाय की विचाराधीन हैं।

(ग) सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा चुके कुछ उपाय पुनरावृत्त किस्म के होने के कारण, आशा है लगभग 26.34 करोड़ रुपये वार्षिक बचत में परिणामित होंगे। अन्य उपायों से भी जो सक्रियता से विचाराधीन हैं भारी बचतें होने की आशा है, परन्तु ठीक ठीक राशियों का निर्धारण तभी किया जा सकेगा जब अन्तिम निर्णय किए गए।

"Patriot" and "Link"

1927. Shri Ram Avtar Shastri:
Shri Indrajit Gupta:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to **state**:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news published in the newspapers that the Government of Andhra Pradesh have said that the English daily Patriot and Weekly Link published from Delhi are communal papers;

(b) whether it is also a fact that the said Government have stopped giving them advertisements on this plea;

(c) if so, the ground on which this decision has been taken; and

(d) the reaction of Government thereto?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) According to a news item in the 'Patriot', New Delhi, of 20th July 1968, the Revenue Minister is reported to have reiterated in the Legislative Council, the statement of the Chief Minister that the Government of Andhra Pradesh do not consider 'Patriot' and 'Link' as communal papers.

(b) and (c). A report from the State Government on the subject is awaited.

(d) Does not arise at this stage.

उत्तर प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना

1928. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) क्या यह भी सच है कि योजना बनाते समय उस राज्य के देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर तथा गाजीपुर जिलों के बारे में पटेल आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में पटेल आयोग की किन किन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) जी, नहीं ।

(ख) जी हां । राज्य की चौथी पंच वर्षीय योजना बनाते समय राज्य सरकार पटेल समिति की सिफारिशों को यथा संभव ध्यान में रखेगी ।

(ग) इस अवस्था पर प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीन द्वारा थल सीमा का उल्लंघन

1929. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई और जून 1968 के महीनों में चीन ने कितनी बार भारत की थल सीमा का उल्लंघन किया है ; और

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) एक।

(ख) देश की सुरक्षा के लिये आवश्यक सभी पग उठाये गये हैं।

पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा और स्थल सीमा का उल्लंघन

1930. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान ने मई और जून 1968 में भारत की वायु सीमा और स्थल सीमा का कितनी बार उल्लंघन किया ; और

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह): (क) मई और जून 1968 के दौरान पाकिस्तान द्वारा 7 स्थल उल्लंघन किए गए थे और दो अंतरिक्ष उल्लंघन। इनमें युद्धविराम रेखा के पार के 6 स्थल उल्लंघन शामिल हैं और 1 अन्तरिक्ष उल्लंघन।

(ख) युद्ध विराम रेखा के पार के उल्लंघनों के बारे में संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षकों को युद्ध विराम उल्लंघन शिकायतें भेजी गई थीं, और अन्य उल्लंघनों के संबंध में पाकिस्तान सरकार को विरोधपत्र भेज दिए गए थे।

दक्षिण वियतनाम आये संसदीय शिष्टमण्डल के साथ बात-चीत

1931. श्रीमती सुशीला गोपालन
श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालन :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1968 में दक्षिण वियतनाम के एक संसदीय शिष्टमंडल ने देश का दौरा किया था और वह प्रधान मंत्री से मिला था ; और

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री और शिष्टमंडल के सदस्यों के बीच जो बातचीत हुई उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). वियतनाम गणराज्य का एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल 8 से 11 जुलाई तक नई दिल्ली में था इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान मंत्री से भेंट नहीं की थी।

आकाशवाणी में नेहरू यूनिट

1932. श्री हरदयाल देवगुण : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के लेखों तथा भाषणों को एकत्र करने

के लिये आकाशवाणी में 14 व्यक्तियों का एक "नेहरू यूनिट" स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जिन व्यक्तियों को यह काम सौंपा गया है, क्या वे सब आकाशवाणी के कर्मचारी हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं ;

(घ) क्या महात्मा गांधी, सरदार पटेल और सुभाष चन्द्र बोस के लिये भी ऐसे एकक बनाये गये हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां। भारत तथा विदेशों में आकाशवाणी तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा श्री नेहरू के रिकार्ड किये गये भाषणों को एकत्र करने के लिये 5 व्यक्तियों का एक अलग यूनिट मई, 1964 में स्थापित किया गया था। यह एकक श्री नेहरू के लेखों को एकत्र नहीं करता।

(ख) वे सब आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट हैं। इसके अतिरिक्त, एक प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव अपने अन्य कार्यों के साथ-साथ इस यूनिट को भी देख [illegible] करता है।

(ग) केवल नेहरू यूनिट के लिये रखे गये व्यक्तियों के नाम तथा पद, नीचे दिये गये हैं :—

1 श्रीमती कान्ता भारती, सहायक प्रोड्यूसर
2 श्री एस० सी० मुद्राराक्षस, स्क्रिप्ट लेखक
3 श्री जे० एन० निगम, स्क्रिप्ट लेखक
4 श्री रामचरण लाल, कापिस्ट (आशुलिपिक) तथा
5 श्री अशोक करम, प्रोड्क्शन सहायक।

(घ) महात्मा गांधी के रिकार्ड किये गये भाषणों को एकत्र और रिकार्ड प्रत्यंकन करने का काम ट्रांसक्रिप्शन सर्विस द्वारा किया गया था। यह काम पूरा हो गया है। तथापि, गांधी शताब्दी समारोह के संबंध में 1962 में अलग से एक गांधी यूनिट स्थापित किया गया था। सरदार पटेल तथा सुभाष चन्द्र बोस के रिकार्ड किये गये भाषणों का संग्रह और रिकार्ड प्रत्यंकन करने का काम भी ट्रांसक्रिप्शन सर्विस द्वारा किया गया था और कुछ ही वर्ष पूर्व पूरा हुआ।

(ङ) किसी अलग यूनिट की जरूरत नहीं थी क्योंकि यह काम हमारी ट्रांसक्रिप्शन सर्विस द्वारा अच्छी प्रकार से किया गया।

Pay Scales of Transmission Executives in A.I.R.

1933. Shri Brij Bhushan Lal:
Shri Ram Gopal Shalwale:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased **to state:**

(a) the reasons for which the pay scales of the Transmission Executives in A.I.R. have not been revised when pay scales of all other categories in A.I.R. have been revised;

(b) whether any memorandum in this regard has been submitted by them; and

(c) if so, the action taken thereon?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) It is not correct to say that pay scales of all categories of staff of All India Radio other than Transmission Executives, have been revised. Pay scales of only a few categories of staff, mostly engineering personnel, have been revised.

(b) Yes, Sir.

(c) The question of revision of pay scales of Transmission Executives will be considered along with that of other programme staff of All India Radio.

परमाणु रिएक्टरों का निर्यात

1934. श्री महाराज सिंह भारती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अन्य देशों को परमाणु रियेक्टर निर्यात करने के बारे में बातचीत कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हम यह काम अकेले ही कर सकेंगे अथवा हमें इस काम के लिए कुछ अन्य देशों का सहयोग लेना पड़ेगा ; और

(ग) ऐसे कौन-कौन से देश हैं जिनके साथ अब तक इस बारे में बातचीत हो चुकी है तथा इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Development of Atomic Energy

1935. Shri Maharaj Singh Bharati: Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India has become self-sufficient in the development of Atomic Energy and foreign exchange is not required, but it has been decided to go slow in the matter of Atomic Energy Development Programme during the Fourth Plan period due to shortage of funds; and

(b) if so, the efforts being made to augment the resources therefor?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) India is progressively becoming self-sufficient in the development of atomic energy and the foreign component of our nuclear power projects has decreased considerably. The progress of our programme is related to the development of our industrial base and the availability of skilled manpower.

(b) Does not arise.

ब्रिटिश आप्रवास अधिनियम

1936. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्र यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जून, 1968 को 'इंडियन एक्सप्रेस' नामक समाचारपत्र में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटिश आप्रवास अधिनियम की शब्दावलि में कुछ अस्पष्टता होने के कारण स्त्रियों को 'हाउस होल्डर्स की मुखिया' नहीं माना जायेगा और इस प्रकार उन्हें ब्रिटिश नागरिकता से वंचित रखा जायेगा ।

(ख) क्या उपरोक्त त्रुटि का केनियावासी उन भारतीयों पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो ब्रिटेन में जाना चाहते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). सरकार ने यह खबर देखी है ।

राष्ट्रमंडल आप्रवास अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि यदि कोई ब्रिटिश नागरिक पहले से ही ब्रिटेन में हो तो उसकी पत्नी उसके पास जाकर रह सकती है । इसके विपरीत किसी स्त्री के पास उसके पति के जाकर रहने के तदनुरूप अधिकार का इस अधिनियम में विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है । अभी हाल तक, ब्रिटेन में प्रवेश करने के लिए परमिटों के बारे में आवेदन केवल पुरुषों से ही प्राप्त हुए हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि अब कुछ आवेदन स्त्रियों से ही प्राप्त हुए हैं ।

ज्ञात हुआ है कि ब्रिटिश अधिकारी इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

कीनिया में बसे हुए भारतीयों को 'कीनिया छोड़ो' नोटिस

1937. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीनिया में बसे हुए 1400 से अधिक भारतीयों को कीनिया छोड़ने के लिये नोटिस दिये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कीनिया के 1500 से अधिक भारतीयों के पास जो भारत आये हुए हैं अस्थायी वीजा है जिनकी अवधि जुलाई 1968 के अन्तिम सप्ताह में समाप्त होने वाली है ;

(ग) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय ले लिया है कि उन्हें भारत में आने की अनुमति दी जायेगी अथवा इंग्लैंड भेजा जायेगा ; और

(घ) क्या उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों के वीजाओं की अवधि बढ़ाने का भी कोई निर्णय किया गया है और यदि हां, तो किस आधार पर ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं । हमारी जानकारी के अनुसार ब्रिटिश पासपोर्टधारी केवल 200 भारतमूलक व्यक्तियों को निवास-परमिट देने से इंकार किया गया है ।

(ख) और (घ) जी हां। परन्तु कई मामलों में वीज़ा की अवधि को दया के आधार पर बढ़ा दिया गया है।

(ग) वे ब्रिटिश नागरिक हैं और सामान्यतः उनके इंग्लैंड जाने की आशा की जानी है परन्तु यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत आना चाहते हैं, तो सरकार उनके अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। 13 परिवारों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति पहले ही दे दी गई है।

मलेशिया भारत के सहयोग से युद्धास्त्र कारखाने की स्थापना

1938. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्र क० प्र० सिंह देव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और मलयेशिया के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में नई दिल्ली में सरकारी स्तर पर हुई बातचीत में मलयेशिया में भारतीय सहयोग से एक युद्धोपकरण कारखाना लगाने के प्रश्न पर विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार ने मलयेशिया सरकार को क्या सहायता देना स्वीकार किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). मलयेशिया की सैनिक आवश्यकताओं पर सदन में विचार विमर्श करना वंचित नहीं होगा।

"इंडियाज न्यूक्लियर डाइलेमा" नामक पुस्तक

1939. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "इंडियाज न्यूक्लियर डाइलेमा" नामक पुस्तक में लेखक के, जो प्रतिरक्षा मंत्रालय का भूतपूर्व जन सम्पर्क निदेशक है, कहा है कि भारत 1970 तक प्रति सप्ताह में एक अणु बम बना सकेगा ;

(ख) क्या इस पुस्तक में कोई ऐसी जानकारी दी गई है, जो सामान्यतः गुप्त समझी जानी है ;

(ग) क्या इस पुस्तक की पांण्डुलिपि की जांच की गई थी और उसके प्रकाशन के लिये अनुमति दी गई थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है कि उच्च पदों पर काम करने वाले व्यक्ति सेवानिवृत्ति के पश्चात् लिखी जाने वाली अपनी पुस्तकों में सरकार की गुप्त जानकारी न दे सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह

1940. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या सूचना और सारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार जनवरी, 1969 में एक अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह का आयोजन करने का है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र संघ भारत में कोई प्रतियोगी समारोहों का आयोजन करने के लिये सरकार की अनुमति देने से इंकार करता रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) जी हां, अगले वर्ष एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) जी हां ।

(ग) पिछले समारोह के समय जो शर्तें मानी गई थी उनमें से एक यह भी थी कि सरकार समारोह में प्रवृष्ट फिल्मों या अन्य बड़े बड़े अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में इनाम जीतने वाली फिल्मों को आयात करने और व्यापारिक प्रदर्शन करने की आज्ञा देगी । क्योंकि इन फिल्मों में से अभी कुछ का भारत में आयात किया जाना है, अतएव, इन्टरनेशनल फैडरेशन आफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने यह सुझाव दिया है कि अगले समारोह को करने से पहले पिछले वायदे पूरे किये जायं । इन वायदों को पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है ।

रोडेशिया की समस्या के हल के लिये बल प्रयोग

1941. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने 29, मई को हुई सुरक्षा परिषद् की बैठक में रोडेशिया की समस्या को बल प्रयोग द्वारा हल करने का समर्थन किया है ;

(ख) क्या सरकार ने अपनी यह नीति त्याग दी है कि देशों को अपनी समस्यायें शांतिपूर्वक तरीकों से निपटानी चाहिये ;

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान तथा चीन द्वारा हथियाए गए भारतीय राज्यक्षेत्र को स्वतन्त्र कराने के लिये सरकार का बल प्रयोग करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां । रोडेशिया में प्रशासकीय सत्ता के रूप में अपने उत्तरदायित्व निभाने में ब्रिटिश सरकार द्वारा ताकत के इस्तेमाल का हमने समर्थन किया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

1794 (Ai) LS—5.

मंत्रियों के लिए कारें

1942. **श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने केन्द्रीय मंत्रियों को यह निदेश जारी किये थे कि जहां तक संभव हो वे देश में बनी कारों का प्रयोग करें ; और

(ख) यदि हां, तो कितने मंत्रियों के पास देश में बनी कारें हैं तथा कितने मंत्रियों के पास विदेशी कारें हैं और उनका व्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य-मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) स्टाफ कारों पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए सितम्बर, 1966 में समस्त मंत्रालयों विभागों को अनुदेश (हिदायतें) दिये गये (विशेषकर उन कारों के संबंध में जिनका उपयोग मंत्रीगण करते हैं) कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग मंत्री के प्रयोग के लिए केवल एक ही 1960 के बाद की बनी बड़े आकार की विदेशी कार रखे। इससे अधिक कारों को निपटान के लिए राज्य व्यापार निगम को सौंपने तथा उनके स्थान पर भारतीय कारों को रखने की हिदायतें दी गई।

(ख) मंत्रियों द्वारा किस प्रकार की तथा कहां की बनी सरकारी कारें प्रयोग में लाई जा रहीं हैं, इस संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है।

प्रादेशिक सेना अधिकारी

1943. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सेना के स्थायी अधिकारियों की सेवा शर्तें सेना के अन्य अधिकारियों की तुलना में कसी हैं ;

(ख) क्या ऐसे प्रादेशिक सेना अधिकारी किसी पेन्शन के लिए हकदार हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) प्रादेशिक सेना की किसी यूनिट में स्थायी तौर पर सेवा कर रहे प्रादेशिक सेना के अफसरों की सेवा की शर्तें निम्न मुख्य अंतरों सहित लगभग वही हैं जो नियमित सेना के अफसरों की है :—

(1) नियमित सेना के अफसरों को देय 30 रूपये मासिक विशेष डिस्टवैंस भत्ता प्रादेशिक सेना के अफसरों को नहीं दिया जाता।

(2) प्रादेशिक सेना के अफसरों की हालत में विवाहित वास्य स्थान का अधिकार एस्टेब्लिश्मेंट के 50 प्रतिशत तक सीमित होता है।

(3) प्रादेशिक सेना के सेविवर्ग पेन्शन के अधिकारी नहीं होते।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रिटायर होने की पेंशन साधारणत: किसी स्थाई रूप में निरन्तर लम्बी अवधि के सेवा के पश्चात् ही केवल देय है। प्रादेशिक सेना जनता की अंशकालिक स्वेच्छिक संस्था है। यह स्थायी वृत्तिक उपलब्ध करने के लिए अभिकल्पित नहीं की गई। तदपि, प्रादेशिक सेना के जिन सेवी वर्ग ने कम से कम 4 वर्षों की एम्बाडीड सेवा सम्पूर्ण करली होती है, वह टर्मिनल उपदान के अधिकारी बन जाते हैं।

प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा पर व्यय

1944. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री के हाल के सिंगापुर कुआलालम्पुर, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर कुल कितने रुपये खर्च हुए ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : कुल मिलाकर 2,02,484 रुपये (अनुमानत:) के मूल्य की विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी। (इसमें भारतीय वायुसेना के विमान का खर्च शामिल नहीं है जिसमें प्रधान मंत्री और उनके दल के सदस्य पालम से मद्रास गई थी और कुआलालम्पुर से पालम आई थी)।

वियतनाम युद्ध में घातक कीटाणु छोड़ने वाले अस्त्रों का प्र ोग

1945. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ भारतीय सैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए इस आशय समाचार की ओर दिलाया गया है कि (एक) वियतनाम में और विश्व के अन्य भागों में अमरीका युद्ध में बड़े पैमाने पर कीटाणु छोड़ने वाले अस्त्रों का प्रयोग करने की योजना बना रहा है, (दो) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमरीका बड़ी मात्रा में कीटाणु छोड़ने वाली युद्ध सामग्री इकट्टी कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):
(क) इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी में कर्मचारी संघ

1946. **श्री शशि भूषण** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में कितने कर्मचारी संघ हैं ;

(ख) क्या कथित संघ में सरकार को कोई मांगपत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 12, जिनसे 4 मान्यता प्राप्त हैं।

(ख) जी हां।

(ग) मांगों पर गुणों के आधार पर विचार किया जाता है और जहां तक संभव हो सके उनको पूरा किया जाता है ।

पूर्व पाकिस्तान में तथाकथित षड्यंत्र के बारे में पाकिस्तान को विरोध-पत्र

1948. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताशकन्द घोषणा के घोर उल्लंघन के रूप में पूर्व पाकिस्तान में तथाकथित षड्यंत्र में भारत को अंतर्ग्रस्त करने के विरोध में भारतीय विरोध-पत्र देने के लिए पाकिस्तानी उच्च आयुक्त को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में बुलाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने इस पत्र को लेने से इन्कार किया था और भारत के खिलाफ अत्यन्त अपमानजनक बातें कही थीं ;

(ग) क्या यह राजनयिक आधार संहिता का गंभीर उल्लंघन नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान के इस अधिकारी के आचरण पर अपना रोष व्यक्त किया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान के हाई कमिशन ने हमारे विरोध को "अस्वीकार" तो कर दिया लेकिन उन्होंने नोट को स्वीकार करने से इंकार नहीं किया है और न ही उसने भारत के के प्रति अपमानजनक शब्द ही कहे ।

(ग) और (घ): प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान के कब्जे में विवादग्रस्त क्षेत्र

1949. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेडक्लिफ पंचाट के आधार पर भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमाएं निर्धारित किये जाने के पश्चात् कौन-कौन से विवादग्रस्त इलाके 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान अधिकार में हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : 1947 से पाकिस्तान के कब्जे में अगर कोई ऐसे इलाके हैं भी तो वे पश्चिम बंगाल/पूर्व पाकिस्तान सीमा के सिर्फ 24–परगना क्षेत्र में अलग-अलग टुकड़े हो सकते हैं, जिनका पता सीमांकन के बाद ही चलेगा ।

बम्बई में नौसेना गोदी

1950. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई के नौसेना गोदी के कुछ क्रय अधिकारियों द्वारा गोदी के लिये माल के क्रय में कदाचार करने के विरुद्ध कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन के कदाचार के संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) कुछ गुमनाम और बनावटी नामों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायनों के संबंध में सरकार की नीति के अनुसार उन पर कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी और टेलीविजन के लिए निगम

1951. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चन्दा समिति की इन सिफारिशों पर कि रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण दो निगमों को सौंपा जाये, कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं । तथापि, दोनों संगठनों को मिलाने का प्रश्न तभी उठेगा जबकि टेलीविज़न का विस्तार हो जायगा और इसका कार्यक्षेत्र बढ़ जायेगा । फिलहाल दोनों संगठनों का ऊपरी खर्चा अलाभकारी होगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय दूतावासों के कार्य-संचालन की जांच करने के लिए समिति

1952. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में अपने दूतावासों के कार्य-संचालन की जांच करने और वहां पर मितव्ययता के लिए उपाय सुझाने के लिये एक समिति नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :
(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

टेलिविज़न कार्यक्रम

1953. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में टेलीविजन कार्यक्रम के मार्गदर्शन के लिये कोई समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) क्या दिल्ली के किसी संसद् सदस्य को इस समिति में शामिल किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां, स्कूल टेलीविज़न के लिए एक परामर्शदात्री पैनल बनाया गया ।

(ख) पैनल में निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्य हैं :—

(1) श्री एस० एन० आलूवालिया, विभागाध्यक्ष, आडियो-विजुअल एजकेशन, नेशनल कोंसिल आफ़ एजूकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग विभाग, शिक्षा मंत्रालय ।

(2) डा० एम० सी० पंत्त, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट आफ साइंस एजूकेशन, नेशनल कोंसिल आफ़ एजूकेशनल रिसर्च, एंड ट्रेनिंग, शिक्षा मंत्रालय ।

(3) कुमारी रवि हरी दास, प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट माडल हायर सेकेंड्री स्कूल, नई दिल्ली ।

(4) श्री के० सी० सिंह, प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट माडल हायर सेकेंड्री स्कूल, दिल्ली ।

(5) श्री एम० एन० कपूर, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट माडल हायर सेकेंड्री स्कूल, नई दिल्ली ।

(6) डा० पी० के० राय, प्रधानाचार्य, सेन्ट्रल इन्स्टीट्यट आफ़ एजकेशन, नई दिल्ली ।

(7) मिस्टर डगलास इन्समिगर, फोर्ड फ़ाऊंडेशन के भारत में प्रतिनिधि, नई दिल्ली ।

(8) डा० जौन मैसलैंड, शिक्षा सलाहकार, दी फोर्ड फाऊंडेशन, नई दिल्ली ।

(ग) जी, नहीं ।

New Industries in Public Sector

1954. Shri Kanwar Lal Gupta: Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided not to start any new industries in the public sector during 1968-69;

(b) whether Government propose to postpone the opening of new steel plants in the public sector; and

(c) the new industries which were to be opened in public sector during this year?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (c). A few new industrial projects of high priority are included in the 1968-69

Annual Plan. These are the expansion of Trombay Fertiliser Project, Sindri Rationalisation Scheme, the Cooperative Fertiliser Project at Kandla and the Gujarat Aromatics Project. It is not proposed to take up any new steel plant, barring Bokaro, during the year.

कटक में आकाशवाणी केन्द्र का भवन

1955. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कटक केन्द्र के लिये एक भवन बनाने का प्रस्ताव चिरकाल से अनिर्णीत, पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त केन्द्र के लिये एक भवन बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) प्रस्ताव 1964 से विचाराधीन है ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में प्राजेक्ट शामिल कर दिया गया है ।

बालासौर प्रूफ (प्रतिरक्षा) एण्ड एक्सपेरीमेंटल, सेंटर, बालासौर

1957. **श्री चिन्तामणि पाणीग्रही :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासोलर प्रूफ (डिफेंस) एण्ड एक्सपैरीमेन्टल सेंटर के अधिकारियों ने मई, 1968 में कुछ व्यक्तियों को मूल्यवान सरकारी सम्पत्ति चुराने के दोष में गिरफ्तार किया था ;

(ख) क्या सेंटर के कुछ कर्मचारियों का चोरों के साथ गठबंधन का पता लगा है ; और

(ग) अब तक ऐसी चोरी के कारण सरकार को कुल कितनी सम्पत्ति की हानि हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सरकारी सम्पत्ति की चोरी में अन्तर्गस्त माने गए संदिग्ध कुछ अतिक्रामकों को केन्द्र के अधिकरणों द्वारा मई 1968 में स्थानीय पोलीस के हवाले किया गया था।

(ख) ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि सिब्बिन्दी के कुछ कर्मचारी भी अन्तर्ग्रस्त है । मामला जांच-अधीन है ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

1958. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1968–69 के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत की दर से विकास होने की परिकल्पना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विकास दर की प्राप्ति हेतु कितनी पूंजी लगाने का विचार किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं । ऐसा अनुमान है कि विकास की दर लगभग 5 प्रतिशत होगी ।

(ख) वर्ष 1968–69 के लिये योजना परिव्यय 2337.43 करोड़ रुपये है । विनियोजन दर के 1967–68 की भांति लगभग 11.5 प्रतिशत होने की संभावना है ।

दिल्ली में विदेशी दूतावास

1961. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि दिल्ली स्थित बहुत से विदेशी दूतावास अपने प्रत्यायन वाले देशों में राजनयिक बर्ताव सम्बन्धी नियमों के विरुद्ध भारतीय असैनिक तथा सैनिक सेवा के उच्च अधिकारियों को समय-समय पर अपने दूतावासों में बुला कर उनका पेय पदार्थों तथा डिनर (रात का भोजन) से सत्कार करते हैं;

(ख) क्या सरकार ने कभी मालूम किया है कि कितने भारतीय अधिकारी नियमित रूप से विदेशी दूतावासों में खाते तथा पीते हैं और इन दूतावासों से नकदी तथा वस्तुओं के रूप में जिसमें ह्विस्की की बोतलें भी शामिल हैं उपहार प्राप्त करते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय अधिकारियों तथा विदेशी राजदूतों के बीच इस सामाजिक मिलन को जिससे कभी देश की गुप्त बातों का अनजाने भेद खुल सकता है और देश का अहित हो सकता है बन्द करने का है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : सरकार को यह बात मालूम है कि नई दिल्ली स्थित विदेशी राजनयिक मिशन स्वागत-समारोहों में और रात्रिभोजनों में सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाते हैं । इस तरह के सामाजिक अवसरों पर आमंत्रित किया जाना सामान्य राजनयिक व्यवहार और सामान्य शिष्टाचार के विरुद्ध नहीं है ।

(ख) अधिकारियों द्वारा इस तरह के निमंत्रणों की स्वीकृति के बारे में पूछताछ करना सरकार न तो आवश्यक समझती है और न वांछनीय ही लेकिन जहां तक भेंट-उपहार का प्रश्न है इस बात के पहले ही से निर्देश मौजूद हैं कि इस तरह का उपहार पाने वाला अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसे इनके बारे में बताना होगा और इन्हें अपने पास रखने के लिए आदेश लेने पड़ेंगे ।

(ग) और (घ). जी नहीं । सरकार यह नहीं समझती कि भारतीय अधिकारियों और भारत-स्थित विदेशी मिशनों के अधिकारि ों के बीच सामान्य सामाजिक संपर्क से देश की सुरक्षा के हित ख़तरे में पड़ जाएंगे ।

पाकिस्तान का काश्मीर के संबंध में सुरक्षा परिषद् को पत्र

1963. **श्री निहाल सिंह:** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि भारत को काश्मीर को अपना अन्तरिक्ष विषय नहीं समझना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) 1947 के अधिमिलन के परिणामस्वरूप समस्त जम्मू और काश्मीर भारत में शामिल हो गया था । इस तथ्य से समस्त जम्मू और काश्मीर के उपर भारत की प्रभुसत्ता में कोई अंतर नहीं पड़ता कि इस राज्य के कुछ भागों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है । इस प्रकार के दावे प्रस्तुत करके जैसा पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद् को लिखे हुए अपने पत्र में किया है जम्मू और काश्मीर के ऊपर से अपना प्रभुसत्ता को समाप्त करने के लिए भारत को फंसाना पाकिस्तान की बड़ी पुरानी नीति रही रही है । परन्तु इस प्रकार की चालबाजी सही स्थिति को नहीं बदल सकनी ।

Military Agricultural Farms

1964. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9173 on the 1st May, 1968 and state:

(a) whether the requisite information in respect of military agricultural farms has since been collected; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. (*Placed in Library. See* No. LT-1535/68).

केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

1965. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने यह मांग की है कि उनको केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध की जायें;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सूचना सेवा की स्थापना से लेकर अब तक ऐसी कितनी प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ग) प्रार्थनाओं पर कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये तथा किन-किन विभागों में; और

(घ) ऐसी कितनी प्रार्थनाएं अस्वीकार की गई और किन-किन विभागों की थीं और इसके क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1536/68]

Pakistan Preparations on Ferozepur-Amritsar Border

1966. Shri Onkar Lal Berwa:
Shri G. S. Reddi:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistan have made intensive Military preparations at Ferozepur-Amritsar border;

(b) whether it is also a fact that Pakistan have made similar preparations at Rajasthan borders as well; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) and (b). Government keep a watch on Pakistani activity across our borders having a military significance. According to our information apart from normal military concentration Pakistan has built some military works in some parts of this area.

(c) All necessary measures for safeguarding the security of the country are included in our Defence Plans.

पंजाब के पहाड़ी इलाकों के लिये धन राशि का दिया जाना

1967. **श्री हेमराज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के मूल प्रारूप में पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों के लिये कितनी-राशि नियत की गई थी;

(ख) पंजाब के पुनर्गठन से पहले योजना में हिमाचल प्रदेश के लिये कितनी राशि निश्चित की गई थी; और

(ग) पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय हो जाने के पश्चात चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये इस समय कितनी राशि नियत करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) 1966 में योजना आयोग द्वारा प्रकाशित "चौथी पंच वर्षीय योजना—एक रूपरेखा" में पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों के लिये धन की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी।

(ख) दिसम्बर 1966 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श के बाद हिमाचल प्रदेश की जिसमें इस राज्यक्षेत्र के साथ विलय किये गये नये पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं, चौथी पंच वर्षीय योजना के लिये, जैसी 1966 में व्यवस्था की गई थी 94.38 करोड़ रुपये का परिव्यय निश्चित किया गया।

(ग) इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

पाकिस्तान तथा चीन की परमाणु शक्ति

1968. **श्री हेमराज : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या हमारी सीमा पर दो शक्तिशाली शत्रुओं चीन तथा पाकिस्तान की परमाणु शक्ति के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां तो अध्ययन का परिणाम क्या निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) चीनी आण्विक क्षमता के सम्बन्ध में सरकार के पास उपलब्ध जानकारी 13 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 611 के उत्तर में दी गई है ।

जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है 1 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9239 के उत्तर में संकेत दिया जा चुका है कि सरकार की सूचना के अनुसार पाकिस्तान के पास आण्विक क्षमता नहीं है ।

अक्साई चिन सड़क पर सैनिकों का जाना

1969. **श्री क० लकप्पा : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अक्साई चिन सड़क का चीन सरकार द्वारा उसे औपचारिक रूप से यातायात के लिये खोलते समय सैनिकों के वहां जाने से उत्पन्न हाल के विवाद की ओर ध्यान दिया है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि यह जानकारी उस समय के राजदूत को दी गई थी और क्या इस राजदूत ने अब इस बात से इन्कार कर दिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सरकार ने इस विषय पर हुए पत्राचार को एक समाचार-पत्र में देखा है ।

(ख) इस विषय के पत्राचार से यह पता चलता है कि लेखक इस बारे में सहमत है कि इस बड़ी सड़क के उद्घाटन के अवसर पर जोकि चीन सरकार ने भारतीय प्रदेश के अक्साई चिन क्षेत्र में ग़ैर-कानूनी तरीके से बनाई है—कर्मचारी नहीं बुलाए गए थे ।

वित्तीय कारणों से भारतीय दूतावासों का बन्द किया जाना

1970. **श्री एस० के० संबंधन : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किन्हीं दूतावासों को वित्तीय कारणों के कारण बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

परमाणु शक्ति की उत्पादन लागत

1971. **श्री स० कुण्डू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लकड़ी के कोयले तथा जल से एक किलोवाट विद्युत् की उत्पादन लागत की तुलना में परमाणु रिएक्टर से विद्युत् का उत्पादन करने पर कितनी लागत आती है ;

(ख) क्या सस्ते और अधिक शक्तिशाली यूरेनियम प्राप्त करने के लिये हमारे वैज्ञानिकों ने पराकेन्द्रापसारित (सेन्ट्रीफ्यूज) ढंग अपनाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) 200–400 मैगावाट क्षमता वाले बिजली घर में परमाणु बिजली का उत्पादन मूल्य लगभग 5 : 5 से 5 पैसे प्रति किलोवाट घंटा है। इसी क्षमता के बिजली घर, जैसे कि राजस्थान और मद्रास के परमाणु बिजलीघर, के मुकाबले में कोयले को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने वाले किसी ताप बिजलीघर में उत्पादित बिजली का मूल्य लगभग 6 पैसे प्रति किलोवाट घंटा होगा जब कि 8500 बी.टी.यू. प्रति पौण्ड की क्लोरिफिक वैल्यू वाले एक टन कोयले का मल्य 60 रुपये हो। जल से उत्पादित बिजली का मूल्य स्थान-स्थान पर भिन्न है तथा इस बात पर निर्भर है कि बिजलीघर किस क्षेत्र में स्थित है तथा क्या वह किसी बहुउद्देशीय योजना का अंग है।

(ख) तथा (ग) इस तकनीक का अभी परीक्षण नहीं किया गया है।

मिग विमान कारखाना

1973. **श्रीमती सुशीला रोहतगी**: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिग विमान कारखाने के एकक तीन भिन्न-भिन्न राज्यों में स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे परिवहन व्यय बढ़ गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तीन भिन्न-भिन्न राज्यों में इन एककों को स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी, हां;

(ख) जी हां, कुछ हद तक। तदपि, परिवहन व्यय, उत्पादन की लागत का केवल एक छोटा सा अंश होता है ।

(ग) इन तीनों यूनिटों को तीन अलग अलग राज्यों में स्थित करने का निर्णय सामरिक विचारों के कारण किया गया था, और भावी प्रसार के लिए नये क्षेत्रों का विकास करने की आवश्यकता के कारण। दूसरे देशों में भी विमान ढांचे, इंजन और इलेक्ट्रोनिकी फैक्टरियां प्रायः भिन्न स्थानों पर स्थित की जाती हैं। निर्णय लेने से पहले यू० एस० एस० आर० विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के भारतीय राजनयिक

1974. **श्री व० रा० परमार** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने राजनयिक हैं और कुल संख्या की तुलना में उनकी संख्या कितने प्रतिशत है ;

(ख) क्या इन जातियों के योग्य उम्मीदवारों को राजनयिक प्रशिक्षण देने की कोई योजना अथवा प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) इस मामले में सरकार की नीति के अनुसार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये भारतीय विदेश सेवा में रिक्तियों की एक निश्चित संख्या निर्धारित संख्या प्रति वर्ष सुरक्षित रखी जाती है । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के बाद, सफल उम्मीदवारों को राजनयिक प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे वे इन जातियों के हों या अन्य किसी के ।

Training to Pak Air Force and Army Personnel

1975. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that after 1947, Pakistan's Air Force and Army Personnel have been imparted training in Indian Military Academies; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Arrest of Jawans and Army Officers

1977. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1499 on the 21st February, 1968 and state:

(a) whether information regarding the officers and jawans of Indian Army arrested by Police for violating various laws of the country from January, 1962 to 31st February, 1968 has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the names and number of persons prosecuted and the number of persons sentenced by the Court during the above period?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) to (c). The information asked for in the earlier Question has since been collected and is given below:

	Officers	JCOs	OR
Arrested	19	15	735
Prosecuted	17	14	709
Convicted	2	1	169
Acquitted	8	7	278
Pending	7	6	262

In the earlier Question, the names of persons prosecuted in courts were not asked for. This information is also not readily available.

मनीपुर में राष्ट्रीय सेना छात्र दल

1978. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय सेना छात्र दल को घटा कर एक बटालियन कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे इस प्रकार कम करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मनीपुर में राष्ट्रीय छात्र सेना के अंशकालिक अधिकारियों को देय भत्त एक वर्ष से अधिक समय से नहीं दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि तक उक्त भत्ते न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमत्री (श्री म० रे० कृष्ण): (क) और (ख) भर्ती में कमी के कारण मणिपुर में संघीय क्षेत्र की एन० सी० सी० की दो बटालियनों को जनवरी में मिलाकर एक बटालियन कर दिया गया था। वर्तमान शक्ति है 2 बटालियनें और 2 कम्पनिएं।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

इम्फाल म ट्रांसमीटर के लिये भूमि

1979. **श्री एम० मेघचन्द** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी स्टेशन के इम्फाल केन्द्र में एक अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने के लिये आवश्यक भूमि अर्जित की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसके अर्जन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं।

(ग) उक्त ट्रांसमीटर से प्रसारण कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1970 के अन्त तक ट्रांसमीटर चालू हो जाने की सम्भावना है ।

द्वितीय विश्व-युद्ध में हुई क्षति के लिये मुआवजा प्राप्त करने के मामले

1980. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान सेना द्वारा की गई क्षति के लिये मुआवजा प्राप्ति के लिये जो मुकदमे दायर किये गये थे, क्या वे अभी तक मनीपुर के न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) क्या 12 गांवों के 1200 से अधिक दावों के आवेदन पत्र, भारतीय संघ के साथ मनीपुर के विलय के समय से अभी भी अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ग) क्या मनीपुर प्रशासन ने दिनांक 4 जुलाई, 1960 के एक पत्र संख्या 3/14/60-एस० एफ०में एक पक्ष को यह सूचना दी थी कि उसके दावे को स्वीकार करना संभव नहीं था ; और

(घ) यदि हां, तो उस दावे को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं तथा मनीपुर के न्यायालयों में मुआवजे के दावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

नेपाल में सूखा

1982. **श्री महन्त दिग्विजयनाथ :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने उत्तरी नेपाल के सूखाग्रस्त जिलों में बचाव कार्यों के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

छोटे समाचार पत्र

1983. **श्री अदिचन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल ने समाचारपत्रों के लिये पृष्ठों के अनुसार मूल्य निश्चित करने का सुझाव दिया है जिससे छोटे समाचार-पत्र कम-से कम पढ़ने की सामग्री की मात्रा में लगभग समानता के आधार पर मुकाबला कर सकें और यह सिफारिश की है कि

छोटे समाचारपत्रों को आर्थिक आधार पर अधिक समानता के आधार पर सरकारी विज्ञापन दिये जायें ;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार उद्योग के लिये राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल ने कुछ इस प्रकार की सिफारिश की है।

(ग) उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि समाचारपत्रों का पृष्ठों के आधार पर मूल्य निर्धारित करना सविधान की शक्ति के बाहर है। ताहम् सरकार का इस पर आगे और सम्भावनाओं को ढूंढने का प्रस्ताव है।

छोटे तथा मध्यम समाचारपत्रों के लाभ के लिये सरकारी विज्ञापन के आवंटन की नीति को पर्याप्त मात्रा में उदार बना दिया गया है।

रूस सरकार द्वारा प्रकाशित विश्व एटलस

1984. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री काशी नाथ पाण्डेय :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस सरकार द्वारा प्रकाशित एटलस के नवीनतम संस्करण में उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी (नेफा) का लगभग पूरा भाग और अकसाई चिन क्षेत्र को चीन का भाग दिखाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहले भी एक बार सरकार ने रूस सरकार का ध्यान भारतीय सीमाओं के बारे में रूसी नक्शों में गम्भीर अशुद्धियों की ओर दिलाया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रूस सरकार ने आश्वासन दिया था कि नक्शे पीकिंग द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है और भारत सरकार द्वारा बताई गई अशुद्धियां ठीक कर दी जायेंगी ;

(घ) यदि हां, तो क्या रूस सरकार द्वारा प्रकाशित विश्व एटलस का वर्तमान संस्करण चीन के साथ भारत की सीमा सम्बन्धी भारत के पत्र को रूस द्वारा अस्वीकार करने के समान है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। बहरहाल, सोवियत सरकार के प्राधिकारियों ने इस मामले पर गौर करने का वायदा किया है।

(घ) और (ङ) ऐटलस मीरा में ऐसे नक्शों के प्रकाशन को, जिनमें भारत-चीन सीमा को गलत दिखाया गया है, इस प्रश्न पर सोवियत सरकार का रुख नहीं समझा जा सकता। सोवियत सरकार ने भारत-चीन सीमा से सम्बद्ध मूल मसलों पर तो अपना मत अभिव्यक्त नहीं किया है लेकिन इतिहास में सुविदित सीमाओं को बदलने के लिये शक्ति के प्रयोग की उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निंदा की है। भारत सरकार ऐटलस मीरा में भारत-चीन सीमा के त्रुटिपूर्ण चित्रण के मामले को एक बार फिर समुचित रूप से सोवियत सरकार के साथ उठाया है और इन नक्शों को ठीक करने के लिये कहा है।

कच्चा टीवू द्वीप

1985. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच्च कि कच्चा टीवू द्वीप के स्वामित्व के बारे में बातचीत करने के लिये नई दिल्ली में भारत और श्रीलंका सरकारों के अधिकारियों की बैठक आयोजित करने के लिये श्रीलंका सरकार को भारत सरकार के द्वारा दिये गये आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रीलंका के महासर्वेक्षक द्वारा प्रकाशित नवीनतम सरकारी मानचित्र में इस द्वीप को श्रीलंका का राज्यक्षेत्र दिखाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) भारत सरकार राजनयिक सूत्रों के जरिये श्रीलंका की सरकार से सम्पर्क बनाये रही है और इन सूत्रों के माध्यम से नई दिल्ली और श्रीलंका, दोनों ही जगह प्रारम्भिक विचार-विनिमय हुआ है। विस्तृत विचार-विमर्श करने का प्रबन्ध करने की दशा में कोशिशें की जा रही हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने इस बारे में अखबारों में खबरें देखी हैं। कोलम्बो स्थित भारतीय हाई कमीशन से इस नक्शे की प्रतियां भेजने के लिये कहा गया है। इन विभिन्न नक्शों और अन्य दस्तावेजों की अच्छी जांच कर लेने के बाद ही सरकार कोई विचार स्थिर कर सकेगी।

टलीविजन के नये केन्द्र

1986. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टेलीविजन कार्यक्रमों को "रिले" करने के लिये, उपग्रहों के प्रयोग के लिये अन्य राष्ट्रों के साथ शामिल होने का है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

1794 (ai) L.S.—6

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

आकाशवाणी के नये केन्द्र

1987. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-69 में आकाशवाणी के कोई नये केन्द्र शुरू करने प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इनको किन स्थानों पर शुरू करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हा ।

(ख) आशा है कि 1968-69 के दौरान आकाशवाणी का एक नया केन्द्र डिब्रूगढ़ में काम करना शुरू कर देगा ।

त्रिपुरा का सामरिक महत्व

1989. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि त्रिपुरा तीन ओर से पाकिस्तान से घिरा हुआ है, सरकार ने इस संघ राज्य क्षेत्र में रेल तथा सड़क संचार को सुधारने के प्रयोजन के लिये इसके सामरिक महत्व को निश्चित करने के विचार में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा अध्ययन कब किया गया था और इसके क्या परिणाम निकले थे और उक्त संघ राज्यक्षेत्र में रेल एवं सड़क सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने के लिये यदि कोई योजनायें बनाई गई हैं तो वे क्या हैं ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). सामरिक संचारों की अपनी आवश्यकताओं का समग्र तौर पर समय निर्धारण किया जाता है । त्रिपुरा से सम्बन्धित आवश्यकतायें उसका अंशभूत हैं । विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

त्रिपुरा सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों का जमाव

1990. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान त्रिपुरा सीमा के उस पार पाकिस्तानी सैनिकों के जमाव की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो उनका नवीनतम क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) त्रिपुरा की सीमाओं की संभावित अतिक्रमण से रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या रक्षोपाय किये हैं ; और

(ग) वर्ष 1966 से 1968 की अवधि में त्रिपुरा राज्य क्षेत्र पर पाकिस्तानी सैनिकों तथा विमानों ने अब तक कितनी बार आक्रमण किया और उनका व्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) त्रिपुरा सीमाओं के साथ साथ पाकिस्तानी सेनाओं का कोई असाधारण जमाव नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता । तदपि साधारण सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) वर्ष	अतिलंघन स्थल	अन्तरिक्ष
1966 . .	एक भी नहीं	एक भी नहीं
1967 . .	10	2
1968 (30 जून तक) .	4	एक भी नहीं ।

स्थल अतिलंघन पूर्वी पाकिस्तान राईफल्ज के सेविवर्ग द्वारा किए गए थे जो ऐसे शरारती लोगों के साथ आए थे कि जो सीमा की हमारी ओर चोरियां और डाके डालते थे। आन्तरिक्ष अतिलंघन 9 अप्रैल, 1967 को अगरतला के दक्षिण के भाग में और 18 अगस्त, 1967 को अगरतला के पूर्व के क्षेत्र में हुए थे।

भारतीयों को कीनिया छोड़ने के लिए बाध्य किया जाना

1991. श्री म० सुदर्शनम् : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने भारतीयों को कीनिया छोड़ने के लिये बाध्य किया गया ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट थे और कितने व्यक्तियों के पास कीनियन तथा भारतीय पासपोर्ट थे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) एक भी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत और पाकिस्तान द्वारा गंगाजल के बटवारे के बारे में रूस की सरकार के सुझाव

1992. श्री जुगल मंडल :
श्री रा० बरूआ :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस की सरकार ने सुझाव दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच गंगाजल का बटवारा सिंधु जल संधि के आधार पर करना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) सोवियत संघ के प्रधान मंत्री ने गंगा के पानी के प्रश्न को निपटाने के लिए इस तरह का कोई खास सुझाव नहीं दिया है ।

(ख) भारत सरकार का यह विश्वास है कि वह यह सवाल दोनों देश परस्पर मिलकर अच्छे पड़ोसियों की तरह सुलझा सकते हैं।

मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षत्रों का विकास

1994. श्री ग० च० दीक्षित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के बस्तर मांडला तथा अन्य ऐसे क्षेत्रों को जिनको 1967–68 में पिछड़े क्षेत्र घोषित किया था, के विकास के लिये उस राज्य को कोई धन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो दी गई राशि में से कितनी राशि अब तक व्यय की जा चुकी है ; और

(ग) क्या वर्ष 1968–69 में इस कार्य के लिए और राशि देने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) योजना आयोग द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार विकास के चुने गये संकेतकों के आधार पर राज्य सरकार को अभी पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाना है ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन नहीं होता ।

(ग) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Commercial Broadcasts in Madhya Pradesh

1995. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce commercial broadcasts on any A.I.R. Station in Madhya Pradesh;

(b) if so, the time by which it is likely to be introduced; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) to (c). Commercial broadcasting is proposed to be introduced over the entire net-work of Vividh Bharati Centres, including those in Madhya Pradesh, according to a phased programme. It is not, however, possible to indicate at this stage when this service will be introduced at stations in Madhya Pradesh. It depends on availability of funds.

केन्द्रीय मोटर गाड़ी डिपो, अवाड़ी

1996. श्रीमती सुचेतानी कृपालानी: क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मोटर गाड़ी डिपो, अवाड़ी बन्द किया जाने वाला है जैसा कि हाल ही में मद्रास के कुछ समाचार पत्रों में छपा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) केन्द्रीय विहिकल डिपु, आवाड़ी को बन्द करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

शिल्पी प्रशिक्षण स्कूल

1997. श्रीमती सुचेता कृपालानी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवाड़ी में भारी मोटर गाड़ी कारखाने में शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र अब भी चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन प्रशिक्षणार्थियों को 1966–67 में इंटरव्यू किया गया था उन्हें अब तक नहीं बुलायें जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) आर्टिजन प्रशिक्षणार्थियों की ठीक ठीक आवश्यकता पुनरीक्षण अधीन रही है, और निर्धारण शीघ्र ही किया जाएगा, जब उन्ह कि जिन्हें चुन लिया गया है, नियुक्ति के पत्र जारी किए जाएंगे ।

भारी मोटर कारखाना, अवाड़ी में भ्रष्टाचार के मामले

1998. श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवाड़ी के भारी मोटरगाड़ी कारखाने में भ्रष्टाचार के कोई मामले 1966 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के लिये सौंपे गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां, दो मामले हुए थे ।

(ख) जांच के फलस्वरूप दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई थी । उन्हें अपराधी सिद्ध किया गया और न्यायालय द्वारा उन्हें दण्ड दिया गया, एक को नौ मास का कड़ा कारावास, और दूसरे को एक वर्ष का कड़ा कारावास ।

कलकत्ता स्थित पाकिस्तान के उच्च आयुक्त के कार्यालय के अधिकारियों पर पाबन्दी

1999. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्च आयुक्त ने सरकार से प्रार्थना की है कि कलकत्ता में पाकिस्तान उच्च आयुक्त के कार्यालय के अधिकारियों को राज्य सरकार को सूचित किये बिना 24 घंटे से अधिक तक नगर के बाहर रहने की अनुमति दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय में राज्य सरकार के विचार प्राप्त किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकार ने क्या विचार व्यक्त किये हैं ; और

(घ) इस विषय में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) पाकिस्तान हाई कमीशन ने पाकिस्तान के कलकत्ता स्थित उप हाई कमीशन के कर्मचारियों के आवागमन पर लगे प्रतिबंधों को पारस्परिकता के आधार पर ढीला करने के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं ।

(ख), (ग) और (घ). भारत सरकार राज्य सरकार के परामर्श से इन सुझावों पर विचार कर रही है ।

गैर-सरकारी/सरकारी उपक्रमों द्वारा इसराइल के साथ सहयोग

2000. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इसराइल के साथ सहयोग करने वाले बहुत से गैर-सरकारी/सरकारी उपक्रमों को अरब-इसराइल संघर्ष के बारे में भारत के दृष्टिकोण के कारण तकनीकी रूप में इस समय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) अरब-इसराइल संघर्ष के आरम्भ होने से अब तक प्रत्येक मामले में कुल कितनी हानि हुई है ;

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र में इसराइल के सहयोग से कोई भी संगठन नहीं चलाया जा रहा है । इसराइल के सहयोग से काम करने वाले किसी गैर-सरकारी संगठन के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात के मुख्य मंत्री द्वारा ब्रिटेन की यात्रा

2002. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग के सरकारी पत्र-पत्रिकाओं में अर्थात् 'इन्डिया न्यूज' और 'इन्डियन वीकली' में गुजरात के मुख्य मंत्री श्री हितेंद्र देसाई की हाल में की गई ब्रिटेन की सरकारी यात्रा के बारे में कोई समाचार नहीं दिया गया था ;

(ख) क्या ब्रिटेन की यात्रा करने वाले बहुत से अन्य भारतीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों की यात्रा के बारे में उपयुक्त पत्रिकाओं में पहले कई बार समाचार छपे हैं ; और

(ग) यदि उपयुक्त भाग (क) का स्तर स्वीकारात्मक हो, तो उनकी यात्रा का कोई समाचार नहीं देने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) 'इन्डिया वीकली' के 4 और 11 जुलाई के अंकों में गुजरात के मुख्य मंत्री की यात्रा का विस्तृत विवरण था । चूंकि इस यात्रा की खबर 'इन्डिया वीकली' में, जोकि 'इंडिया न्यूज' से पहले छपता है, यह खबर छप चुकी थी इस लिए 'इंडिया न्यूज' में इसे नहीं दिया गया ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सेना में अधिकारियों की कमी

2003. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना में अधिकारियों की कमी है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार आयु-सीमा तथा उम्मीदवारों का चयन करने में कुछ रियायत देने की बात पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या मुक्त किये गये आपात अधिकारियों को वापस बुलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका व्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां, गैर-तकनीकी ब्रांचों की तुलना में कमी तकनीकी ब्रांचों में अधिक है ।

(ख) सेना में कमीशन प्रदान करने के लिए आयु-सीमाओं में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है । कमी पर पार पाने के लिये सरकार अन्य उचित उपाय कर रही है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय वायु सेना के सुपर-कांस्टेलेशन विमान का मजबूरन उतरना

2004. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 जुलाई, 1968 को पालम पर भारतीय वायु सेना का एक सुपर-कांस्टलेशन विमान मजबूरन नीचे उतरा था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) विमान को कितनी क्षति हुई ;

(घ) क्या कोई जांच समिति नियुक्त की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) से (ग) जी नहीं । तदपि एक आई०. ए० एफ० सुपर कान्स्टलेशन 14 जुलाई, 1968 को पालम में उतरा था । जब वह आगरा से उड़ने लगा उसके पोर्ट नोज पहिए का टायर और ट्यूब फट गया था, परन्तु विमान स्टारवाड नोज पहिए के सहारे साधारण तौर पर पालम में उतरा, और विमान को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के विरुद्ध शिकायतें

2005. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के काय-संचालन के विरुद्ध सरकार को कुछ शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) जी हां। विदेश स्थित भारतीय मिशनों के काम के खिलाफ आम शिकायतें मिली हैं, जिनमें काम के तरीकों, जरूरत से ज्यादा अमला, शिष्टाचार का स्तर और परिचालक निधि से संबद्ध शिकायतें भी शामिल हैं।

(ग) विदेश स्थित मिशनों की कार्यपद्धति पर बराबर निगाह रखी जाती है और जब कभी आवश्यक होता है, सुधार की दिशा में अथवा उसे ठीक करने के लिए कदम उठाया जाता है।

केन्द्रीय सूचना सेवा में पदों का दर्जा बढ़ाना

2006. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री मीठा लाल मीना :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सूचना विभाग वेतनमाप ढांचा समिति और प्रशासनिक सुधार आयोग दारा सिफारिशें किये जाने/उन्हें स्वीकार किये जाने से पूर्व केन्द्रीय सूचना सेवा में कुछ पदों का वेतन और दर्जा बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सूचना सेवा के प्रत्येक वेतनमान में ऐसे कौन-कौन से पद हैं; और

(ग) इन पदों का दर्जा किस आधार पर बढ़ाया जाता है तथा उसे निम्न वेतनमानों में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) केन्द्रीय सूचना सेवा वेतनमान ढांचा समिति और प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सिफारिश किये जाने से पूर्व एक मामले में वेतनमान बदला गया है। यह मामला मुख्य सूचना अधिकारी का है जिसका वेतनमान 2250 से 2500 रुपए तक में बदला गया है। यह संशोधन पूर्व के निर्णय के अनुसार किया गया ताकि इस पद को संयुक्त सचिव के बराबर किया जाये।

केन्द्रीय सूचना सेवा ढांचा समिति

2007. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री मीठा लाल मीना :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 3 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1046 के उत्तर

के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1966 से लेकर अब तक केन्द्रीय सेना सेवा वर्ग ढांचा समिति की कितनी बैठकें हुई हैं और कितनी बैठकें स्थगित की गई और उसके क्या कारण थे; और

(ख) इस समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं और उन्हें स्वीकार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) अभी तक पाँच बैठकें हुई हैं। अदृष्ट और समिति के सदस्यों जो इस कार्य को अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त कर रहे थे, के अन्य आवश्यक कार्य होने के कारण समिति की तीन बैठकें अन्तिम रूप से न हो सकी और उनको कई बार स्थगित करना पड़ा।

(ख) समिति को 30 सितम्बर, 1968 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिये कहा गया है।

Rebels Nagas Apprehended by Burma

2008. Shri Bibhuti Mishra:
Shri Yashwant Singh Kushwah:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Burma apprehended 22 Naga rebels and handed them over to India on the 15th July, 1968;

(b) if so, whether it is also a fact that these Naga rebels were on their way to China; and

(c) if so, the steps which have been taken by Government to intercept such Nagas going to China?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b). The House will appreciate that it would not be in our national interest to disclose details.

(c) Suitable steps have been taken to further strengthen security measures along the international border.

Allotment of Land to Ex-Servicemen in Delhi

2009. Shri Sheopujan Shastri: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government propose to allot houses and land for cultivation to Ex-Servicemen in the Capital;

(b) if so, the names of places where such allotments would be made and the basis thereof; and

(c) the number of houses and acreage of land allotted to Ex-Servicemen during the last five years?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) Yes, Sir.

(b) A proposal is under consideration to allot about 100 to 200 acres of land to a Cooperative Society of Ex-Servicemen for cultivation, at a site yet to be decided. Also applications are being considered by the Gaon Panchayats for leasing out Gaon Sabha land on lease for cultivation for a period not exceeding three to four years. As regards lands for housing, Government have recently decided to allot land not exceeding 400 acres in Pitampura and Narela to the Sainik Cooperative House Building Society, Delhi, for construction of residences for service personnel. In addition to this, 24 flats have been constructed at Naraina for ex-servicemen.

All the 24 flats constructed have since been allotted to ex-servicemen.

(c) So far 71.01 Bighas of land has been leased out to 5 ex-servicemen.

Sales Tax on Goods Purchased from Military Canteens

2010. Shri Sheopujan Shastri: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government have started charging Sales Tax on the goods purchased by Ex-Servicemen from the military canteen;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to abolish the sales tax?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) to (c). The levy of sales tax in respect of purchases made by ex-Servicemen from the military canteens is regulated in accordance with the law in force in each State.

State Governments have been moved to exempt ex-Servicemen from levy of sales tax in respect of purchases from military canteens. Exemptions have been granted in some States.

Pension of Soldiers

2011. Shri Sheopujan Shastri: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Dearness Allowance payable to a soldier is also taken into account while determining his pension;

(b) if so, the number of ex-Servicemen who have been given this benefit during the last three years till to-date; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Sardar Swaran Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Dearness Allowance is given by way of compensation for increased cost of living and is not regarded as part of emoluments reckonable for pension.

केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों की संख्या

2012. **श्री मीठालाल मीना :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1968 को केन्द्रीय सूचना सेवा में भिन्न-भिन्न संवर्गों में स्थायी तथा अस्थायी पदों पर कितने कर्मचारी थे ;

(ख) प्रत्येक संवर्ग में भर्ती का तरीका क्या है; और

(ग) कितने मामलों में वरीयता बदली गई है, पुनः समायोजित की गई है और बिल्कुल भी निर्धारित नहीं की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1537/68]

कुवैत में औद्योगिक उपक्रम

2013. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** 13 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत में पारस्परिक हित के संयक्त सहयोग के लिये उद्योगों के बारे में व्यावहारिक सर्वेक्षण इस बीच कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है और इस विषय में आगे क्या कार्यवाही की जायेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) व (ख) कुवैत में इस्पात ढलाई कारखाने की स्थापना के लिए भारत के हैवी इन्जीनियरी कारपोरेशन ने तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण का भार अपने ऊपर ले लिया है, जिसकी वार्षिक उत्पादन-क्षमता 120000-150000 टन होगी। कुवैती सहयोगियों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया होगी, इसकी प्रतीक्षा की जा रही है। एच० ई० सी० और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने भी उन उद्योगों के सम्बन्ध में मौके पर अध्ययन कर लिया है, जिसमें मिले-जुले उद्यम की संभावनाएं हैं और इन पर विचार किया जा रहा है।

मांडले जेल में स्मारक हाल

2014. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा के भारतीय दूतावास ने माँडले जेल के स्मारक हाल में लगाने के लिये प्लेके तैयार कर लिये हैं;

(ख) क्या इस मामले में बर्मा सरकार से परामर्श किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला और उस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) इस मामले पर बर्मा सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

आकाशवाणी के उपमहानिदेशकों के नये पद

2015. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में उप-महानिदेशकों के कुछ नये पद बनाये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो कितने नये पद बनाये गये और इस के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हाँ ।

(ख) वाणिज्यिक प्रसारण सेवा जो कि नवम्बर, 1967 को शरू की गई थी, के काम को देखने के लिये जून, 1967 से उप महानिदेशक का एक पद बनाया गया । आकाशवाणी के लिये यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नये प्रकार का काम था जिसके लिये अतिरिक्त स्टाफ़ की आवश्यकता समझी गई ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत सलाहकार समितियां

2016. **श्री द० ब० राजू** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध विभिन्न सलाहकार समितियों, बोर्डों अथवा ऐसी अन्य संस्थाओं के नाम क्या हैं, उनके सदस्यों के नाम क्या हैं और उन में से प्रत्येक को क्या क्या काम सौंपे गये हैं ;

(ख) प्रत्येक समिति अथवा बोर्ड में कितने सदस्य सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं तथा कितने सरकारी अधिकारी; और

(ग) वर्ष 1967–68 में इन संस्थाओं पर कितना धन खर्च किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय स्वतन्त्रता (अधिकार, सम्पत्ति तथा दायित्व) आदेश, 1947

2017. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 10 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6810 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947 की धारा 9 के अन्तर्गत दिनांक 14 अगस्त, 1947 के 'भारतीय' स्वतंत्रता (अधिकार सम्पत्ति तथा दायित्व) आदेश, 1947 में उल्लिखित आदेश 18 के अनुसार भारत की सारी सम्पत्ति–भूमि, सिक्के, बैंक नोट, करैन्सी-नोट तथा हर अन्य किस्म की सम्पत्ति ब्रिटिश अधिराष्ट्र में निहित है ;

(ख) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता के पश्चात् उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अनेक निर्णयों में इस आदेश की वैधता को स्वीकार किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस विषमता को कैसे ठीक किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) जी हाँ ।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 294 में यह व्यवस्था है कि भारतीय स्वाधीनता (अधिकार, संपत्ति और देनदारी) आदेश, 1947 (आदेश संख्या जी० जी० ओ० 18 दिनांक 14-8-1947 में उल्लिखित सभी संपत्ति) भारत संघ को उत्तराधिकार में मिलेगी ।

हिन्दुस्तान ऐरोनौटिक्स लिमिटेड

2018. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ऐरोनौटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता दिये जाने की माँग की है तथा नवम्बर, 1966 में साल की तालाबन्दी के लिये भी वेतन दिये जाने की माँग की है;

(ख) क्या सरकार ने शीघ्र भुगतान करने के लिये कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). मंहगाई भत्ते से संबंधित माँगों पर प्रबन्ध और श्रम संघ के बीच विचार विमर्श हुआ था। सहमत दरों पर तदर्थ भत्ते की अदायगी का उपबंध करते हुए एक समझौता हो गया है।

नवम्बर 1966 के दौरान तालाबन्दी की अवधि के लिए उजरतों की अदायगी की माँग प्रबन्ध द्वारा इस लिए स्वीकार नहीं की गई कि तालाबन्दी एक गैर कानूनी हड़ताल के परिणामस्वरुप घोषित की गई थी।

आकाशवाणी में सहायक संयोजक

2019. **श्री एम० मेघचन्द** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में सहायक संयोजक (अस्सिटेंट प्रोडयूसर) के पद का समाप्त किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो आकाशवाणी के ऐसे कितने केन्द्र हैं जहाँ सहायक संयोजकों को अभी हाल में नियुक्त किया गया है; और

(ग) क्या आकाशवाणी इम्फाल के लिए भी सहायक सयोजक की नियुक्ति की जायेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) हाल ही में दो नए पद बनाए गए हैं। एक पाँडेचेरी में और दूसरा अगरतला में। ये पद अभी तक भरे नहीं गए हैं। विभिन्न केन्द्रों में सहायक प्रोड्यूसर के वर्तमान छः पदों में से एक पद को दिल्ली केन्द्र में नई नियुक्ति करके हाल ही में भरा गया है। अन्य पदों को भरने के बारे में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

तारांकित प्रश्न संख्या 214 के बारे में

POINT RE. STARRED QUESTION NO. 214

श्री समर गुह (कंटाई) : आज प्रातः मैंने आपको एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने तारांकित

प्रश्न संख्या 214 के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी थी। मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है, अतः मैं इस विषय पर अधिकारपूर्वक बोल सकता हूं। परन्तु आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न आपके नाम में नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि लगभग पन्द्रह सदस्य अनुपरक प्रश्न पूछना चाहते थे। यह ठीक है कि आपने इस विषय पर पुस्तक लिखी है। परन्तु प्रश्न काल में वह प्रश्न पूछने के लिये पृष्ठ भूमि नहीं बांधी जा सकती। मेरा विचार आपको समय देने का था परन्तु अन्तर्बाधाओं के कारण मैं ऐसा नहीं कर सका।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अनुपूरक प्रश्न करते हुए माननीय सदस्य ने .....

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है। मैं अब अगले विषय पर चला गया हूं। सभा जिस कार्य पर विचार कर रही है उसी के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। इस समय सभा के सामने "अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना" का कार्य है। वह इस सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठा सकती हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अमरीकी अधिकारियों के साथ दिल्ली में हुई वार्ता

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun): I draw the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon:—

"Recent talks held with the U.S. officials in Delhi."

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : भारत सरकार जापान फ्रांस, आस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे मित्र राष्ट्रों के साथ हर वर्ष विचार विमर्श करती है। अब अमरीका, रूस, ब्रिटेन, श्रीलंका तथा इण्डोनेशिया के साथ भी विचार विमर्श करना सरकार ने स्वीकार किया है। द्विपक्षीय क्षेत्र तथा व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में परस्पर हित की समस्याओं के बारे में मित्र देशों की सरकारों के साथ इस प्रकार का विचार विमर्श उपयोगी रहता है। इससे एक दूसरे के विचारों को समझने में साहायता मिलती है। इसी प्रकार के एक समझौते के अनुसार अमरीका सरकार ने श्री एन० कर्जेनबाक, अवर सचिव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भारत भेजा था और 26 से 28 जुलाई तक उनके साथ हमारी इस प्रकार की पहली बातचीत हुई थी।

अन्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय—दोनों क्षेत्रों के विषय में विचार विमर्श हुआ था। इस बातचीत का ध्येय किसी प्रकार का कोई ठोस समझौता करना नहीं था। हमने भारत अमरीकी आर्थिक सम्बन्धों की मुख्य समस्याओं पर पुनर्विलोकन किया और आशा व्यक्त की कि ये सम्बन्ध भविष्य में और भी अच्छे होंगे। अमरीकी शिष्टमंडल ने आर्थिक विकास के हमारे कार्यक्रमों में अधिक रुचि दिखाई है।

बातचीत खुल कर अनौपचारिक रूप में तथा मैत्रीपूर्ण ढंग से हुई। विभिन्न समस्याओं के बारे में दोनों सरकारों ने स्वतन्त्र रूप से निर्णय किये। फिर भी हमें इस बात का सन्तोष है कि इस चर्चा से हमें एक दूसरे के विचारों को समझने में सहायता मिली है। माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस प्रकार की चर्चा का ब्यौरा बताना वांछनीय नहीं होगा।

बातचीत समाप्त होने के उपरान्त जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य की एक प्रति मैं सभा-पटल पर रखता हूं ।

भारत और अमरीका के साकारों के प्रतिनिधियों की वार्ता पूरी होने पर संयुक्त वक्तव्य

26 से 28 जुलाई तक नई दिल्ली में भारत सरकार तथा अमरीका के प्रतिनिधियों की बैठक हुई जिसमें परस्पर हित के मामलों पर चर्चा की गयी । भारतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ब० रा० भगत ने किया था और अमरीकी शिष्टमंडल के नेता अवर सचिव श्री एन० काजनेबाक थे । तीन दिन की चर्चा के दौरान दोनों शिष्टमंडल ने अपने अपने देश में हुए तथा हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी, विदेश नीति से सम्बन्धित परस्पर हित वाले मामलों पर विचार विमर्श किया और विश्व में तनाव वाले मामलों का विश्लेषण किया तथा उस सम्बन्ध में विचारों का आदान प्रदान किया ।

विशिष्टि मामलों पर कोई समझौता करना इस बैठक का लक्ष्य नहीं था, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न किया है । दोनों शिष्टमण्डलों ने विश्व में शान्ति स्थापना की स्थिति को सुधारने के बारे में तथा भारत और अमरीका के बीच पहले से ही निकट सम्बन्धों को और सुदृढ़ बनाने के बारे में भी विचारों का आदान प्रदान किया था ।

बातचीत के अन्त में दोनों पक्षों ने यह अनुभव किया कि वह बातचीत सब प्रकार से लाभदायक सिद्ध हुई है । उन्होंने यह निश्चय किया कि ऐसी बैठकें होती रहनी चाहिये और इस प्रकार की अगली बैठक अब वाशिंगटन में होगी ।

Shri Yash Pal Singh: As there is an atmosphere of war all around, I want to know whether America was asked to supply us armaments or give some other help in caes of aggression against our country?

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । वैदेशिक कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री ने अभी-अभी एक वक्तव्य दिया है तथा एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा है । इस सभा में इस बात को कई बार दोहराया जा चुका है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण घोषणा की जायेगी, तो वह सर्व प्रथम सभा में की जायेगी और उसके बाद जनता के सामने की जायेगी ।

श्री ब० र० भगत : यह वक्तव्य समाचारपत्रों में प्रकाशित किये जाने के लिये नहीं है । यह सामान्य बात है कि बातचीत के अन्त में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाता है । मैंने अपने वक्तव्य के साथ उस वक्तव्य को सर्व प्रथम सभा के सामने रखा है ।

अध्यक्ष महोदय : उनकी शिकायत यह है कि इस वक्तव्य को समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया है । जिस दिन संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर हुए थे उससे अगले दिन वह सभा-पटल पर रखा जा सकता था ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या परस्पर हितों की चर्चा करते समय भारत द्वारा रूस से खरीदे जाने वाले शस्त्रों के बारे में अमरीका ने हमसे जानकारी प्राप्त की थी और क्या हम इस सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे, क्या

हम यह भी जानना चाहते थे कि चीन के साथ पाकिस्तान के बढ़ते हुए सम्बन्धों के बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है तथा क्या वे पाकिस्तान को और अधिक शस्त्रास्त्र देंगे ?

श्री ब० रा० भगत : उन्होंने रूस से खरीदे गये शस्त्रास्त्रों का ब्यौरा नहीं पूछा था ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमने अमरीकी शिष्टमंडल से यह पूछा था कि रूस द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र सप्लाई किये जाने तथा चीन के साथ उनके सम्बन्धों के बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : शस्त्रास्त्रों के बारे में मैंने उत्तर दे दिया है कि उन्होंने हम से ब्यौरा नहीं पूछा है । जहां तक हमारी प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है, हम उन्हें अपनी प्रतिक्रिया बता ही देते है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : भारत और पाकिस्तान के बीच के सम्बन्धों की सामान्य स्थिति को बिगाड़ने के लिये यह शिष्टमंडल भारत आया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन के साथ निम्नलिखित विषयों पर बातचीत हुई थी :—

(1) वियतनाम से बिना किसी शर्त अमरीकी सेना की वापिसी ;

(2) पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में हमारी नीति ;

(3) हमारे आन्तरिक मामलों में अमरीकी हस्तक्षेप ; और

(4) हमारे द्वारा लिये गये ऋण के भुगतान के सम्बन्ध में मोहलत ।

श्री ब० रा० भगत : यद्यपि मैं चर्चा का ब्यौरा नहीं बता सकता तथापि मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि इन मामलों के बारे में हमने अपने विचार उन्हें बता दिये हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मंत्री महोदय सदन को अधिक जानकारी देना नहीं चाहते अतः मेरा प्रश्न पूछना ही बेकार है । यह पहला ही अवसर है जब इस प्रकार की चर्चा हुई है और वह भी अमरीका के आग्रह पर । श्री कजेनबाक ने 'अमरीकन रिपोर्टर' में एक लेख लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि अमरीका चीन से मित्रता करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है । उसने यह भी कहा गया है कि चीन का खतरा बढ़ता जा रहा है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि अमरीकी लोग नये तरीके से विचार कर रहे हैं । क्या उनकी इस नीति के परिवर्तन के कारण ही वह अब भारत को चीन के विरुद्ध अधिक सहायता देना नहीं चाहता या इसी कारण से भारत को ज्यादा सहायता देना नहीं चाहता हैं, क्योंकि हमें रूस से शस्त्रास्त्रों की सहायता मिल रही है । इस परिवर्तन का क्या कारण है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि यह चर्चा अमरीका के अनुरोध पर की गई थी उनका ऐसा करने का क्या आशय था, यह मैं नहीं कह सकता । यह तथ्य है कि अमरीका भारत को महत्व अवश्य देता है । यह सच है कि विश्व में परिवर्तन हो रहे हैं समस्त एशिया में परिवर्तन हो रहें हैं । वे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर हमारे विचार जानना चाहते हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वार्षिक योजना , 1968–69

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): मैं वार्षिक योजना 1968–69 की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—1528/68**]

आर० जी० कार मैडिकल कालिज तथा अस्पताल (संशोधन) अधिनियम, 1968

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नागरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): मैं श्री सत्यनारायण सिंहा की ओर से पश्चिम बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत आर० जी० कार मैडिकल कालेज तथा अस्पताल (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 16) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 9 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1529/68**]

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun): I had written a letter to you but I did not receive any reply* . . . .

अध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । यह कहने का तरीका उचित नहीं है ।

श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) :*

राज्य सभा में संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना इस सभा को देनी है:—

> "राज्य सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन नियम, 127 के उपबन्धों के अन्तर्गत मुझे लोक-सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि लोक-सभा द्वारा 23 जुलाई, 1968 को पास किये गये स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1968 से राज्य सभा अपनी 29 जुलाई, 1968 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।"

*वृतान्त सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया ।

Not Recorded.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

ततीसवां प्रतिवेदन

श्री र० के० खाड़िलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तेतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

शत्रु सम्पत्ति विधेयक—जारी

ENEMY PROPERTY BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : सभा अब शत्रु सम्पत्ति विधेयक पर आगे खण्डवार विचार करेगी।

श्री मुहम्मद इस्माइल *

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय कृपया बैठ जायें अन्यथा मुझे सभा स्थगित करनी पड़गी।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई :—

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

———

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई):

The Lok Sabha reassembled after lunch at fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I have to raise a point of order regarding arrangement of the Business . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रातः चर्चा के समय उठाया जाना चाहिये था। अब हम विधान-कार्य पर विचार कर रहे हैं। यदि उन्हें सभा के कार्य के बारे में कुछ कहना है तो मैं इसकी अनुमति दे सकता हूं।

Shri Madhu Limaye: My point of Order is in regard to, 'Arrangement of Business.' As is prescribed in the Rules of Procedure and conduct of Business in Lok Sabha that after Calling Attention, Adjournment Motion, Breach of privilege and items like that would be taken up. How is it that my Privilege Motion has not been taken today. If it is under consideration, when will it come for discussion?

---

*वृतान्त सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not Recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है कि ध्यानाकर्षण के बाद स्थगन प्रस्ताव, विशेषाधिकार का उल्लंघन जैसी बातों पर विचार किया जाता है। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस विषय पर अध्यक्ष महोदय से आपकी बातचीत हुई थी।

Shri Madhu Limaye: I have not seen him, but I want to see him.

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले पर अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् चर्चा की जा सकती है।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : कुछ समय के लिये आप विशेषाधिकार के प्रस्ताव की बात को भूल जायें। क्या मंत्री महोदय के लिये यह कहना उचित नहीं है कि वह समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए समाचार का खंडन करें ?

संसद्-कार्य मंत्री तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : जिस बैठक के बारे मे समाचारपत्रों में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, वह बैठक गुप्त थी।

उपाध्यक्ष महोदय : समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों को अधिकृत नहीं कहा जा सकता।

Shri Madhu Limaye: Whether the report published in the 'Patriot' is wrong?

Dr. Ram Subhag Singh: The meeting of the working committee was secret.

श्री तिरुमलराव (काकिनाडा) : मैं श्री मधु लिमये का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा पूरी नहीं हुई थी और इसे स्थगित कर दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि किसी भी दल से सम्बन्धित समाचारपत्रों में प्रकाशित विषय पर यहां चर्चा की जा सकती है। किन्तु हम उन समाचारों को प्रामाणिक नहीं कह सकते।

शत्रु-सम्पत्ति विधेयक--जारी

खण्ड--7 (शत्रु देश के व्यक्ति या सार्थ को अन्यथा देश धन का कस्टोडियन को भुगतान)

श्री बेणी शंकर शर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं जिसके द्वारा पृष्ठ 3, पंक्ति 22 और 23 में से "जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाये" शब्द हटा दिये जायें, ताकि वह धन शत्रु देश के व्यक्ति या सार्थ को किसी प्रकार न दिया जा कर कस्टोडियन को ही दिया जाये।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : ऐसा करने में तो उन लोगों पर, जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को धन देना है, जिसकी सम्पत्ति कस्टोडियन के अधिकार में है, धन देने पर पूर्ण प्रतिबंध लग जायेगा, जो ठीक नहीं होगा। सरकार स्वविवेक का उचित प्रयोग करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 7 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 7 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 8 के बारे में चर्चा करेंगे । मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस बारे में वे अपने विचार संक्षेप में व्यक्त करें ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हमें किसी भी बात पर चर्चा करते समय उस पर संक्षेप में चर्चा करने के लिये कहा जाता है । मैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उपस्थित था और उसने इस पर चर्चा करने के लिये समय निश्चित किया था । उस समय हमें यह विदित नहीं था कि इस विषय पर कितने संशोधन प्राप्त होंगे । मुझे विदित है कि इस विधेयक पर अधिक समय नहीं दिया जा सकता । किन्तु दूसरे विधेयक पर, जिस पर चर्चा की जाती है, संशोधन प्रस्तुत करने के लिये सदस्यों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिये 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया था और हमने पहले ही इससे अधिक समय ले लिया है । मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर देने का प्रयास करूंगा ।

खण्ड–8 (उस शत्रु संपत्ति के संबंध में, जो कस्टोडियन के कब्जे में है, कस्टोडियन की शक्तियां)

श्री बेणी शंकर शर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह संशोधन सभा के समक्ष है ।

Shri B. S. Sharma: I fully agree to what Shri Banerjee has stated. We can bring forth the merits and demerits of the Bill, only when we are allowed to discuss on the Bill in detail. I propose that at Page 5, lines 7 and 8 may be omitted. I oppose the resting of residuary powers in the hands of the Government, because I fear that these powers might be misused for giving away the income accruing from the enemy property to a relative of an enemy subject.

In this clause Government has been empowered to direct the Custodian to make such other payments out of the funds of the enemy as may be directed by the Central Government. I have my own fears that this power might be misused by Government and for that reason I oppose it. I want to submit that India and Pakistan were one country till yesterday and today Pakistan is our enemy. There are many such examples that one

brother is in India and the other is in Pakistan or the husband is in India and his wife is in Pakistan. In such cases I have my own fears that the property might be given to some other person. So I demand the residuary powers should not be given to Government. This Government is after votes and there is every possibility that this power might be misused by Government for getting votes.

Shri Dinesh Singh: Mr. Deputy Speaker, should I understand that the hon. Member's party do not require any votes. I want to make it clear that this provision has only been made to cover any uncorrect expenditure and there is no likelihood of its being misused.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 3 सभा में मतदान के लिये रखता हूं । संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि श्री अब्दुल गनी दार, जिनके नाम में यह संशोधन है, सभा में उपस्थित नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 सभा में मतदान के लिये रखा गया

सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में 20, विपक्ष में 62

The Lok Sabha divided: Ayes 20, Noes 62.

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was negatived.

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 8 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा खंड 9 पर विचार करेगी ।

Shri Beni Shanker Sharma: I beg to move my amendment No. 4 that at page 5, line 12, after "shall" "not" may be inserted.

Clause 9 says "All enemy property vested in the Custodian under this Act shall be exempted from attachment, seizure or sale in execution of decree of a Civil Court or orders of any other authority." By my amendment No. 4, I suggest that the word "not" be inserted after "shall' and in case my amendment is acecpted, the clause, as amended, will be as follows:

> "All enemy property vested in the Custodian under this Act shall not be exempted from attachment, seizure or sale in execution of decree of a civil court or orders of any other authority".

Under this clause the Government has deprived the real owners of their due and I do not think that Government should be given this power. So I suggest that the word "not" be inserted after the word "shall".

Shri Dinesh Singh: The provision has been made only to safeguard the interests of the enemy subject so that any *ex-parte* decision may not be taken against them by the court. This provision in no way adversely affects the interests of our citizens. The only purpose of this provision is to safeguard the interests of those who are not in our country and whose property has been entrusted to the Custodian.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put to vote and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 9 was added to the Bill

खण्ड 10 से 17 तक विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 10 to 17 were added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 18 के बारे में क्या श्री शर्मा तथा श्री दार अपने संशोधन पेश करना चाहते हैं ।

श्री बेणी शंकर शर्मा : जी नहीं ।

श्री अब्दुल गनी दार : जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 18 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 18 was added to the Bill

खण्ड 19 से 25 तक विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 19 to 25 were added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 1 के सम्बन्ध में 2 संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं—एक श्री बेणी शंकर शर्मा द्वारा तथा दूसरा श्री श्रीनिवास मिश्र द्वारा । चूंकि दोनों संशोधन समान हैं, इसलिये केवल एक संशोधन पेश किया जायेगा । श्री श्रीनिवास मिश्र के भी बोलने का अवसर दिया जायेगा ।

Shri Beni Shanker Sharma: Sir, while moving my amendment No. 10, I want to suggest that at page 1 of the Bill the words "except the State of Jammu and Kashmir" occurring in lines 4 and 5 be removed. The Government has been claiming from house tops time and again that Jammu and Kashmir is an integral part of India. But I fail to understand why the provisions of this bill are not being made applicable to Jammu and Kashmir when that State is an integral part of India.

I am in full agreement with my hon. friend Shri Srinibas Misra's yesterday's statement that there is nothing in our Constitution which prevents the Government from making this lay applicable to Jammu and Kashmir. Moreover, I want to say that if there are certain articles standing in the way of Government in making this law applicable to that State then those articles can be amended suitably, because the Congress has majority in this House and the opposition is also with them in this matter. When Jammu and Kashmir is an integral part of India it is funny that this law is not being made applicable to that State. No doubt we have been saying since last twenty years that Kashmir, is our integral part, yet our acts are not being made applicable there. I want to say that this half-hearted action on the part of our Government encourages the enemy.

I would also like to point out that Indo-Pak fighting took place in Jammu and Kashmir and mostly the enemy property is there. But I am not sure whether we have taken that property in our possession or not because there is no Act enacted by that State under which we can take the enemy's property and that State is being excluded from the perview of this Bill. So, I would request the hon. Minister that my amendment may be accepted.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मंत्री महोदय ने कहा कि इस विधेयक को सूची संख्या 1 के अन्तर्गत अवशिष्ट शक्तियों के अन्तर्गत लाया गया है। सूची एक की प्रविष्टि संख्या 1 और 15 में युद्ध के दौरान होने वाले मामलों का उल्लेख किया गया है। अतः इस विधेयक को अवशिष्ट शक्तियों के अन्तर्गत लाना सही नहीं है और यदि इस विधेयक को सूची 1 की प्रविष्टि संख्या 1 अथवा 15 के अन्तर्गत लाया जाता तो इसे निस्संकोच जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू किया जा सकता है। मैं समझता हूं ऐसा न करना सरकार की कायरता का द्योतक है। सरकार अपने इस कार्य के पक्ष में चाहे कितने तर्क पेश करे तथापि उन के काम को सही नहीं कहा जा सकता।

प्रस्तुत विधेयक के खंड 1 में कहा गया है कि विधेयक जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़ कर सम्पूर्ण भारत पर लागू होगा। उस खण्ड के उपखण्ड में यह भी कहा गया है कि भारत से बाहर भारत के सभी नागरिकों पर यह विधेयक लागू है। यह बड़ी विचित्र बात है और इस से यह मालूम होता है कि जम्मू तथा काश्मीर भारत का अंग नहीं है। इस विधेयक में कहा गया है कि यह विधेयक भारत के सब नागरिकों पर लागू है चाहे वे भारत में हैं अथवा भारत के बाहर होनूलूलू मे हैं अथवा कहीं और हैं परन्तु जम्मू तथा काश्मीर के नागरिकों पर यह विधेयक लागू नहीं होता है। इससे यह मालूम होता है कि जम्मू तथा काश्मीर के नागरिक भारत के नागरिक नहीं हैं।

शेख अब्दुल्ला अपने आप को भारत का नागरिक नहीं कहना चाहता। वह कहता है कि मैं जम्मू तथा काश्मीर का नागरिक हूं। शेख अब्दुल्ला के इस कथन पर इस सभा में आपत्ति उठाई गई थी। परन्तु अब यह विधेयक प्रस्तुत करके तथा इस में यह उल्लेख कर के कि यह विधेयक भारत को सब नागरिकों पर लागू है तथा यह जम्मू और काश्मीर के नागरिकों पर लागू नहीं है, सरकार शेख अब्दुल्ला के कथन का समर्थन कर रही है। इस विधेयक से भ्रम पैदा होता है कि क्या जम्मू तथा काश्मीर के नागरिक भारत के नागरिक नहीं हैं। मंत्री महोदय को इस का स्पष्टीकरण करना चाहिये।

श्री दिनेश सिंह : महोदय, कल इस मामले पर सविस्तार चर्चा की गई थी। जहां तक माननीय सदस्यों की भावना का सम्बन्ध है मैं इस बात से पूर्णतथा सहमत हूं कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। परन्तु स्थिति कुछ भिन्न है। हमारा एक संविधान है और हमें उस संविधान के अनुसार काम करना होता है। हमारी राय में संविधान के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार इस अधिनियम को जम्मू तथा काश्मीर पर लागू करना असंवैधानिक होगा। हम इस समय इस भेदभाव के औचित्य के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, यह पूर्णतया अलग प्रश्न है।

इस विधेयक के द्वारा शत्रु सम्पत्ति के बारे में केवल वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने का उपबन्ध किया गया है। मैंने कल इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था। इस विधेयक का संबंध संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 97 के अधीन रखा गया है जिस में जम्मू तथा काश्मीर राज्य को शामिल नहीं किया गया है। अतः हमें संविधान के अनुसार काम करना है और इसी लिये इस कानून को जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू नहीं किया गया है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : माननीय सदस्य ने कहा था कि यह विधेयक न केवल भारत में रहने वाले परन्तु विदेशों में रहने वाले भी सब भारतीय नागरिकों पर लागू है। यदि इस विधेयक में

जम्मू तथा काश्मीर को शामिल नहीं किया गया है तो क्या यह विधेयक जम्मू तथा काश्मीर में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होगा या नहीं ?

श्री दिनेश सिंह : मैं नहीं समझता इस में सन्देह की कोई बात है। यह विधेयक सब भारतीय नागरिकों पर लागू है। हमारा सम्बन्ध केवल शत्रु की उस सम्पत्ति से है जो जम्मू तथा काश्मीर में जब्त की गई है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जम्मू तथा काश्मीर कोई शत्रु सम्पत्ति जब्त नहीं की गई है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे यह सन्देह न रखें कि यह विधेयक जम्मू तथा काश्मीर में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर लाग है अथवा नहीं। यह सब भारतीय नागरिकों पर लागू है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put to vote and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खड 1 विधयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1 was added to the Bill

अधिनियम सूत्र तथा विधयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री दिनेश सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : (रायगंज) : मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को जो अभी अधिनियम बनने वाला है थोड़े समय के लिये लागू रखा जाना चाहिये। इसे अनिश्चित काल के लिये नहीं रखा जाना चाहिये। सरकार के पास वर्ष 1962 से अब तक वही शक्तियां हैं जो विधेयक के द्वारा दी जा रही हैं। मैं समझता हूं कि वर्ष 1962 से अब तक कुछ लाख रुपये की चीनी सम्पत्ति बेच दी जानी चाहिये थी। मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि इस चीनी सम्पत्ति को बेचने में इतना समय क्यों लगा है। यदि विधेयक के खण्ड 1 (3) में यह उपबन्ध किया गया होता "कि यह विधेयक 10 जुलाई 1971 के बाद जारी नहीं रहेगा" तो मुझे बड़ी खुशी होती। विधेयक में यह उल्लेख किया जाना चाहिये था कि यह कानून केवल थोड़ी सी अवधि के लिये है और इसे हमेशा के लिये जारी रखने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

इस के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के साथ मंत्री महोदय का एक वक्तव्य होना चाहिये था जिस में यह बताया जाना चाहिये था कि इस श्रेणी में कौन-कौन सी सम्पत्तियां आयेंगी, उन की अब तक कैसे व्यवस्था की गई है तथा वे इस समय किस हालत में हैं।

Shri Sheo Narain (Basti): Mr. Deputy Speaker, I want to say that Article 370 is a burden on the country. It should be removed as early as possible. Bills are being brought by Government day in and day out, but Jammu and Kashmir is excluded from their perview. I strongly demand that Article 370 should be removed very soon. The Government should

take back the territory occupied by Pakistan. I strongly feel that the laws of the country should be applicable to all parts of the country and Jammu and Kashmir should not be an exception.

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun): While congratulating the hon. Minister for bringing forward this Bill, I want to say that the future of India and Pakistan is united. In my opinion that day is not too far off, when these so called two countries will again become one nation. It is only due to narrow thinking emotions and other vices that we are divided into two countries, otherwise we are one nation and we must try for that. We should not do anything which may go against the re-unification of the country.

I want to emphasise that military strength is essential for our country, because weak nations are supported by none. It has been stated in this very House that Pakistan had captured our ship named "Sarshwati" and after disfiguring it she had renamed it "Jabunisha". I believe in secularism. I want to tell that the commander-in-chief of Maharana Pratap was Hakim Khan and he sacrificed his life, when the motherland was attacked by Mougals. So though we are divided, at present, but Hindus and Muslims are one. Thev are one nation. We are being divided by capitalists. It is the duty of all of us, who are nationalists to put an end to this communalism. I have seen on the Vagha border that one Indian side a Rajput boy is stading and one Pakistan side also a Rajput boy is standing. The capitalists have divided us. One boy has been termed as Hindu Rajput and the other as Muslim Rajput. We must put an end to it.

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाय। स्वतन्त्रता के बीस वर्ष बाद भी हम अधिकांश काश्मीरी लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं कर सके हैं, इसलिये इस कथन का समर्थन नहीं किया जा सकता कि अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाये ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। किसी माननीय सदस्य को यह कहने का अधिकार नहीं है कि हम जम्मू तथा काश्मीर के अधिकांश लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं कर सके हैं क्योंकि जम्मू तथा काश्मीर भारत का एक अंग है ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : हम इस समय अनुच्छेद 370 पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री ई० के० नायनार : अधिकांश माननीय सदस्यों ने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि इस अनुच्छेद को हटाया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में काफी चर्चा की जा चुकी है। इस पर पुनः चर्चा नहीं होनी चाहिये। तृतीय वाचन में ऐसी बातों को नहीं उठाया जाना चाहिये। अनुच्छेद 370 पर इस समय सभा में विचार नहीं किया जा रहा है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हार) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पूर्व वक्ता ने कुछ ऐसी बात कहीं जिनसे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा होगा : इसलिए श्रीमान्, आपके माध्यम से मैं यह अनुरोध करना चाहती हूं कि सदस्य अपने आप को इस विधेयक के खण्डों तक ही सीमित रखें ।

Shri Dinesh Singh: Sir, the people of Kashmir are citizens of India as this State is a part and parcel of our country. A mention was also made about the report. I will try to furnish the requisite information in this regard as soon as it is available. But so far as enemy-property is concerned, we have been giving information from time to time about it. As suggested, I would try to furnish a detailed information in this regard.

I hope the House will approve of and pass the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

अन्तर्राज्य जल विवाद (संशोधन) विधेयक

Inter-State Water Disputes (Amendment) Bill

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

माननीय सदस्यों को पता है कि हमारे देश में कई नदियां हैं जो एक से अधिक राज्यों में हो कर गुजरती हैं और जब इन नदियों के जल के प्रयोग के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं तो ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार इन विवादों को निपटाने का भरसक प्रयत्न करती है और हम ने बहुत से मामलों में इन विवादों को निपटाया है, लेकिन दो एक मामलों में हम इन समस्याओं को हल नहीं कर पाये हैं ।

मूल अधिनियम में, जो 1956 में पारित किया गया था, ऐसे विवादों के लिये केवल एक न्यायाधीश की व्यवस्था है जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत किया जाता है और इस न्यायाधिकरण का उपपत्ति बाध्य तथा अन्तिम होनी है जिसके विरुद्ध सरकार अथवा उच्चतम न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की जा सकती । नदियां वास्तव में देश की निधि हैं और राष्ट्र की सम्पन्नता उस आर्थिक मार्ग पर निर्भर करती है जिसमें हम अपने जल संसाधनों का विकास करते हैं । इसके अलावा इन नदियों का लाखों लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है और उन पर करोड़ों रुपये खर्च होता है ।

ऐसी परिस्थिति में इन जटिल समस्याओं को हल करने के लिये ऐसा महसूस किया गया है कि तीन न्यायाधीशों के एक बेंच की व्यवस्था की जाये । इसलिये प्रस्तुत विधेयक में इस प्रयोजन के लिये एक न्यायाधीश के बदले तीन न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है और अन्य उपबन्ध केवल अनुषांगिक हैं । आशा है सभा इस का समर्थन करेगी और उसे पारित करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : प्रस्तुत विधेयक बहुत पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, एक न्यायाधीश के बदले तीन न्यायाधीशों के एक पीठ की व्यवस्था करना सराहनीय है लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि ये न्यायाधीश सम्बन्धित राज्यों के व्यक्ति न हों।

एक समय ऐसा था जब केन्द्रीय सरकार यह समझती थी कि वह इन विवादों को निपटा सकती है। किन्तु जब तुंगभद्रा जल विवाद उत्पन्न हुआ, तो केन्द्रीय सरकार ने देखा कि वह इस मामले को निपटाने में असमर्थ है, इसलिये 1956 में अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम पारित किया गया और उस समय एक न्यायाधीश की व्यवस्था पर्याप्त समझी गई, लेकिन हमें अब महसूस हुआ कि एक न्यायाधीश का अनुभव पर्याप्त नहीं होगा। जहां तक नर्मादा घाटी परियोजना का सम्बन्ध है, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच जल वितरण सम्बन्धी प्रश्न का निपटारा करने के लिये 1955 से अब तक कुछ नहीं किया गया है। जाहिर है, यदि सरकार ने उस समय कुछ प्रयत्न किया होता, तो वह इस विवाद को निपटा सकती थी। लेकिन उन दिनों उस ने इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और अब हाल में वहां गैर-कांग्रेसी सरकार सत्तारूढ़ हो गई है और इस विवाद को लेकर वहां असन्तोषजनक भावनाएं भड़क उठी हैं, और जिस से स्थिति ने दूसरा मोड़ ले लिया है।

एक बार हम ने ऐसा भी सोचा कि सिंचाई विशेषज्ञ इन मामलों का निपटारा कर सकते हैं। लेकिन जब महाराष्ट्र, मैसूर और आन्ध्र के बीच गोदावरी तथा कृष्ण नदियों के जल वितरण के प्रश्न पर इस विचारधारा को क्रियान्वित किया गया तो हमें विशेषज्ञ इंजनियरों की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि वह विवाद बिल्कुल अनावश्यक है क्योंकि ये तीनों ही राज्य उस पानी तक का उपयोग नहीं कर सके जो उन्हें वर्ष 1951 में श्री गाडगिल के नेतृत्व में हुए करार के अन्तर्गत दिया गया था। यह विवाद केवल इसलिये खड़ा किया गया था कि इन राज्यों में सत्तारूढ़ दल अपने लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि उन के अधिकारों के तथा हित के लिये कितना अधिक लड़ना चाहते हैं, और उन्होंने मतदाताओं से इस विवाद की आड़ ले कर स्वयं अपनी सिफारिश की और उन के मत प्राप्त कर के और पहले की अपेक्षा और अधिक बहुतमत से अपने अपने राज्यों में सत्तारूढ़ हो गये। इस भयंकर विवाद का जो उन्होंने देश के सामने खड़ा किया, केवल यही उद्देश्य तथा परिणाम था।

अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार विशेषज्ञों की राय मानेगी ? लेकिन हम अनुभव के आधार पर कह सकते हैं—नहीं, उदाहरणार्थ नर्मदा विवाद को लीजिये। इस विवाद में स्थिति ऐसी थी कि मध्य प्रदेश अपने लिये 2 करोड़ 44 लाख एकड़ फुट जल चाहता था और गुजरात के केवल 51 लाख एकड़ फुट पानी देना चाहता था। दूसरी ओर गुजरात चाहता था कि मध्य प्रदेश को केवल 1 करोड़ 14 लाख एकड़ फुट पानी मिले और उसे 1 करोड़ 66 लाख एकड़ फुट पानी मिले। क्योंकि कुल पानी 2 करोड़ 70 लाख एकड़ फुट है। इसलिये डा० खोसला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई। चूंकि सिंचाई और विद्युत् मंत्री डा० राव मध्य प्रदेश को 1 करोड़ 80 लाख एकड़ फुट पानी देना चाहते थे लेकिन डा० खोसला ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मध्य प्रदेश को 1 करोड़ 39 लाख एकड़ फुट से अधिक जल नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार गुजरात के मामले में मंत्री महोदय उसे केवल 90 लाख ए० फु० पानी देना चाहते थे लेकिन ड० खोसला ने कहा कि उसे 99 लाख ए० फु० पानी मिलना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री इस निर्णय को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में इस विवाद को न्यायाधिकरण को सौपने के अलावा और चारा ही क्या है।

जहां तक नागार्जुन सागर परियोजना का सम्बन्ध है, हम पिछले चार पांच वर्षों से इस सभा के विभिन्न वर्गों से यही सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र अथवा मैसूर के प्रति न्याय नहीं बरता जा रहा है और आन्ध्र प्रदेश को बहुत अधिक पानी दिया जा रहा है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि इसमें

गलत क्या है ? महाराष्ट्र तथा मैसूर को इस तरह झगड़ने से क्या लाभ है? दुःख की बात तो यह है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंपने की इच्छुक नहीं थी। इस सारे विलम्ब के लिये भारत सरकार उत्तरदायी है। इस विलम्ब से कोई फायदा तो हुआ नहीं बल्कि उससे उलटा यह सन्देह पैदा हो गया कि क्या प्रस्तावित शिखर फाटक (क्रस्त गेट्स) नागार्जुन सागर में बनाये भी जा रहे हैं अथवा नहीं। अब हमें बताया गया है कि पूना में कुछ प्रयोग तथा अध्ययन किये जा रहे हैं लेकिन हमें यह मालूम नहीं कि उनके क्या परिणाम निकले हैं। और स्थिति ऐसी है कि इन तीनों ही राज्यों ने इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में जाने की धमकी दी है। इसलिए भारत सरकार का यह निर्णय ठीक है कि ऐसे न्यायाधिकरण में एक न्यायाधीश के बजाये तीन न्यायाधीश हों। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि ऐसे किसी भी न्यायाधिकरण में न्यायाधीश उन राज्यों के व्यक्ति नहीं होने चाहिएं जिनके बीच विवाद हो क्योंकि उसमें न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर सन्देह की आंच आ सकती है।

इस नये विधेयक को दृष्टि में रखते हुए हम आशा करते हैं कि केन्द्रीय सरकार इस विवाद को यायाधिकरण को सौंपने का शीघ्र निर्णय लेगी। निष्पक्षतापूर्वक उसका निपटारा करवायेगी।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभाणी) : प्रस्तुत विधेयक का स्वागत है। प्रस्तुत विधेयक में न्यायाधिकरण में, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था है। किन्तु विधेयक में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का सिद्धान्त तभी कुछ लाभदायक हो सकता है और विधेयक में उल्लिखित उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है जब उन्हें उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट रूप से पता हो। अतः ऐसे मामलों में कोई मार्ग निर्देशन सिद्धांत होना चाहिए जिससे न्यायाधीश किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। इसलिये इस भावना को लेकर मैं एक संशोधन पेश कर रहा हूं कि प्रस्तुत विधेयक के खण्ड 1 में उप-खण्ड 5 जोड़ दिया जाना चाहिए जिसमें यह व्यवस्था हो कि "यदि केन्द्रीय सरकार अथवा कोई भी विवादी राज्य सरकार अन्तर्राज्यीय नदी अथवा नदी धाटी जल के बटवारे के सामान्य सिद्धांतों सम्बन्धी मामलों पर प्रारम्भिक न्याय-निर्णयन के लिये उप-धारा 1 के अधीन जल विवाद निदेश के तीस दिन के भीतर न्यायाधिकरण से अनुरोध करता है तो उसके इस अनुरोध पत्र पर न्यायाधिकरण उस मामले की छानबीन करेगा और अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करके अपना निर्णय केन्द्रीय सरकार को बतायेगा।"

जब हम लाखों लोगों के जीवन पर असर डालने वाले विवादों के निपटारे के बारे में विधान बनाते हैं तो इस सभा को जिस पूर्वोपाय की व्यवस्था करनी चाहिए वह यह कि किसी न्यायाधीश को, चाहे वह कितना ही योग्य तथा वरिष्ट क्यों न हो, चाहे वह किसी राज्य का हो, लाखों लोगों के भाग्य का चरम निर्णायक नहीं होना चाहिये। इसलिए यदि न्यायाधिकरण को कुछ मार्ग दर्शक संकेत दिये जायें कि उसे विभिन्न राज्यों के बीच जल वितरण के ब्यौरे पर विचार करने से पहले सिद्धान्त के प्रश्नों पर सर्वप्रथम अपना निर्णय देना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करना उचित तथा न्यायसंगत होगा। अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय मेरा संशोधन स्वीकार करें ताकि ऐसे हर मामले में समुचित न्याय हो सके।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : प्रस्तुत विधेयक में केवल एक छोटे से संशोधन की व्यवस्था है। आपको श्री रंगा को विभिन्न राज्यों के बीच जल वितरण सम्बन्धी विवादों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इसलिए यदि अन्य सदस्य भी ऐसा करें, तो उन्हें भी अनुमति देना उचित होगा। यही मेरा कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रा० ढो० भण्डारे ने एक सुझाव दिया है। मैं नहीं चाहता कि विवादों के सम्बन्ध में किसी को उल्लेख करने की अनुमति ही न दी जाये। लेकिन क्योंकि मैंने श्री रंगा को ऐसे मामलों में कुछ कहने की अनुमति दी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक सदस्य जो चाहे सभी चीज का उल्लेख कर सकता है।

Shri Bharat Singh Chauhan (Dhar): Sir, the Bill further to amend the Inter-State Water Disputes Act deserves to be commended. But it should have been brought a long time ago. We had a dream to bring prosperity and happiness to the nation through the rivers which are really the nations' treasures. And the nation's property depends upon the economic way in which we develop our water resources. But unfortunately nothing was done during the last ten years to devise ways and means for solving this disastrous problem. Everybody knew that some disputes would arise in the case of such rivers as flow in different States and such disputes arose. But the Central Government manned by the Congress did not devise and lay down any guide lines to settle such disputes with the result that they were delayed, remained unsettled and were rather given a political colour.

[श्री थिरुमल राव पीठासीन हुए]
[MR. THIRUMAL RAO *in the Chair*]

And these disputes have now become intricate problems. This is very good idea and a commendable preposition that the tribunal which has to be constituted in order to resolve the Inter-State water disputes shall be composed of three judges, instead of one. But we have an experience that any body who went to a Court of Law had to wait for a pretty long time. So my request is the cases referred to the tribunal should not get the same treatment. There should not be inordinate delay in their disposal. Special attention should be paid to see that cases referred to the tribunal are settled expeditiously by it.

The Narmada in Madhya Pradesh is a very important river on which the fate of millions of people is tied to. Although the Government has been assuring for the last twenty, years that a decision would be taken soon in the matter relating to the Narmada Project, it is a matter of great regret that nothing has been done in this direction so far and if the present state of affairs continues, it can seal the fate of 4 million people living in the valley. The present position is that the matter has got entangled with politics and has become an intricate problem.

I request that the decisions should be taken expeditiously and they should not be made under political pressure. The Central Government should not show any kind of favour to any State. It should treat all States at par. The State of Madhya Pradesh should be given more water facilities from Narmada. This Bill should have been brought 10 years back. The proposed Tribunal should take decisions without any delay.

श्री रा० ढो० भण्डारे: बेहतर होगा यदि विवादास्पद विषयों का उल्लेख न किया जाये। 1956 के विधेयक के अनुसार न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या केवल एक नियत थी अब उसे बढ़ाकर तीन किया जा रहा है। 1956 में कुछ सदस्यों ने मांग की थी कि न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या एक से अधिक होनी चाहिये परन्तु उस समय यह बात स्वीकार नहीं की गई थी। अब 12 वर्ष के अनुभव के फलस्वरूप सरकार यह संशोधन कर रही है। अतः मैं समूचे विधेयक का समर्थन करता हूं। अब रिक्त स्थान के भरे जाने के बारे में जो व्यवस्था की जा रही है वह बिल्कुल उचित है। सरकार द्वारा न्यायाधिकरण को किसी प्रकार की हिदायतें नहीं देनी चाहियें। न्यायिक दृष्टि से यह उचित नहीं होगा। ट्रिब्यूनल के सदस्य न्यायाधीश होंगे। उनपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिये। मुझे यह सुझाव भी उचित नहीं लगता कि न्यायाधिकरण का अध्यक्ष विवाद के दोनों पक्षों के राज्यों का नहीं होना चाहिये

इस क यदि मान लिया जाये नो इसका मतलब होगा कि हमें न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर विश्वास नहीं है। इस लिये यह सुझाव ठीक नहीं है।

हम चाहते हैं कि कृष्णा गोदावरी नदियों के जल के बारे में झगड़े को शीघ्रातिशीघ्र सुलझाया जाना चाहिए। मैं इस बाद के गुणदोषों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु केवल इतना ही कहूंगा कि यह झगड़ा जल्दी समाप्त होना चाहिये। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : इस विधेयक के उपबन्ध सामान्यत: स्वीकार्य हैं। नदियों के जल के बारे में वादों ने बहुत गम्भीरता का रूप ले लिया है। श्रीनगर में हुए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन को इस पर विचार करना पड़ा है। मुझ प्रसन्नता है कि न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या एक से बढ़ाकर नीन की जा रही है। अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मैं विभिन्न जल वादों के गुणदोषों में नहीं जाना चाहता हूं। परन्तु मुझे समझ नहीं आता कि जब समूचे देश में एक ही दल सत्ता में है नो यह वाद समाप्त क्यों नहीं हो पाये? इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। हमारे देश में नदियां देश की एकता का प्रतीक रही हैं। नदियों को श्रद्धा की भावना से देखा जाता था, परन्तु खेद की बात है कि आज यही विवाद का विषय बन गई हैं। उन विवादों को समाप्त करने की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक हो गया है।

सरकार भूतपूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति करना चाहती है परन्तु मेरे विचार में निवृत्तिप्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति करने से देश के जनजीवन पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। मैं जानता हूं कि दिल्ली में कई ऐसे न्यायाधीश आये हैं जोकि सेवा निवृत्ति के बाद नियुक्ति के इच्छुक हैं। मैं ऐसी चीज पसन्द नहीं करता। कुछ दिन पूर्व मेरे सहयोगी डा० रानेन सेन के एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि गत पांच वर्षों में 419 आयोगों अथवा समितियों की नियुक्ति की गई थी। सरकार इस प्रकार बहुत अधिक संख्या में ऐसी समितियां नियुक्त करती है और ऐसी स्थिति में न्यायाधीशों द्वारा नियुक्तियों की आशा करना स्वाभाविक ही है। ऐसी स्थिति में सुधार करना बहुत आवश्यक है।

मैं पुस्तकालय में एक पुस्तक पढ़ रहा था। वह गत शताब्दी के मद्रास प्रेजीडेन्सी के एक इंजीनियर सर आर्थर कोटन के बारे में थी। उस इंजीनियर के प्रस्ताव थे कि भारत की लगभग सभी नदियों को जोड़ा जा सकता है। अब नो इंजीनियरी विज्ञान ने और भी बहुत प्रगति कर ली है अत: इन वादों का समाधान इतना कठिन नहीं होना चाहिये। प्रो० रंगा ने यह ठीक कहा है कि हमारे इंजीनियर सेवा में आकर प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिये राजनीति उन्मुखी बन जाते हैं। यह ठीक नहीं है।

मैं एक प्रतिनिधि मंडल के साथ रूस गया था। वहां मैंने देखा कि उन्होंने देश के साथ लगते सभी समुद्रों को नहरों द्वारा मिला दिया है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें अपने राज्यों के इस विषय में झगड़ों को समाप्त करना चाहिये और इस उद्देश्य के लिये यह न्यायाधिकरण आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बारे में प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर विचार करेगी और उन्हें स्वीकार करेगी।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल): बारह वर्षों के बाद सरकार द्वारा यह संशोधनात्मक विधेयक लाया गया है। राज्यों के बीच सीमा विवादों की भान्ति जल विवाद भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लिये जाने चाहियें। सरकार को यह पहले महसूस करना चाहिये था कि ऐसे झगड़ सम्बन्धित राज्य सुलझा नहीं सकते बल्कि इनके लिये न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जानी चाहिये ताकि निष्पक्ष निर्णय हो सके। इस बारे में सरकार ने विलम्ब की नीति अपनायी है। परिणाम यह है कि हम

अपने संसाधनों का पूरा लाभ नहीं उठा सके और हमें विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। इस में बड़े-बड़े अधिकारी भी दोषी हैं। वे अपने पदों के सुरक्षित रखने के लिये और सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति पाने के लिये समस्याओं को और भी उलझा देते हैं। इस से समूचे देश के हितों को हानि होती है।

नदियों के जल का अधिकाधिक उपयोग करना हमारा उद्देश्य होना चाहिये। यदि कोई झगड़ा है तो उसे यथासंभव हल किया जाना चाहिये। जैसा श्री मुकर्जी ने कहा है हमें निवृत न्यायाधीशों को नियुक्त नहीं करना चाहिये। मेरा भी यह विचार है। दूसरे विवादों के निपटारे के बारे में समय-सीमा नियत कर दी जानी चाहिये। न्यायाधिकरण के साथ विशेषज्ञों की समिति सम्बद्ध होनी चाहिये।

न्यायाधिकरणों को अपने निदेशपद स्वंय तैयार करने चाहियें। उन्हें अपना निर्णय देने में स्वतन्त्रता होनी चाहिये। अब समय आ गया है कि जब केन्द्रीय सरकार को बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। राज्य सरकारें इस काम को पूरा करने के समर्थ नहीं हैं। देश के जल संसाधनों का अनुमान लगाया जाना चाहिये और केन्द्रीय सरकार को योजना बनाकर परियोजनाओं को पूरा करना चाहिये। यह कार्य जल्दी से होना चाहिये।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि राष्ट्रीय समस्याओं पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार किया जाना चाहिये। हमारा दल तो पहले भी बहुत सी समस्याओं का समाधान इसी आधार पर करने का इच्छुक रहा है। मद्रास नगर के बारे मे जो विवाद आंध्र और मैसूर के बीच था, इसी आधार पर हुआ था।

मद्रास की सरकार और वहां के लोग चाहते हैं कि जो जल समुद्र में चला जाता है उसका उन्हें उपयोग करने की अनुमति होनी चाहिये। यह बड़ी उचित मांग है। यह बड़े समय से चली आ रही है। परामबीकुलम का झगड़ा हल हो गया है। इसका श्रेय केरल के मुख्य मंत्री श्री नम्बूतिरिपाद को है। इस समस्या का समाधान बड़े सौहार्द में हुआ। केरल की साम्यवादी सरकार ने 1957 में इसे बड़ी सूझबूझ से हल कर दिया। उन्होंने यह नहीं देखा कि मद्रास में कांग्रेसी सरकार है। मैं समझता हूं कि यदि हम चाहें तो सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। खेद की बात है कि गत बीस वर्षों में जब कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ रही, समस्याओं को हल करने का प्रयत्न ही नहीं किया गया और स्थिति हमारे समक्ष है। ऐसी स्थिति में न्यायाधिकरण का स्थापित करना नितान्त आवश्यक है।

यह विधेयक श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के सुझाव के फलस्वरूप लाया गया है। वहां पर हमारे दल के जनरल सैक्रेटरी श्री सुन्दरैया ने इसी आशय का सुझाव दिया था। बहुत से जल विवाद कई वर्षों से चले आ रहे हैं। अब उनका शीघ्रता से समाधान होना चाहिये। अब तो विभिन्न प्रकार के राजनैतिक दबावों के कारण विलम्ब हो रहा है। सरकार को पिछले अनुभव से लाभ उठाकर कार्य करना चाहिए। इस बिधेयक के पास होते ही सभी विवाद न्यायाधिकरण को सौंप दिये जाने चाहियें।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur): I rise to support the Bill. The time has come when the Central Government should take over all the big projects in the country. The State Governments are not spending the money which they receive from the Central Government for these projects. Husdo project can be quoted as an example in this respect.

[Shri A. S. Saigal]

We have a bitter experience so far as Narmada project is concerned. Now I would like to say that the judges of the Supreme Court and High Courts should be appointed on the Tribunal. Nor retred judges should be appointed on the Tribunal as they may come into conflict sometime. We should be cautious about this.

I appreciate the provision regarding appointing three Judges on the Tribunal instead of one. All the disputes should be referred to the Tribunal for immediate settlement. They should not be kept pending for a long time.

With these words I support the Bill and plead that if the Tribunal consists of three judges, the opinion of the majority judges should be accepted.

Shrimati Jayaben Shah (Amreli): The Government has been forced to bring this Bill because some disputes have arisen on the waters of the various rivers. I welcome this Bill as a provision has been made in it to solve these disputes.

The rivers have a very important place in our culture and they have also played a significant role in the integration of our country. But now they have become the bone of contention. It is a matter of great regret that we are raising disputes over the distribution of the waters of these rivers. We should consider this question of distribution of waters of the river with open heart.

Due to these disputes we could not construct dams over the rivers and also could not make use of these waters for irrigation purposes. Had these dams been constructed ten years earlier the position in regard to the food production would have been quite different to-day. I would, therfore, say that there is no use of keeping these disputes pending. They should be referred to the Tribunal and its decision should be binding on all concerned.

Restrictions on the movement of foodgrains have also played their role in raising the inter-State water disputes as by using the water of the big rivers some States have been able to produce more but they are not allowing their produce to move to other States. We should adopt a national attitude in this respect.

I will conclude with the words that we should not doubt the integrity of our judges.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह एक साधारण विधेयक है जिसके अनुसार न्यायाधिकरण में एक के बजाये तीन न्यायाधीश रखने की व्यवस्था है । परन्तु मैं नहीं समझ सका कि इसके क्या कारण हैं । न ही सरकार ने यह बताया है एक न्यायाधीश पर आधारित न्यायाधिकरण विवादग्रस्त राज्यों को सन्तुष्ट करने में असफल रहा है अथवा उसने अपना कार्य बन्द कर दिया है । 1956 में जब यह विधेयक पास किया था तब भी तीन न्यायाधीशों पर आधारित न्यायाधिकरण बनाने को कहा गया था और इस सम्बन्ध में संशोधन भी दिये गये थे परन्तु सरकार ने इसका विरोध किया था और सभी संशोधन रद्द हो गये थे । क्या कारण है कि विधेयक में न्यायाधिकरण के उपबन्ध होने के बावजूद राज्यों में अभी जल विवाद चल रहे हैं । यदि ये विवाद हल हो गये होते तो शायद देश खाद्य में आत्म-निर्भर हो गया होता ।

कृष्णा-गोदावरी जैसे अनेक विवाद अभी तक लटक रहे हैं । कृष्णा-गोदावरी विवाद को अभी तक न्यायाधिकरण को नहीं सौंपा गया क्योंकि सम्बन्धित राज्यों की सहमति प्राप्त नहीं हुई । परन्तु मेरा कहना है कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सम्बन्धित राज्यों की प्रतीक्षा कर राष्ट्र को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए थी । मुझे सन्तोष होता यदि इस विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती कि नदी के जल के प्रयोग सम्बन्धी किसी योजना अथवा परियोजना की जिसके बारे में विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना हो, केन्द्रीय सरकार जांच करेगी और निर्णय देगी अन्यथा इस मामले को सम्बन्धित राज्यों की सहमति की प्रतीक्षा किये बिना न्यायाधिकरण को सौंपा जायेगा । यदि ऐसा उपबन्ध किया जाता है तो राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा पारित संकल्प का उद्देश्य सिद्ध हो जाता ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

हमारे अपने लोग पानी के बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं । इस लिए आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है ।

यह खेद की बात है कि न्यायिक मामलों के अतिरिक्त हम प्रशासनिक मामलों में भी उच्चतम न्यायालय की सहायता लेने के लिए मजबूर हैं । एक बात यह उठाई गई थी कि विवाद-ग्रस्त राज्यों से न्यायधीशों को न्यायाधिकरण में नहीं लिया जाना चाहिए । जहां तक न्याया-धीशों की निष्पक्षता तथा सम्मान का सम्बन्ध है कोई व्यक्ति इसको चुनौती नहीं दे सकता । परन्तु वर्तमान संशोधन स्वयं न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है क्योंकि निर्णय चाहे कितना भी ठीक तथा निष्पक्ष रूप से दिया जाये उसमें शंका की गुंजाइश रह जाती है । अतः प्रश्न केवल ठीक निर्णय देने का नहीं बल्कि वह निर्णय लोगों को भी ठीक लगना चाहिए ।

मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने विवादों पर अभी निर्णय लिया जाना शेष है तथा कितने विवाद हल किये जा चुके हैं । क्या यह सच नहीं है कि इन अनिर्णित मामलों को सम्बन्धित राज्यों की इच्छा न होने के कारण ही न्यायाधिकरण को नहीं सौंपा गया है । न केवल जल विवादों बल्कि सीमा विवादों के बारे में भी कुछ सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिए । ऐसे विवादों के हल के लिए मैं स्थायी न्यायाधिकरण का सुझाव दूंगा । अन्त में मेरा सुझाव है कि सरकार को राज्यों की सम्मति की प्रतीक्षा किये बिना इन विवादों को न्यायाधिकरण को सौंप देना चाहिए ताकि इन अनावश्यक तथा अवांछनीय विवादों को सदा के लिए हल किया जा सके ।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati): No inter-state water dispute has yet been referred to the Tribunal although a provision of appointing three Judges instead of one is being made through this amendment. I fail to understand the reasons for not referring either of the two inter-state water disputes *i.e.* Krishna-Godavari and Narmada river dispute to the Tribunal. All the existing disputes should be referred to the Tribunal so that they could be solved quickly and if it is done I am sure it will facilitate in increasing the food production. Had the Krishna-Godavri dispute been referred to the Tribunal it would have been solved uptil now

[Shri Tulsidas Jadhav]

A time-limit should be fixed for the Tribunal for giving its award so that no dispute may remain pending for a long time. The sooner the award is given the more it is beneficial to the country. If a dispute is kept pending for a long time it creates hatred amongst the people.

As some hon. Member has suggested it will be better if we reach upon some agreement through negotiations rather to refer the dispute to Judiciary. The Central Government should use its good offices for solving such disputes.

Technical persons having full knowledge of the subject should be appointed in the Tribunal.

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut): The root cause of these inter-State water disputes is perhaps that irrigation has been neglected all these years. Irrigation potentialities have not been developed adequately. Small irrigation schemes should be implemented and necessary electricity should be supplied to the farmers. These things should be done at a much faster rate.

I would like to know from the hon. Minister why the Kishau dam scheme has not been included in the Fourth Five Year Plan for which there has been no dispute among the concerned States and which would have benefitted, on completion, Uttar Pradesh, Rajasthan and Haryana. I would also like to know why no dam has yet been constructed on Ganga. I would also like to know the reasons for which Government have decided not to include any new scheme regarding constructing of dams in the Fourth Five Year Plan.

The position in regard to the Electricity is not very good. At present we are generating about one crore kw. and at the end of the current Plan it will be doubled. We will be needing about 15 crore kw. in the very near future. It will, therefore, not be possible for us to cope with the hydro electric.

It has also been stated that this Bill is being brought to do away with the States involved in the disputes should not be appointed in the much doubtful that the said purpose will be served.

It has also been stated by some of the hon. Members that Judges from the the States involved in the disputes should not be appointed in the tribunal. The plea should not be accepted because it will mean that we doubt the integrity and impartiality of the Judges.

श्री इरास्मो डीसेक्वीरा (मारमागोआ) : इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान अधिनियम में संशोधन करना है । अन्तर्राज्यीय जल विवादों के सम्बन्ध में मुख्य समस्या केन्द्रीय सरकार को कोई विवाद भेजे जाने तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यायाधिकरण को मामला भेजे जाने में लगने वाले समय का है । इसलिये मेरा निवेदन है कि खंड 4 में यह संशोधन किया जाये कि किसी विवाद के केन्द्रीय सरकार के पास भेजे जाने के बाद निश्चित अवधि के अन्दर उसे न्यायाधिकरण को सौंपा जाना चाहिए । ऐसे विवाद के लिए पृथक न्यायाधिकरण बनाये जाने की बजाय उनका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिये । ऐसे न्यायाधिकरणों में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त नहीं किये जाने चाहियें ।

मेरा दूसरा संशोधन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सम्बन्धित है । मेरा सुझाव है कि न्यायाधिकरण में केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहियें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

यह विवाद राज्य स्तर पर शुरू होते हैं । अतः मैं अनुभव करता हूं कि यदि विवाद एक स्तर पर शुरू हो तो उन्हें उससे ऊंचे स्तर पर निपटाया जाना चाहिये ।

श्री राम राम (सलेम) : अन्तर्राज्यीय जल-विवाद (संशोधन) विधेयक का अधिकांश दलों ने स्वागत किया है । मैं भी इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु श्री लोबो प्रभु द्वारा प्रस्तुत किये गये कुछ संशोधनों का समर्थन करता हूं ।

मद्रास राज्य में नदियां अधिक नहीं हैं । वहां झीलें तथा कुएं हैं । वहां कावेरी के अतिरिक्त कोई बारहमासी नदी नहीं है । कावेरी का मद्रास तथा मैसूर में बंटवारा होता है । समाचारपत्रों में हाल ही में प्रकाशित हुआ है कि मैसूर सरकार ने हेमावती परियोजना के नाम से एक छोटी परियोजना तैयार की है । यह परियोजना कावेरी से सम्बद्ध एक छोटी नदी पर बनाई जायेगी । यदि इसका निर्माण किया जाता है तो मैसूर के रास्ते आने वाला जल बन्द हो सकता है और तन्जोर डेल्टा शुष्क हो सकता है । अतः मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिये और इसे इस प्रकार तय किया जाना चाहिये कि ऐसा न हो कि मद्रास को जल ही न मिले ।

हम जो न्यायाधिकरण स्थापित कर रहे हैं, उस पर भारी व्यय अर्थात् 1,50,000 रुपये के लगभग व्यय होगा । यदि हम उसमें स्थानीय न्यायाधीश नियुक्त करें तो संभव है कि लोगों का निर्णय की निष्पक्षता में विश्वास ही न रहे । हमें इस बात पर आग्रह नहीं करना चाहिये कि न्यायाधिकरण में केवल उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही नियुक्त किये जायें । उच्च न्यायालयों के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति ही अच्छे हैं । अतः इन प्रश्नों का निर्णय उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश ही कर सकता है ।

विधेयक में एक त्रुटि यह है कि विवाद के न्यायाधिकरण को सौंपे जाने पर निर्णय करने के लिये कोई समय सीमा नहीं रखी गई है । यदि न्यायाधिकरण द्वारा फैसला देने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया जाता है तो यह प्रक्रिया बनाने में कोई लाभ नहीं होगा । अतः मंत्री महोदय को विधेयक में इस प्रयोजन के लिये समय सीमा का संकेत देना चाहिये ।

इस प्रश्न के बारे में कि क्या न्यायाधिकरण में सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा सेवा में लगे हुए न्यायाधीश लगाये जाने चाहियें, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें केवल उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों को लगाना चाहिये यदि हम चाहते हैं कि निर्णय शीघ्र किया जाये ।

मैं समझता हूं कि विद्यमान अधिनियम के अधीन वर्तमान न्यायाधिकरण को कोई विवाद नहीं सौंपा गया है । न्यायाधिकरण के सम्बन्ध में ऐसा नहीं होना चाहिये । केन्द्रीय सरकार को न्यायाधिकरण को तुरन्त विवाद भेजने चाहियें । ये विवाद तभी समाप्त होंगे ।

श्री द्वा०ना० तिवारी (गोपालगंज): गलती किसी समय भी सुधारी जा सकती है । जलविवाद तय करने में हमने बारह वर्ष खराब किये हैं । जल सम्भरण में कई प्रकार की रुकावटें उत्पन्न की जा रही हैं । उदाहरण के लिये गंडक परियोजना के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत समय से अपना काम नहीं कर रहा है । अतः बिहार को जल नहीं ले जाया जा सका । सरकार ने उपजाऊ भूमि का एक बड़ा भाग अपने अधिकार में ले लिया था परन्तु वह गत पांच वर्षों से खाली पड़ा है । हम मंत्री महोदय और पूर्ववर्ती मंत्रियों से अनुरोध करते रहे हैं कि वे इस कार्य को केन्द्रीय सरकार के अधिकार में रखें और इसे स्वयं करें परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया । इसमें सन्देह है कि यह योजना निर्धारित समय पर पूरी हो सकेगी ।

दूसरा प्रश्न न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है । विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि जल-विवादों से बहुत लोगों के प्रभावित होने के कारण तीन न्यायाधीश नियुक्त करना आवश्यक है । हम जानते हैं कि दो देशों के बीच ऐसे मामलों को भी केवल एक व्यक्ति को सौंपा जाता है । विभाग की अकुशलता, अनिश्चितता तथा निष्क्रियता को छिपाने के लिये यह नया विधेयक प्रस्तुत किया गया है । तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कहने की बात है । आवश्यकता इस बात की है कि इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाये तथा उन्हें तुरन्त निपटाया जाये ताकि कृषक शीघ्र लाभ उठा सकें ।

पूर्वी पाकिस्तान सरकार द्वारा साहजादपुर स्थित टैगोर के निवास स्थान पर कबजा

RESIDENCE OF TAGORE AT SAHAJADPUR SEIZED BY EAST PAKISTAN GOVERNMENT

श्री समर गुह (कन्टाई) : घटिया राजनीति संस्कृति के एक मन्दिर के बारे में भी किस प्रकार का षडयंत्र रच सकती है, इसका एक उदाहरण पूर्वी पाकिस्तान के पत्ना जिले में साहजादपुर में श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर के ऐतिहासिक निवास स्थान के साथ किया जाने वाला व्यवहार है । उनकी स्मृति भुलाई जा रही है, केवल यही नहीं, वहां उनका चित्र लगाना मना है तथा पूर्वी पाकिस्तान में उनका जन्म दिन मनाने की अनुमति नहीं दी जाती । इस प्रकार वह कवि के प्रति अन्याय तथा अनादर कर रहे हैं ।

रवीन्द्रनाथ टैगोर के जीवन का सब से अच्छा भाग अर्थात् चालीस वर्ष साहजादपुर,शिलाईदाहा तथा कालीग्राम अथवा पतिसार में व्यतीत हुआ । कवि का वह निर्माण-काल था जब उन्होंने प्रकृति तथा व्यक्ति से अनुभव प्राप्त किया । पाकिस्तान सरकार ने उनके इस ऐतिहासिक निवास स्थान के प्रति इस प्रकार शत्रुतापूर्ण रवैया क्यों अपनाया ? रवीन्द्रनाथ सामान्य कवि नहीं बल्कि महाकवि अथवा विश्वकवि थे । भारत से घृणा करने वाले भुट्टो ने भी श्री टैगोर के साहित्य को विश्व के सभी लोगों के लिये कोष बताया है । क्या पाकिस्तान सरकार ने यह अनुभव किया है कि उनका साहित्य पूर्वी बंगाल के लोगों की रुचि के बिल्कुल विरुद्ध है ? विभाजन के समय संयुक्त बंगाल की मुस्लिम लीग के महा सचिव श्री अबुल हसन ने ढाका में हुए एक समारोह में कहा है कि रवीन्द्र साहित्य में भी इस्लाम की भावना दिखाई देती है ? अतः पाकिस्तान सरकार द्वारा अपनाया गया यह रवैया बिलकुल अनुचित है

आध घन्टे की चर्चा

Half an hour discussion

मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह उस महान कवि के पूर्वी बंगाल में स्मारक चिन्हों की सुरक्षा के लिये हर प्रकार के प्रयास करें। उन्हें पाकिस्तान के प्रधान को निजी रूप से एक पत्र लिखना चाहिये। यदि उन्हें इसमें सफलता न मिले तो उन्हें समूचे संसार के रक्षा कला तथा साहित्य से सम्बन्धित प्रमुख व्यक्तियों को पत्र लिखें। यदि उन्हें इसमें भी सफलता न मिले तो यह विषय यूनेस्को में उठाया जाना चाहिये जिससे टैगोर के स्मृति-शेष सुरक्षित रखे जायें तथा अपवित्र न किये जायें।

Shri Rabi Rai (Puri): Shri Rabindranath Tagore visited Hungary in 1926 and he was honoured by the Government of that country. But in East Pakistan, where the language is Bengali he is not being honoured. I would like to know whether the Government would try to set up a national museum at the residence of the poet in consultation with the President of Pakistan or the Governor of East Bengal.

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच बिहार): हम कल शत्रु देशों की सम्पत्ति के संरक्षण के बारे में विचार करते रहे हैं। परन्तु हम देखते हैं कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान् कवि की सम्पत्ति तथा उनके निवास स्थान की भी पाकिस्तान सरकार रक्षा नहीं कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 20 लाख रुपये अलग रखेगी तथा पाकिस्तान सरकार के परामर्श से एक न्यास बनायेगी जिससे रवीन्द्रनाथ टैगोर का निवास स्थान, उनकी सम्पत्ति तथा मूल्यवान वस्तुओं को कायम रखा जा सके और उनकी ठीक तरीके से देखभाल की जा सके।

Shri George Fernandes (Bombay South): Pakistan Government's attitude towards Shri Rabindarnath Tagore is that of enmity. That Government is destroying his house. It is also helping naga and Mizo rebels. In view of all this, I would like to know whether the Government would adopt such an attitude towards East Pakistan, which helps the people of that part to attain their democratic rights.

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : मैं न केवल भारत की प्रधान मंत्री से बल्कि शान्ति निकेतन में पढ़ी एक महिला से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई थी कि पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारी जनता के मस्तिष्क से टैगोर तथा टैगोर साहित्य की याद मिटाना चाहते हैं। पाकिस्तान सरकार ने पश्चिमी पकिस्तान के एक महान् कवि श्री फैज अहमद फैज को कई वर्षों तक कारागार में डाले रखा। क्या प्रधान मंत्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ यह मामला तय करने तथा टैगोर के निवास स्थान पर संसद् सदस्यों का एक दल अथवा कोई सद्भावना या सांस्कृतिक शिष्टमंडल भेजने के लिये तैयार हैं। यह दल अथवा शिष्टमण्डल यह देखेगा कि उनका मकान एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में रहे तथा सदा के लिये सुरक्षित रखा जाये।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजनामंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): बड़े हर्ष की बात है कि श्री समर गुह ने यह मामला उठाया है। यह हमारे लिये बहुत ही दुख की बात है कि इस ऐतिहासिक भवन के सम्बन्ध में लापरवाही तथा उपेक्षा की जाये। इनके स्मृत्ति अवशेषों अर्थात् पुस्तकों तथा कलाकृत्तियों आदि के बारे में क्या हो रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री समर गुह ने गुरुदेव को महाकवि कहा है । निस्सन्देह वह महाकवि थे । वह उससे भी कुछ अधिक महान् थे । वह एक महान मानव थे जिन्होंने हमें एक भारतीय साथी के रूप में पाने का अवसर मिला । किन्तु हमारे लिये यह कहना उचित नहीं है कि वह केवल भारतीय थे । उनका समूचे विश्व में बहुत प्रभाव था । सचमुच वह भारतीय संस्कृति तथा युगों से चले आ रहे कुछ भारतीय मूल्यों के प्रतीक थे। आज पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ किया जा रहा है, वह गुरुदेव के विरुद्ध नहीं है । हमें इसे ऐसा नहीं समझना चाहिये । वहां उनके प्रति भारी आदर है । वहां जो कुछ किया जा रहा है वह समूची विचाधारा के विरुद्ध है । वहां कुछ मंत्रियों और अन्य लोगों द्वारा टैगोर की कुछ रचनाओं को पाकिस्तानी सभ्यता के विरुद्ध समझा जा रहा है । गुरुदेव के सभी विचारों का उद्देश्य मानवता को ऊंचे स्तर पर उठाना है । बहुत दु:ख की बात है कि पाकिस्तान में यह घोषणा की जाये कि ये उच्च विचार उनकी सभ्यता के प्रतिकूल हैं । परन्तु कोई व्यक्ति गुरुदेव के विचारों को नहीं दबा सका तथा पूर्वी पाकिस्तान की सरकार चाहे कुछ भी करे ये विचार उस दिशा में जाने के लिये पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को उत्तेजित करेंगे जो गुरुदेव के मन में थे । अत: वे जिस नीति पर चल रहे हैं, वह उदार नहीं है तथा हमारे हितों के प्रतिकूल है ।

जहां तक टैगोर भवन के परिरक्षण का प्रश्न है, सरकार जो कुछ सम्भव होगा, करेगी, निश्चय ही सरकार इस बात का पूरा प्रयत्न करेगी कि उस महान् व्यक्ति के स्मृति के शेष की रक्षा के लिये जो कुछ सम्भव हो, किया जाये ।

Shri Abdul Gani Dar: Sir, this morning when I rose question about the accusation of Pakistan regarding the murder of thousands of Muslims during the communal riot against minorities in India, I was not allowed even sacrifice my wife, sister, niece and brother for this cause. I had also to complete my question and lots of things were said about me by thoes who had no contribution in the freedom struggle of the country while I had to sacrifice my wife, sister, niece and brother for this cause. I had also asked a question about the statement of Pakistani Foreign Minister, Mr. Arshad Hussain. I wanted the Government to reply to his accusation, but I was not allowed to proceed and I was accused of damaging the cause of the nation.

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 1 अगस्त, 1968/10 श्रावण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, August 1, 1968/Sravana 10, 1890 (Saka).